द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १३

३ दिसम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

Second Lok Sabha

(6th Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

375 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८—१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४—०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६—२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १६२५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८—३४

अंक—१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६—२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २०१८—२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८—३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २०५४—६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अभ्रक के निर्यातकर्ता

†*४९५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक के निर्यातकर्ताओं को निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में समर्थ होने के लिये उन्हें क्या क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं अथवा देने का विचार है ; और

(ख) निर्यात के पहले अभ्रक की अधिक कीमत प्राप्त करने के प्रयोजन से उसे तैयार करने के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं अथवा देने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) वैयक्तिक निर्यातकर्ताओं के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और राजकोषीय अथवा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परिषद् निर्यात संवर्द्धन के विशिष्ट उपायों का अध्ययन कर रही है, जहां यह पहले से ही भेजा जा रहा है वहां इसकी मात्रा बढ़ाने और नई मण्डियां स्थापित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) माइकैनाइट का निर्माण; रद्दी अभ्रक से अभ्रक की ईंटों का निर्माण ; और गीली पद्धति से रद्दी अभ्रक द्वारा अभ्रक का पाउडर तैयार करना ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : पिछली बार भी कहा गया था कि निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं फिर क्या गत तीन महीनों में इसके निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरे पास पिछले तीन महीने के आंकडे नहीं हैं किन्तु जनवरी से जून तक निर्यात लगभग पिछले वर्ष के समान ही है हमारे पास अगस्त के पश्चात् आंकड़े नहीं हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या गीले अभ्रक को पीसने का संयन्त्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, इसकी कार्यक्षमता कितनी होनी होगी ? क्या विदेशों से टेक्नीकल सहायता प्राप्त की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : गीले अभ्रक को पीसने का संयन्त्र स्थापित करने के लिये दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव का आधार है कलकत्ता स्थित चीनी मिट्टी उद्योग सम्बन्धी हमारी प्रयोगशाला में विकसित पेटेंट--इसकी स्थापना राजस्थान सरकार कर रही है। दूसरा संयन्त्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। पिसे हुए गीले अभ्रक की कुल मात्रा प्रति वर्ष लगभग ४०० टन रहेगी।

†**श्री दामानी** : अभ्रक का निर्यात मुख्यतः अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को किया जाता है। किस देश में हमारा निर्यात घटा है और इसका क्या कारण है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या राज्य व्यापार निगम इस देश में अभ्रक एसोसिएशन से अभ्रक खरीद कर इसे विदेशों में भेज रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम का उसी अभ्रक से सम्बन्ध है जो पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजा जाता है।

†**काजी मतीन** : ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्रक के टुकड़े जो भारत में बेकार हैं वह विदेशी आयातकर्ताओं के लिये काफी उपयोगी हैं। व्यवहारिक अर्थ गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् के डा० लोकनाथन् ने यह संकेत दिया है कि अभ्रक के टुकड़ों का अधिक मात्रा में निर्यात करने से आगे चलकर भारतीय अभ्रक का भविष्य ध्वस्त हो जायेगा क्योंकि अभ्रक का चूरा बाद में संश्लिस्ट अभ्रक बनाने में प्रयुक्त होता है। डा० लोकनाथन् ने सुझाव दिया है कि रद्दी अभ्रक का उपयोग करने के लिये कलकत्ता में अभ्रक पीसने वाले एक संयन्त्र की स्थापना की जाये। इस प्रकार के संयन्त्र में केवल ३ लाख रुपये के पूंजी विनियोग की आवश्यकता होगी और उससे १७ प्रतिशत या उससे अधिक विशुद्ध लाभ होगा। क्या इस तरह के संयन्त्र की स्थापना के लिये प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने अपने उत्तर में पहले यह बताया है कि डा० लोकनाथन् की सिफारिश के अनुसार बेकार अभ्रक को प्रयुक्त करने के लिये एक संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव क्रियान्वित किया जा रहा है। हम एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिये कलकत्ता उपयुक्त स्थान नहीं है। यह वहां स्थापित किया जायेगा जहां अभ्रक उपलब्ध हो।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि परिषद् ने विदेशी फर्म के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है और अब वह इस देश में अभ्रक पीसने के लिये संयन्त्र की स्थापना स्वतन्त्र रूप से करना चाहते हैं ; इसके लिये राजस्थान सरकार प्रस्तुत हो गई है। यदि हां, तो क्या किसी विदेशी फर्म से सहयोग की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और यह टेक्नीकल पक्ष का अध्ययन करने में समर्थ नहीं है। हमारे टेक्नीकल अधिकारियों ने इसकी जांच की है और उन्होंने कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि एक कारखाना उस पेटेंट पर आधारित किया जाये जो कलकत्ता इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है और विदेशी फर्म के सहयोग से स्थापित किया जाये ।

†**श्री जयपाल सिंह** : आज कल अभ्रक का निर्यात खेप के आधार पर किया जाता है जो कि लागत भाड़ा मिला कर भेजने के विपरीत है । दूसरा तरीका नियतिकर्ता के लिये अनुकूल है । क्या इस तरीके में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है ।?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : परिवर्तन हमारी इच्छा से ही नही हो सकता है । हम तो चाहते हैं कि यह भाड़ा लागत मिला कर हो किन्तु व्यापार अधिकतर खेप के आधार पर होता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार के पास निर्यात किये जाने वाले अभ्रक के टुकड़े की मात्रा कितनी है और इस प्रकार के टुकड़ों का निर्यात करने से हमारे भावी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : टुकड़ों का निर्यात किया जाता है किन्तु निश्चित आंकड़े और अभ्रक तथा उसके टुकड़ों का अनुपात बताने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह जानना चाहता था कि जब संश्लिस्ट अभ्रक का निर्माण करने में विदेशों में टुकड़े काम में लिये जाते हैं तो उसका हमारे भावी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हमारे पास इसका संचय इतना है कि उससे आन्तरिक मांग पूरी हो सकती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या अभ्रक के निर्यातकर्ताओं को पंजीयन करने की कोई पद्धति सरकार ने जारी की है और क्या राजस्थान के निर्माताओं ने पंजीयन कराया है और इसका विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार को प्रस्तुत किये गये विरोध अथवा अभ्यावेदन का क्या स्वरूप है ?

†**श्री कानूनगो** : निर्यातकर्ताओं के पंजीयन की ऐसी कोई पद्धति नही है ।

†**श्री त्यागी** : क्या अभ्रक उन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में है जिनके सम्बन्ध में सरकार ने हाल हीं में रेलवे भाड़े में कुछ रियायत दी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नही ।

†**श्री जयपाल सिंह** : श्री नायर ने यह पूछा था कि क्या अभ्रक के टुकड़ों से संश्लिस्ट अभ्रक तैयार किया जाता है अथवा क्या इससे हमारे भावी व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है । माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा कि हमारे पास काफी परिमाण में यह मौजूद है । यदि संश्लिस्ट अभ्रक बाज़ार में उपलब्ध होने लगा तो असली अभ्रक का कोई उपयोग नही रहेगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सर्वथा ऐसा नही है । साबत अभ्रक सर्वथा पृथक वस्तु है । और बेदाग अभ्रक–भारत में उपलब्ध उच्च किस्म के अभ्रक की विशेषता है । जहां तक अभ्रक के निर्यात का सम्बन्ध है उसके टुकड़ों से माइकेनाइट बनता है और गीली अभ्रक की चद्दरें बनती हैं जो हलकीं और निम्न किस्म की होती हैं । अतः इसमें किसी ऐसे प्रकार की प्रतिद्विन्दिता का प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है जो टुकड़ों के बाहर जाने अथवा अन्य देशों में संश्लिस्ट अभ्रक की ईंटों से उत्पन्न होती है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि आभ्रक के सयंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया जाना चाहिये जहां वृहद परिमाण में अभ्रक का उत्पादन किया जाये । क्या इस विषय में कोडारमा पर विचार किया जायेगा जहां अभ्रक भारी तादाद में उत्पन्न होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभ्रक के उत्पादन के लिये किसी कारखाने की स्थापना का विचार नही है । यह प्राकृतिक खनिज है । केवल अभ्रक के टुकड़ों से माहकेनाइट की ईंट और अभ्रक का पाउडर बनाने का विचार है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : माननीय मंत्री ने कहा कि अभ्रक के निर्यातकर्ताओं के पंजीयन की कोई योजना नही है । किन्तु हैदराबाद में हुई खनिज परामर्शदाता बोर्ड की पिछली मीटिंग में यह सुझाव रखा गया था और यह भी व्यक्त किया गया था कि राज्य व्यापार निगम ने अभ्रक के निर्यातकर्ताओं के अनिवार्य पंजीयन की एक योजना जारी की है और उन्हें एक रुपया देना पड़ता है ; वह अभ्रक के लिये नई मण्डियां विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और सम्पूर्ण देश में अभ्रक एसोसिएशनों की ओर से विरोध हुआ था ।

†**श्री कानूनगो** : कोई व्यक्ति कहीं भी अभ्रक भेज सकता है । जिन व्यक्तियों को राज्य व्यापार निगम से सम्बन्ध होता है उन्हें अपने आपको पंजीयन कराना पड़ता है ।

†**श्री त्यागी** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने अखबारों में पढ़ा था कि अभ्रक के सम्बन्ध में रेलवे रियायत दी जाती है । माननीय मंत्री कहते हैं ऐसा नही है । क्या वह इसका निश्चय करेंगे कि अभ्रक उस सूची में है अथवा नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इस विषय में निश्चित नहीं हूं । मेरा विचार यह है कि इसका कारण यह नहीं है कि रेलवे रियायत अधिकांशतः तैयार शुदा वस्तुओं पर ही लागू की जाती है ।

दावों की मौके पर जांच

†*४९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के दावों की मौके पर जांच करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : इस विषय में और प्रगति नहीं हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पाकिस्तान सरकार को अन्तिम पत्र कब भेजा गया था और उनसे प्राप्त उत्तर का क्या स्वरूप है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जहां तक सम्पत्ति की सूचियों के विनियम का सम्बन्ध है, पाकिस्तान ने गत जुलाई में हमारे पास लगभग १७२ मामलों की एक सूची भेजी थी किन्तु उनका ब्योरा इतना अस्पष्ट था कि हम भारत में उनका पता ही नहीं लगा सके । अतः हमने सूची लौटा दी । इसके साथ ही हमने विस्थापित व्यक्तियों के दावों में से तीस दावे अपेक्षित जानकारी

---

* मूल अंग्रेजी में

सहित भेज दिये हैं। यह विषय अभी इसी स्थिति में है और इसके पश्चात् पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा विचार है कि इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये एक संयुक्त समिति स्थापित की गई थी। क्या समिति ने इस दिशा में कोई प्रगति की है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पाकिस्तान और भारत के मंत्रियों की मीटिंग हुई थी और दावों की सूची को पद्धति तैयार करने और उसे एक दूसरे के पास भेजने की नीति निर्धारित करने के लिये अधिकारियों की समिति नियुक्त की गई थी। पाकिस्तान सरकार ने एक सूची भेजी थी किन्तु वह पूरी नहीं थी और सम्पत्ति का पता लगा सकने योग्य पर्याप्त जानकारी उसमें नहीं दी गई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय-स्तर पर इस समिति की बैठक निकट भविष्य में होने की सम्भावना है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह पाकिस्तान सरकार पर निर्भर है। इस विषय का सूत्रपात उन्होंने ही किया था।

इण्डिया काफी हाउसेज़

+

†*४९७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड ने इण्डिया काफी हाउसों को शनै शनै बंद करने की योजना के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस नीति को अपनाने के बाद आज तक कुल कितने काफी हाउस बंद हुये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) जिस अभिप्राय से उनकी स्थापना की गई थी वह काफी अंश में पूरा हो गया है। इनकी स्थापना का उद्देश्य काफी को लोकप्रिय बनाना था।

(ग) ३३।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन काफी हाउसों को बन्द करने से कितने व्यक्ति बेरोज़गार हो जायेंगे ? क्या सरकार ने इनके वैकल्पिक रोजगार के लिये कोई व्यवस्था की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसके परिणामस्वरूप ७७५ कर्मचारियों की छटनीं हो चुकी है उनमें से ३०० व्यक्तियों ने सहकारी समिति की स्थापना की है और कुछ मैनेजर तथा अन्य व्यक्ति सरकारी विभागों में ले लिये गये हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : काफी बोर्ड द्वारा प्रोपेगेण्डा कार्य करने के बाद अब जब काफी हाउस बन्द हो गये हैं तो प्रोपेगेण्डा कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : अब काफी बोर्ड ने प्राइवेट रेस्तरां और होटल मालिकों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त काफी हाउस प्रारम्भ कर दिये हैं जहां काफी उपलब्ध होगी .....

†**श्री जोकीम आल्वा** : .....अधिक कीमत पर ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : काफी हाउसों का उद्देश्य काफी का प्रचार करना था ; इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि काफी हाउसों के माध्यम से किये जाने वाले प्रोपेगैण्डा के परिणामस्वरूप काफी उत्पादन में दस प्रतिशत वृद्धि हो गई है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अधिक सुविधायें देकर लोगों में काफी पीने की आदत बढ़ाई जायेगी और क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी ? चाय के निर्यात में हमारे सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं और अब काफी के निर्यात में भी ऐसा ही हो सकता है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हम काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोशिश कर रहे हैं और पिछले वर्ष की अपेक्षा उसका उत्पादन दुगुना हो गया है । दूसरे, मैं काफी के निर्यात को अधिक महत्व इसलिये देना चाहता हूं कि उसका उपयोग यूरोप के प्रायः सभी देशों में किया जाता है । मेरा विचार है कि काफी के साथ चाय का निर्यात भी हो । हमने काफी का उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है और इस दिशा में पर्याप्त कदम उठा रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : ३३ काफी हाउसों के बन्द होने से लगभग ७०० व्यक्तियों की छटनी हो चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने यह संख्या ४७५ बताई थी ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : ७७५ ।

†**श्री तंगामणि** : अतः यह व्यक्ति ७०० से अधिक हैं चतुर्थ श्रेणी के १५० कर्मचारी और लगभग ३७ मैनेजरों के सम्बन्ध में क्या उनके वेतन जुलाई से बन्द हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या वेतन की कटौती पुनः वापस कर दी जायेगी ?

†**श्री सतीश चंद्र** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विषय की ओर निर्देश कर रहे हैं । ७७५ कर्मचारियों में से कुछ लोगों ने सहकारी काफी हाउस प्रारम्भ कर दिये हैं ; इस प्रकार के सोलह सहकारी काफी हाउस प्रारम्भ किये गये हैं और ७० या ८० मैनेजर भी काफी बोर्ड या अन्य सहकारी विभागों में ले लिये गये हैं । भारत सरकार ने अन्य छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी होटलों और अन्य संस्थाओं में यथासम्भव ले लिया है और लिया जा रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : लेकिन मेरा प्रश्न उन व्यक्तियों के वेतन में कटौती से है जो अभी भी नियोजित हैं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या यह सच नहीं है कि स्वयं काफी उद्योग के हित में ही जो मैसूर राज्य और दक्षिण भारत में अधिक व्याप्त है, इन काफी हाउसों का बने रहना इसलिये ही आवश्यक नहीं है कि दूसरे देशों में काफी का प्रचार हो प्रत्युत इसलिये भी आवश्यक है कि लोगों को शुद्ध और खालिस काफी मिलती रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय में माननीय सदस्यों की रुचि देखते हुये यह सिद्ध है कि लोगों में काफी पीने की आदत हो गई है और अब अधिक प्रोपेगैण्डा की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यहां भी काफी हाउस के स्थान पर 'टी बोर्ड' द्वारा संचालित एक चाय की केण्टीन खुल जायेगी ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : पालियामेंट हाउस में काफी हाउस बना रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस विषय में कुछ आशंका हुई तो मैं यह प्रयत्न करूंगा कि काफी बोर्ड यहां चालू रहे ।

कोयला खानों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

+

†*४९८. { **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री बर्मन** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर प्रारम्भ करने के प्रस्ताव की क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ग). यदि हां, तो क्या उनके दृष्टिकोण का आशय बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाएगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने भारत सरकार की सहमति से रानीगंज कोयला खान के लिए आसनसोल में और झरिया कोयला खान के लिए झरिया में काम दिलाऊ दफ्तर खोलने की मंजूरी दे दी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सरकार कोयला खानों के लिए पृथक् काम दिलाऊ-दफ्तर खोलने के लिये क्यों तैयार हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह काम दिलाऊ दफ्तर इन कोयला खान क्षेत्रों में छटनी शुदा और फालतू मजूरों को सहायता प्रदान कर उनका मार्ग प्रदर्शन करेंगे ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि कोयला क्षेत्र भरती संगठन के अधीन गोरखपुर श्रम संघ मजूरों की व्यवस्था कर रहा है ? क्या भरती संगठन के अतिरिक्त सरकार अन्य संगठनों को भी प्रोत्साहित कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : गोरखपुर क्षेत्र सरीखे स्थानों में कुछ भरती केन्द्र हैं । उनका काम इन काम दिलाऊ दफ्तरों से सर्वथा जुदा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन काम दिलाऊ दफ्तरों का खर्च कौन वहन करेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इसका अनुपात ६० : ४० है । केन्द्र द्वारा ६० और राज्यों की ओर से ४० ।

†**श्री जयपाल सिंह** : दामोदर कोयला क्षेत्र काम दिलाऊ दफ्तर न खोलन का कोई विशेष कारण है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रारम्भ में हम केवल दो अग्रिम काम दिलाऊ दफ्तर ही खोल रहे हैं और अनुभव होने पर हम इनकी संख्या बढ़ायेंगे ।

वर्षा से क्षति

†*४९९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून ऋतु में दिल्ली की सरकारी इमारतों को कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) अलग अलग खर्च कितना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) ३८,०२७ रुपये ।

(ख) मंजूर की गई रकम ३८,०२७ रुपये ।

खर्च की गई रकम १०,६७५ रुपये ।

(ग)

	रुपये
(१) मलेरिया इंस्टीट्यूट दिल्ली की चहारदीवारी .	३,३००
(२) दिल्ली पोलीटैकनीक की चहारदीवारी .	५००
(३) पुलिस हेडक्वाटर्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली की इमारत	१,५००
(४) सफदरजंग फायर स्टेशन, नई दिल्ली	७५
(५) विक्टोरिया जनाना अस्पताल, दिल्ली	३००
(६) गवनमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली	५,०००
कुल	१०,६७५

अन्य मामलों में मरम्मत हो चुकी है किन्तु ठेकेदारों के बिलों का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है, और यदि हां, तो इस जांच का क्या निष्कर्ष है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : प्रधान मंत्री ने श्री के० सी० रेड्डी के चेयरमैनशिप में इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति द्वारा प्रस्तुत एक अन्तर्कालीन रिपोर्ट लोक-सभा के पटल पर रख दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच पूरी हो गई है; इसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : एक अन्तर्कालीन रिपोर्ट पटल पर रख दी गई है । समिति की कार्यवाही अभी जारी है । यह एक जटिल समस्या है । हम आशा करते हैं कि इस महीने के अन्त तक अन्तिम प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : जहां तक इमारतों की क्षति का सवाल है उसकी जांच हो चुकी है । माननीय सदस्य ने दिल्ली और नई दिल्ली की इमारतों, सड़कों, नाली-व्यवस्था और मल निस्सारण प्रबन्ध की हानि की ओर निर्देश किया था । समिति की पहली रिपोट १८ अगस्त को लोक सभा के पटल पर रखी जा चुकी है । अभी समिति की कार्यवाही जारी है । यह अत्यन्त जटिल और विवादग्रस्त समस्या है । इसमें अनेक टैक्नीकल विषय अर्न्तग्रस्त हैं । तीन टेक्नीकल दल विभिन्न प्रकार की जांच कर रहे हैं । उनकी जांच रिपोर्ट पिछले महीने में मिलनी चाहिये थीं और अब शीघ्र ही उनके प्राप्त होने की आशा है । समिति इस विषय पर विचार कर रही है और प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट दिसम्बर के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगी । जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है इस दिशा में कार्यवाही कर ली गई है ; इस विषय का अध्ययन किया जा चुका है और अब कुछ नहीं करना है ।

†**श्री वोडयार** : क्या भविष्य में इमारतों की बनावट अन्य प्रकार की होगी क्योंकि उनका वर्तमान रूप त्रुटियुक्त समझा गया है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं । उन दिनों अत्यधिक वर्षा के परिणामस्वरूप कुछ पुरानी इमारतों को भी हानि पहुंची थी । जैसा विवरण से प्रकट है इसमें साधारण रकम खर्च हुई है ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि जब कृषि भवन के तहखानों में पानी भर गया था तब अधिकारियों ने कर्मचारियों की सहायता से पानी हटाने की कोशिश की थी किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । यदि हां, तो उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली और उस पर कितनी रकम खर्च हुई ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह विषय लोक-सभा में पहले भी रखा गया था । कृषि भवन के तहखाने में पानी भर गया था और हमें प्रतिरक्षा सेवा से अतिरिक्त पम्प मंगाने पड़े थे । यथा समय पानी तहखाने से बाहर निकाल दिया गया था ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इसके लिए मैं माननीय सदस्य का ध्यान अन्तर्कालीन रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूंगा । उसमें तहखाने के सम्बन्ध में पूरा एक पृष्ठ दिया गया है . . . . . यदि वह उस विवरण को देख लें तो उन्हें सारी जानकारी मिल जायेगी जो वह चाहते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है । क्या इस बारे में कोई जांच की गई कि निर्माण में त्रुटियां होने के कारण निर्माण तथा देख रेख निर्धारित स्तर से कम होने के कारण कितनी हानि हुई ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी नहीं, यह बाढ़ इस लिये नहीं आई कि इमारतों की देख रेख ठीक नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इमारतों की हुई सामान्य क्षति के बारे में जानकारी चाहते हैं। उनका यह अभिप्राय है कि क्या इमारतों के निर्माण और उनकी देख रेख में त्रुटियां होने के कारण क्षति पहुंचने के बारे में प्रतिवेदन में कुछ कहा गया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि १२ या १३ इमारतों को क्षति पहुंची। माननीय सदस्य एक सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या इन इमारतों के निर्माण अथवा देख रेख के बारे में जांच की गई। इसका उत्तर स्वीकारात्मक है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : टेलीफोन एक्सचेंज और कृषि भवन को कुल कितनी क्षति पहुंची ? क्या यह सच है कि गत वर्ष भी चेतावनी दी गई थी परन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे यह कठिनाई पैदा हुई ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इमारत को कोई क्षति नहीं पहुंची।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न इमारत को हुई क्षति तक ही सीमित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि टेलीफोन ऐक्सचेंज की इमारत और कृषि भवन में किस प्रकार की क्षति पहुंची। क्या गत वर्ष इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था परन्तु एक वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

†**श्री क० च० रेड्डी** : टेलीफोन एक्सचेंज में हुई क्षति के बारे में माननीय सदस्य परिवहन तथा संचार मंत्री से पूछ सकते हैं। इस बारे में लोक-सभा और राज्य सभा में पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जानकारी दी जा चुकी है। पहले हमें कोई नोटिस दिया गया था या नहीं इसका उत्तर देने के लिये मुझे और जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिसम्बर तक दूसरी रिपोर्ट आ जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आने वाली बरसात से पहले सियुअर सिस्टम वग़ैरह ठीक हो जायेंगे, ताकि दोबारा इस तरह के डैमेजिज़ न हो सकें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा चुकी है।

समाजार्थिक आयोजन[1]

†*५००. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना को कार्यान्वित करने के लिये जनशक्ति संसाधनों के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा संगठनों का सामाजार्थिक आयोजन के लिये उपयोग करने की कोई योजना बनाई गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। जहां तक सम्भव है, प्रतिरक्षा सेवाओं का उपयोग विकास कार्य के लिये किया जा रहा है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : इस बात को देखते हुये कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के लिये व्यक्तियों की कमी अनुभव कर रहा है और साधू समाज, भारत सेवक समाज और अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के बाद भी योजना मंत्रालय कोई ऐसी योजना नहीं बना सका जिस से देश की जनशक्ति को प्रयोग में लाया जा सके, योजना आयोग और योजना मंत्रालय इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Socio-economic Planning.

सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को कुछ काम सौंपे जायें जैसा कि अमरीका में बाढ़ आने पर और अन्य ऐसी परिस्थितियों में इंजीनियर साधारण तौर पर ऐसे काम करते हैं—मानो शान्ति काल में उनका यही कर्तव्य हो।

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यह बात सही नहीं है कि जन-शक्ति के अभाव के कारण हमारे विकास कार्य में अड़चन पैदा हो रही है। इसके विपरीत देश में बेरोज़गारी की समस्या है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : प्रशिक्षित और अनुशासन में काम करने वाले व्यक्ति ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक सशस्त्रबल के कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने का सम्बन्ध है यह प्रश्न कई बार उठाया गया है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है। सेना को एक विशेष कर्त्तव्य सौंपा गया है और जहां तक सम्भव है वे हमारे विकास कार्य में भी सहयोग दे रहे हैं।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या योजना तैयार करने वाले व्यक्ति इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि प्रतिरक्षा संगठनों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण का काम सौंपा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : गत दो या तीन वर्ष में जब कभी मौका मिला माननीय सदस्य ऐसे सुझाव देते रहे हैं। सदा यही उत्तर दिया गया है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अन्य कामों में नहीं लगाना चाहिये। इस मतभेद को प्रश्न काल में तय नहीं किया जा सकता।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इन्ही दिनों में, मुझे तिथि तो ठीक से याद नहीं, माननीय सदस्य के एक प्रस्ताव पर जो लगभग इसी विषय से सम्बद्ध है, चर्चा होने वाली है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : वह अलग बात है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसके लिये तैयार हूं। यह सभा को विचार करना होगा कि प्रतिरक्षा के उपकरण, टैक्नीकल कर्मचारियों और साधारण कर्मचारियों का प्रयोग किस ढंग से किया जाये। सब से बड़ी बात तो यह है कि प्रतिरक्षा विभाग के उपकरण का प्रयोग किया जाये जिसका प्रयोग युद्धसामग्री कारखानों में पूरी तरह नहीं होता और उनके टैक्नीकल कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जाये जो बड़े दक्ष होते हैं। साधारण सैनिकों की सेवायें प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि हमारे देश में जन-शक्ति की कमी नहीं है। यदि कोई उपयुक्त सुझाव दिया जाये, जिससे उनके अपने काम की हानि न हो, तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

†**श्री च० द० पांडे** : सेना में 'सैपर' और 'माइनर' सड़कें और पुल बनाने के काम में बड़े दक्ष होते हैं और ऐसे संचार साधनों की बहुत कमी है, यदि सरकार सड़कें बनाने का कुछ काम सेना को सौंप दे तो वह कार्य शीघ्र समाप्त हो सकता है और हमारे लिये भी सुविधा हो सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं श्रीमान्। सेना कुछ सड़कें बना रही है और उन्हीं ने कुछ बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई हैं जैसे कि नैपाल की सड़क और कुछ अन्य। वे यह काम करते

†मूल अंग्रेजी में

रहेंगे परन्तु हम सदा उन से ऐसे असैनिक कार्य नहीं करा सकते । भारत में आदमियों की कमी नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या योजना आयोग ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्राधिकारियों से परामर्श करते हुए कभी इस समस्या पर विचार किया है ?

†**श्री नन्दा** : जी हां, हम इस विषय पर प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श कर चुके हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय प्रधान मंत्री न कहा कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं क्या गैर-सरकारी क्षेत्र यह प्रयत्न कर रहा है कि प्रतिरक्षा उद्योगों का विस्तार न हो और क्या प्रयत्न किये.....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक को छोड़ कर दूसरे विषय में जा रहे हैं। इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता। माननीय प्रधान मंत्री ने निश्चित रूप से यह कहा है कि हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं इस लिये असैनिक कामों के लिये उनका प्रयोग करना उचित नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सेना में साधारण सैनिक भी होते हैं और टैक्निकल कर्मचारी तथा उपकरण भी। हाल ही में प्रतिरक्षा उत्पादन प्रदर्शनी की गई थी और इस समय भी "इंडिया–१९५८" प्रदर्शनी में प्रतिरक्षा सेवाओं का एक बहुत बड़ा पेविलियन है जिस में दिखाया गया है कि वहां वास्तव में क्या काम हो रहा है। भविष्य में क्या होगा इसको छोड़िये प्रतिरक्षा सेवायें तो अब भी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं। परन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि जब प्रतिरक्षा विभाग उत्पादन करता है तो कुछ माननीय सदस्य यहां आपत्ति करते हैं क्योंकि उनकी यह राय है कि गैर-सरकारी क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

†**श्री जाधव** : क्या भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये इन टैक्निकल कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त नहीं की जा सकतीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने सुझाव देना भी शुरू कर दिया परन्तु प्रश्न काल में मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। ये सुझाव तो कभी खत्म ही नहीं होंगे।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को देखते हुए कि १९५२–५३ में सेना कर्मचारियों ने रायलसीमा के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया था क्या सरकार इस बारे म विचार करेगी कि उन क्षेत्रों में सेना कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त की जायें जहां लगभग प्रत्येक वर्ष दुर्भिक्ष पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी सदस्य अपने सुझाव माननीय प्रधान मंत्री को भेज दें ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : साधारण सैनिकों को सेवा काल में टैक्नीकल प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिस से कि उनकी सेवा समाप्त हो जाने पर वे.....

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : "ताकि" की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है।

†**श्री नन्दा** : कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजन से कुछ योजनायें कार्यान्वित की जा रहीं हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति से काम लिया जाये? एक व्यक्ति को भी न छोड़ा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

कपड़ा मिलें

\+

†*५०२. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह अनुज्ञा दे दी है कि वे सक्षम न्यायालयों के आदेशों के अधीन उन मिलों को अपने हाथ में ले लें जो बन्द की जा चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों न कितनी मिलें अपने हाथ में ले ली हैं अथवा लेने की सम्भावना है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने कपड़े की बन्द मिलें अपने हाथ में ली हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). केरल और बम्बई की सरकारों ने चार (प्रत्येक ने दो) सूती कपड़े की मिलें पट्टे पर ली हैं। इन में से तीन न्यायालयों के अनुमोदन से प्राप्त की गई हैं। चौथी मिल भी १९५३ में न्यायालय के आदेश के अधीन ली गई थी परन्तु १९५६ से इसे सम्बन्धित सरकार और मिल कम्पनी के बीच बन्धक पत्र लिखे जाने के आधार पर रखी गई है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यह बताना सम्भव नहीं कि भविष्य में और कितनी मिलें ग्रहण की जायेंगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कानपुर में दो मिलें—मैसर्ज एथर्टन वैस्ट, लिमिटड और कानपुर काटन मिल्ज़—बन्द हो गई हैं, क्या सरकार ने इन्हें भी अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है और यदि हां, तो कब ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एथर्टन वैस्ट लिमिटड के बारे में जांच हो रही है परन्तु भारत सरकार ने इन्हें चलाने का काम अपने हाथ में नहीं लिया है। समाचारपत्रों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में विचार कर रही है परन्तु सरकारी तौर पर ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कानपुर काटन मिल्ज़ का क्या हुआ जिसके प्रबन्धकों में मुंदड़ा भी शामिल थे? उस मिल का क्या हुआ? क्या सरकार उस मिल को अपने हाथ में लेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मिलों को राज्य सरकारें अपने हाथ में लेंगी और राज्य सरकारों से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत में इस समय कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : ३६ मिलें पूर्णतः और ३२ अंशतः बन्द पड़ी हैं ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : ४७३ मिलों में से कितनी मिलें लाभप्रद हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है परन्तु १९५२-५३ में एक दल ने इस बारे में जांच की थी और पता लगाया था कि ८० प्रतिशत से अधिक मिलें लाभप्रद हैं और २० प्रतिशत ऐसी हैं जिन से या तो कोई लाभ नहीं होता या लाभ नगण्य है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी मशीनें आधुनिक हों और वे पुनः चलने लगें।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार को यह पता चला है कि मैसूर राज्य में कपिला टैक्सटाइल मिल्ज़ बन्द हो गई है और बहुत से कर्मचारी बेकार हो गये हैं। सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य को सब सदस्यों से अधिक मालूम है कि हम ने कपिला टैक्सटाइल मिल्ज़ को फिर से चालू करने के लिये क्या कुछ किया है ?

†**श्री दामानी** : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मिलों पर वे श्रम विधियां तथा सुविधायें लागू नहीं होतीं जो उत्पादन व्यय कम होने के कारण अन्य मिलों पर लागू होती हैं और अन्य मिलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह धारणा सही नहीं है। पिछली बार भी मैं ने यह गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी कि केवल शोलापुर की नरसिंह जी मिल्ज़ के श्रमिकों ने ही कुछ समय तक बाद में मजूरी लेना स्वीकार किया था—बाद में बम्बई के मुख्य मंत्री ने मजूरी समय पर दिला दी थी—इसके अतिरिक्त बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी ऐसी मिल नहीं जहां श्रम सम्बन्धी विधियां लागू न होती हों अथवा उनसे प्राप्य सुविधायें श्रमिकों को न दी जाती हों।

श्री रा० क० वर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि नजरअली मिल्स उज्जैन, गेंदालाल मिल्स जलगांव तथा गोपाल मिल्स भरोंच के सम्बन्ध में क्या विचार किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है वह इस बारे में है कि किस किस मिल को कोर्ट के रिसीवर के नीचे लिया गया है। जहां तक मिलों के बन्द होने का सवाल है, ३६ मिलें बन्द हैं, ३२ पार्श्यली क्लोज्ड हैं। हमने जो काम किया है उसके नतीजे के तौर पर दस मिलें फिर इसी साल के अन्दर चालू हो गई हैं। हम हर मिल के पीछे जाते हैं, देखते हैं कि किस वजह से वह बन्द हुई है, क्या किया जा सकता है जिससे वह चालू हो सकती है तथा कौन से तरीके किये जा सकते हैं। हमारी तवज्जह इस तरफ है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मिलें हो सकें, चालू हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : सरकार ये मिलें किन शर्तों पर और कितनी सीमा अवधि में उनके असल मालिकों को, जब मिलों की हालत अच्छी हो जायगी और वे इन्हें लेना चाहेंगे, देगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि वे वापस लेना चाहें तो इस में कोई रुकावट नहीं होगी। यदि किसी मिल पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५, १६, १७ अथवा २० के अन्तर्गत कब्जा किया गया है और सरकार को इस बात का निश्चय है कि नियंत्रकों के प्रयत्नों से मिलें अथवा उनके यूनिट पुनः ठीक से चलने लगे हैं और यदि मिल के असल मालिक अथवा अंशधारी हमारे पास प्रार्थना पत्र भेजते हैं कि मिल उन्हें लौटा दी जाय तो उस पर उचित रूप से विचार किया जायगा। परन्तु यह सब उन मिलों के प्रबन्ध की वर्षों पुरानी त्रुटियां दूर करने के बाद ही किया जायगा और तब तक मिलें नहीं लौटाई जायेंगी जब तक हमें यह विश्वास न हो जाय कि पहले के मालिक उसके प्रबन्ध में सुधार कर सकेंगे।

†श्री अ० चं० गुह : वस्त्र जांच समिति ने इन बन्द मिलों को एक कारपोरेशन द्वारा चलाने की जो सिफारिश की थी क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं तो सरकार ने इन मिलों को चलाने के लिये कौन सा वैकल्पिक सुझाव दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न को व्यापक रूप दे रहे हैं। प्रश्न को केवल यहां तक ही सीमित रखें कि राज्य सरकारों को ये मिलें अपने हाथ में लेने के लिये रहने के बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : भारत में ७० मिलें बन्द हो गई हैं। यह गम्भीर विषय है।

†अध्यक्ष महोदय : हम शीघ्र ही वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन और निर्यात संवर्धन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब माननीय सदस्य अपने सभी प्रश्न पूछ सकेंगे।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

+

†*५०३. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से व्यापार करने वाले व्यापारियों की किसी संघ ने उन्हें वहां के भारतीय व्यापारियों की दुर्दशा के बारे में कोई ज्ञापन भेजा था ;

(ख) यदि हां तो उनकी शिकायतें किस प्रकार की थीं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन्हें दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) वह ज्ञापन चीन के तीब्बत क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों की हालत सुधारने के लिये था। उनके प्रमुख निवेदन ये थे कि तिब्बत में आयात की जाने वाली उत्पादन शुल्क देय वस्तुओं पर अवहार देने के लिये "लैंडिंग सर्टिफिकेट[1]" जारी करने की प्रक्रिया बदली जाये, यातुन्ग में भारतीय व्यापार अभिकर्ता को भारतीय व्यापारियों के पार पत्रों को पुनः नये करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाय, भारतीय व्यापारियों को तिब्बत में निजी मोटर गाड़ियां चलाने और ज़मीन खरीदने की अनुमति मिले और भारतीय व्यापारी संघ को मान्यता दी जाये।

(ग) १९५४ की सीनो-भारतीय करार और भारत-चीन व्यापार करार को देखते हुए इन मामलों पर विचार किया जा रहा है। जिन मामलों का भारत सरकार से सम्बन्ध है उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी और अन्य के बारे में यदि आवश्यक समझा गया तो चीन के लोक गणराज्य से कहा जायेगा।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या निकट भविष्य में व्यापार करार का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : जब से कि सन् १९५४ में तिब्बत पर चीन का अधिकार हुआ है इस तरह की समस्याएं उठती जा रही हैं। इस सम्बन्ध में कब तक फैसला हो जाने की आशा की जा सकती है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किस तरह की समस्यायें?

श्री भक्त दर्शन : जिस तरह की समस्याओं का उल्लेख किया गया है और जो मैमोरेंडम दिया गया है, इस तरह की शिकायतें प्रायः होती रहती हैं और प्रतिवर्ष इनके बारे में आश्वासन दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इनके बारे में कब तक फैसला हो जायेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आता है। उन्हें चन्द तकलीफें जरूर हुआ करती हैं, कुछ मुनासिब थीं, कुछ नामुनासिब थीं, कुछ उनकी गलतियां थीं। यह पेचीदा सवाल है। इस गलत सवाल का मैं क्या जवाब दूं। चीनी गवर्नमेंट के अपने कायदे हैं। उनके कायदे बदलते हैं। तो यह एक पेचीदा मामला है। यह ऐसा आसान सवाल नहीं है कि जिसका जवाब मैं हां या ना में दे सकूं।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सूटेबल ऐक्शन लिया जायेगा। सूटेबल ऐक्शन से उनका क्या मतलब है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो मतलब है वह मैं आपको बता दूं। उसमें एक दो बातें हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है यानी हम पासपोर्ट के बारे में कुछ कर सकते हैं। बाकी सब चीनी हकूमत करती है। और इस मामले में ऐक्शन एक ही हो सकता है। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Landing Certificate.

जवाब तो अर्सा हुआ लिखा गया था। इस वक्त हमारे जो ट्रेड एजेंट हैं यातुन्ग में वह चीनी अफ़सरों से बातचीत करते हैं।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इन कठिनाइयों का भारतीय व्यापार पर कोई असर पड़ा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लगभग तीन चार वर्ष पूर्व यातुंग द्वारा भारत-तिब्बत व्यापार अचानक बहुत बढ़ गया। इसके फलस्वरूप गत तीन चार वर्ष में यातुंग में हिन्दुस्तानियों ने बहुत सी दुकानें खोल लीं क्योंकि यह लाभप्रद था परन्तु पिछले वर्ष हालत काफी बदल गई। कुछ नये नियम आदि बन गये और यातुंग में जो १०० दुकानें हैं उन्हें वे सुविधायें प्राप्त नहीं जो उन्हें पहले मिली हुई थीं। इसके कारण कुछ दुकानें बन्द हो गईं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत व्यापार पर इसका बहुत असर पड़ा है कि चीनी प्राधिकारी चांदी के डालरों अथवा भारतीय बैंकों के चेकों की बजाये नोटों में भुगतान करने का प्रयत्न कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने इह गतिरोध को दूर करने के हेतु चीनी प्राधिकारियों से कोई बातचीत की है?

†**अध्यक्ष महोदय** क्या यह ज्ञापन का ही अंग है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। परन्तु अन्य सरकारों की तरह चीन सरकार को भी विदेशी मुद्रा की कमी है। गत वर्ष से पूर्व भारत को चांदी के काफी डालर प्राप्त हुए और इस प्रकार भारत को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई परन्तु अब हमारी तरह वे भी विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं इस से भारतीय व्यापारियों के लाभ का एक साधन खत्म हो गया। हम इस का विरोध नहीं कर सकते। प्रायः मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता है। वह हम से कुछ वस्तुयें ले कर अपनी वस्तुयें हमें दे देते हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : चांदी के डालरों के रूप में भुगतान न करने से भारत-तिब्बत व्यापार को हानि पहुंच रही है क्योंकि भारतीय व्यापारी चीनी मुद्रा के नोट स्वीकार नहीं करते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस गतिरोध कों दूर किया जा रहा है या नहीं क्योंकि हमारे बैंकों पर तो हमारा ही नियंत्रण है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम अपने बैंकों को नोट स्वीकार करने के लिये कैसे कह सकते हैं। हम किसी दूसरे देश के नोट स्वीकार नहीं करते।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये बातचीत करनी पड़ेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि सन् ५४ में जब तिब्बत के सम्बन्ध में चीन के साथ मुआहिदा हुआ था उसके बाद से परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब तिब्बत के व्यापारी भारत के व्यापारियों के बनिस्बत चीन के व्यापारियों के साथ व्यापार को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सवाल मेरी कुछ समझ में नहीं आया । मैं आपसे अर्ज करूं कि सन् ५६ तक हिन्दुस्तान के व्यापारियों को वहां काफी फायदा होता था और इसलिए मालूम नहीं बीस पच्चीस या तीस नई दुकानें वहां एकदम खुल गयी। अब वहा कुछ सख्ती हो रही है खासकर फारिन एक्सचेंज की वजह से और कुछ दूसरी दिक्कतें भी हैं, बाज मुनासिब हैं और बाज नामुनासिब हैं। मेरा मतलब हमारे व्यापारियों के साथ नामुनासिब सख्ती हुई। अब इस बारे में हम उनसे महज़ कह सकते हैं कि यह सख्ती नहीं होनी चाहिए, और कोई कार्यवाई तो हम कर नहीं सकते ।

पश्चिमी जर्मनी को निर्यात

+

†*५०४. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५८ में दो जर्मन विशेषज्ञ दिल्ली आये और उन्होंने भारत से पश्चिमी जर्मनी को निर्यात बढ़ाने के अर्थोपायों पर चर्चा की।

(ख) क्या उन्होंने इस उद्देश्य से भारत के किन्हीं व्यापार केन्द्रों का दौरा किया ; और

(ग) क्या निर्यात बढ़ाने के लिये कोई करार हुआ है और यदि हां, तो करार किस प्रकार का है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं। वे केवल मंत्रणा देने और कुछ खोज करने के लिये आये थे।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : ये विशेषज्ञ किस किस स्थान पर गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : एक व्यक्ति की तम्बाकू के मिश्रण में दिलचस्पी थी, अतः वह तम्बाकू की मंडी और दक्षिण के उन स्थानों पर गया, जहां तम्बाकू का उत्पादन होता है। अन्य सज्जन जो निर्यात को प्रोत्साहन देने में रूचि रखते थे, वह बम्बई, बंगलौर, कोचीन और मद्रास जैसे स्थानों पर गये, जहां से कि निर्यात किया जाता है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : पश्चिम जर्मनी में हमारे यहां से किन-किन चीजों का निर्यात किया जाता है और अब इस दौरे के पश्चात् वहां किन-किन चीजों का निर्यात किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, परन्तु इन विशेषज्ञों ने पश्चिमी जर्मनी से अपना निर्यात बढ़ाने के संबंध में कुछ सलाह दी है ।

†**श्री पाणिग्रही** : आम तौर पर भारत से पश्चिमी जर्मनी को किस चीज का निर्यात होता रहा है और क्या इस में कुछ कमी हुई है, और यदि हां तो वह चीज कौन सी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : युद्ध के तत्काल पश्चात् पश्चिमी जर्मनी से व्यापार बिल्कुल बन्द हो गया था और अब यह ठीक हो रहा है। हमारे यहां से चमड़ा और खालों, पटसन, लाख, अभ्रक और कुछ रूई निर्यात होता रहा है। परन्तु अब हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां अन्य चीज़ों का भी निर्यात किया जा सके।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि हमारी पश्चिमी जर्मनी के साथ भुगतानशेष की स्थिति हमारे प्रतिकूल थी, इसलिये इस शिष्टमंडल के दौरे के पश्चात् पश्चिमी जर्मनी से हमारे निर्यात में और कितनी वृद्धि हो सकेगी ?

†**श्री कानूनगो** : पहले से कुछ कहना तो संभव नहीं क्योंकि अभी कुछ समय तक हमारे यहां से अधिकतर आयात मशीनरी आदि का होगा, और उसका मूल्य काफी ऊंचा है। इस स्थिति का एक ही इलाज है कि इस कमी को पूरा करने के लिये अपने निर्यात के सभी साधनों का प्रयोग किया जाये।

†**श्री त्यागी** : बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न क्या है ?

†**श्री त्यागी** : पश्चिमी जर्मनी से हमारी व्यापार सन्तुलन स्थिति कुछ विपरीत है। यह १९५६ में ६६ करोड़ था और १९५७ में १०६.६ करोड़ हो गया, और विशषकर पश्चिमी जर्मनी के कारण. . . . ..

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री त्यागी** : अब पश्चिमी जर्मनी ने अन्य बहुत से देशों से भी करार किये हैं और उन्हें प्रशुल्क में भी सुविधायें देना तय पाया है। इस प्रकार के करार के पश्चात् ही योरपीय सामान्य मंडी करार का अस्तित्व सामने आया है। व्यापार सन्तुलन की इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : वह करार अभी नहीं किया गया है।

†**श्री त्यागी** : यह करार १ जनवरी से लागू होगा।

†**श्री कानूनगो** : अभी इस पर चर्चा चल रही है, हमें पता है कि सन्तुलन रखना कठिन होगा, क्योंकि हमें ऊंची कीमतों की मशीनरी इत्यादि का आयात जारी रखना होगा। अतः हम यह जानने के लिये सभी प्रकार की सहायता ले रहे हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिये, निर्यात किस प्रकार बढ़ाया जाय।

†**श्री त्यागी** : बड़े स्तर पर व्यापार करने से पूर्व क्या हम उनसे यह बातचीत नहीं कर सकते कि वह हम से अधिक से अधिक चीजें खरीदें ?

†**श्री कानूनगो** : ठीक यही किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या ऐसा किया गया है ?

---

†नून प्रंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : हाल ही में हमारे मंत्री श्री मनुभाई शाह पश्चिमी जर्मनी गय थे। क्या उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधियों से भारतीय चीजों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के संबंध में उनसे बातचीत की थी। यदि हां, तो वह किन चीजों के संबंध में थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आप पश्चिमी जर्मनी का उल्लेख कर रहे हैं अथवा पूर्वी जर्मनी का ?

†**श्री पाणिग्रही** : मैं पश्चिमी जर्मनी की बात कर रहा हूं।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जैसा कि मेरे सहयोगी मित्र ने अभी कहा है, रोम का व्यापार करार अगले वर्ष अस्तित्व में आयेगा, जबकि सामान्य मंडी स्थापित होगी। हमारे जैसे देश जिनको निर्मित माल के लिये दूसरों पर आश्रित रहना होता है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा देश बहुपक्षीय है और हमें यूरोपीय देशों के अलावा द्विपक्षीय करार पसन्द नहीं है। अतः हमारा प्रयत्न यह है कि अपने व्यापार का विकर्षण किया जाय। पश्चिमी जर्मनी में मैंने बहुत से व्यापारी संघों से सम्पर्क स्थापित किया है। और यदि हमारे व्यापारी सरकार की सहायता से अपने भरसक प्रयत्न जारी रखें, तो पटसन चाय, सूती कपड़ा, लाख और विभिन्न प्रकार की अन्य चीजों के लिय जर्मनी में काफी विस्तृत बाजार मिल सकता है। और जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि हमें मशीनरी इत्यादि का आयात करना है अतः हमें प्रयत्न करना चाहिये कि जर्मनी को हम अधिक से अधिक चीजें बेच सकें। इस दिशा में व्यापारियों और सरकार के बीच प्रयत्न जारी रहने चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही सात से अधिक प्रश्नों की स्वीकृति दे दी है।

चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए इमारतें

†*५०६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये चंडीगढ़ में एक कई मंजिलों वाली इमारत बनाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ; और

(ग)

†**निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) प्राक्कलन और योजना तैयार की जा रही है।

(ग) एक बहु मंजिली इमारत में निम्न कार्यालयों के आवास की व्यवस्था की जायगी :

(१) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (१७,००० वर्ग फुट)

(२) केन्द्रीय जन निर्माण विभाग (२,००० वर्ग फुट)

(३) गृह-कार्य मंत्रालय (१५,००० वर्ग फुट)

†**श्री राम कृष्ण** : क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्यालयों के लिये पंजाब सरकार से बहुत सी इमारतें खरीदी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमने चंडीगढ़ में कोई घर नहीं खरीदा है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चंडीगढ़ में मकान खरीदे जा रहे हैं, कब तक उस बारे में फैसला हो जायेगा और कब तक यह मकान बन जायेंगे ?

श्री अनिल कु० चन्दा : मैंने अपने उत्तर में यह बता दिया था कि योजना और प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

कपड़ा मिलों क मजदूर

*५०७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने से इस समय कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ;

(ख) क्या बंगाल की कपड़ा की मिलों में काम करने वाले मजदूरों को बम्बई और मद्रास की मिलों में काम करने वाले मजदूरों से कम मजूरी मिलती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जनवरी १९५८ से ३४८९० ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के कपड़ा मिलों में मजदूरों के महंगाई भत्ते की दर कम है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : जब सरकार कोई मिल फिर से चलाना आरम्भ करेगी तो क्या श्रमिकों को उतने समय का वेतन मिलेगा जितने समय वह बन्द रही थी ?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा था कि ३४,००० श्रमिक खाली बैठे हैं । क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में आई है कि कानपुर की दो मिलों में दो-तीन लाख रुपये तक की मजूरी का भुगतान नहीं दिया गया । वेतन दिलवाने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री आबिद अली** : जो कुछ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नियम हैं उसके अनुसार जो कुछ उनका बनेगा वह उन्हें प्राप्त हो जायेगा । जहां ऐसा नहीं होता और उस मामले की जानकारी हमें मिलती तो उसे संबंधित राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है । क्योंकि इस चीज के प्रशासन का कार्य उनके हाथ में है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : आज कल कपड़ा उद्योग संकट में है । क्या विभिन्न राज्यों और उद्योगों में जो मजूरी दी जाती है उसकी जांच करके, सरकार इस प्रकार मजूरी निर्धारित कर देगी जिससे कि राज्य अथवा उद्योग के कर्मचारियों को कोई हानि न हो ?

†**श्री आबिद अली** : इस उद्योग के लिये वेतन बोर्ड नियुक्त किया जा चुका है, और इस बात पर विचार होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेन वाले कर्मचारियों का क्या होगा ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि वेतन और मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों में कुछ अन्तर है। उन्होंने यह भी कहा है कि वेतन बोर्ड स्थापित हो चुका है। यह वेतन बोर्ड कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसमें कुछ महीने लगेंगे।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या कर्मचारियों का सम्बन्ध मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था से है ?

†**श्री आबिद अली** : इस मामले में नहीं।

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमन् को यह ज्ञात है कि बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को बम्बई और अहमदाबाद की मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की अपेक्षा कम मंहगाई भत्ता मिलता है और वह समझौता एकट से सम्बन्धित ट्रेड यूनियन ने किया था ?

श्री आबिद अली : बदकिस्मती है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग भी वर्कर्स पर प्रभावित हो गये हैं जो कि इनके संगठन के मामले को अलग रख करके सियासत उसमें शामिल कर देते हैं और इसलिए वह पीछे रहते हैं जैसे कि बदकिस्मती से खासतौर से बंगाल में हुआ है जहां पर कि वर्कर्स को सिर्फ़ ६० रुपय मिलत हैं जब कि बम्बई में ११४ पये मिलते हैं जहां के वर्कस आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंन पहले ही काफी प्रश्नों की अनुमति दी है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विस्तार में नहीं जा सकत।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछ लेन दिया जाय। मेरा नाम भी उसमें है, मुझे कम से कम एक प्रश्न तो पूछ लेन दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु वह खड़े ही नहीं हुय।

श्री भक्त दर्शन : मैं चार, पांच बार खड़ा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो देखता था, खैर आप अपना एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री ने बताया कि जनवरी में बेरोजगार मज़दूरों की संख्या ३४८९० थी। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय क्या स्थिति है और उनको रोज़गार दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री आबिद अली : इस सम्बन्ध में तो प्रश्न संख्या ५०२ के अन्तर्गत काफी बहस मुबाहिसा आज ही इस सदन में हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने कहा है कि मिलों के बन्द होने के कारण ३४८९० कर्मचारी बेकार हो गये हैं। क्या यह संख्या सब ३२ मिलों के कर्मचारियों की है, अथवा इसमें वे भी सम्मिलित हैं जो कि ३६ अन्य मिलों के बन्द हो जाने से बेकार हुये हैं ?

†श्री आबिद अली : ५०२ प्रश्न के उत्तर में मेरे माननीय सहयोगी श्री मनुभाई शाह ने यह बात स्पष्ट कर दी थी।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : यह दोनों के हैं।

†अध्यक्ष महोदय : श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री मोहम्मद इलियास, श्री श्रीनारायण दास।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न संख्या ५१० है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं अभी उस तक नहीं पहुंचा हूं। चूंकि श्री श्रीनारायण दास उपस्थित नहीं हैं, इसलिये हम अगला प्रश्न लेंगे।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न संख्या ५१०।

†श्री तंगामणि: श्री श्रीनारायण दास यहां है, और वह भी इस प्रश्न के पूछने वालों में से है।

†अध्यक्ष महोदय : परन्तु जब मैंने उन्हें पुकारा था तो वह खड़े नहीं हुऐ। मैं किसी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

†एक मननीय सदस्य : उन्होंने अब पूछा है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं जब किसी माननीय सदस्य का नाम लूं तो उसे अपना प्रश्न पूछना चाहिये।

†श्री श्रीनारायण दास : मेरा नाम प्रश्न सूची में नहीं छपा था, इसलिए मैंने प्रश्न नहीं पूछा।

†अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उनका नाम है, और वह अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

गोरखा रंगरूटों के लिये मार्गस्थ ब्रिटेन के शिविर

+

†*५०९. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्रों में गोरखा रंगरूटों को रखने और अपनी सेना में उन्हें भर्ती करने के लिये बनाये गये मार्गस्थ शिविर पूर्णरूपेण बन्द कर दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें समाप्त होने में कितना समय और लगेगा ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). लेहरा जलपहार के दो मुख्य डिपो थे। जिनमें से जलपहार वाला तो पहले ही बन्द किया जा चुका है, और दूसरे की भी मार्च १९५९ में समाप्त हो जाने की पूरी आशा है। इसके अतिरिक्त बैरकपुर में भी एक मार्गस्थ शिविर है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता हूं कि नैपाल की सीमा के निकट ब्रिटिश सरकार का कोई शिविर है और वहां ब्रिटिश सेना भी रखी जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नैपाल में क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अतः उन्हें बिलकुल पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इन भर्ती केन्द्रों को बन्द करने के प्रयत्न गत चार वर्षों से चल रहे हैं। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जब तक वे अपना कोई प्रबन्ध नहीं कर पाते उनके ये केन्द्र चलते रहेंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि इसमें अधिक समय लग रहा है, और अन्त में एक तो बन्द हुआ है और दूसरा चार मास में बन्द हो जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†*५०५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति का छटा अधिवेशन हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं।

(ख) खान सुरक्षा सम्मेलन के प्रतिवेदन को कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। परन्तु सम्मेलन ने अभी तक अपना विचार समाप्त नहीं किया, अतः औद्योगिक समिति की बैठक बुलाना सम्भव नहीं हो सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्ट सिल्क का सूत

†*५०८. **श्री केशव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्ट सिल्क का जो सूत आयात किया जाता है, उसे किस आधार पर हथ करघा अथवा बिजली से चलने वाले करघों में बांटा जाता है ;

(ख) क्या सूत की मात्रा जो कि प्रति करघा पौंडों के हिसाब से निर्धारित थी, उसे रुपयों में बदल दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसके कारण क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]

(ख) नहीं, जी, आयात किये आर्ट सिल्क सूत के बांट की प्रणाली कभी भी प्रति करघे के हिसाब से नहीं रही। यह हमेशा प्रति लूम रुपयों के हिसाब से रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

ब्रिटिश वस्त्र शिष्टमंडल

†*५१०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विमल घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री जाधव :
श्री हेम बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही ब्रिटिश वस्त्र शिष्टमंडल भारत आया था और उसने भारतीय कपड़ा हितों से सम्पर्क स्थापित किया था ;

(ख) क्या भारतीय कपड़े के ब्रिटेन को निर्यात करने की नियमित योजना के सम्बन्ध में भारत और ब्रिटेन के कपड़ा प्रतिनिधियों में कुछ समझौता हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) इस उपरोक्त योजना का विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां। हांगकांग को जाने वाले ब्रिटिश वस्त्र शिष्टमंडल के दो सदस्यों ने बम्बई में भारतीय रुई मिलों के संघ के प्रधान श्री कस्तूरभाई लालभाई से हाल ही में अनौपचारिक चर्चा की थी।

(ख) और (ग). सरकार को अभी कुछ निश्चित जानकारी नहीं है।

(घ) यदि किसी प्रकार की व्यवस्था का विदेशी मुद्रा पर बुरा प्रभाव पड़ा तो समुचित अवसर पर सरकार को उस पर विचार करना ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में नमक उद्योग

†*५११. **श्री पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नमक बोर्ड ने सरकार को प्रस्तुत अपनी योजना में उड़ीसा में नमक उद्योग के विकास के लिए कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार नमक उद्योग से सम्बद्ध कार्यों के लिए जो कि उड़ीसा राज्य में १९५८–५९ के वर्ष में होंगे, कोई धन राशि निश्चित की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) उड़ीसा के नमक उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की, परन्तु पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रीय बोर्ड ने सिफारिश की है कि सामूहिक तौर पर सारे उड़ीसा राज्य में और विशेष तौर पर चिल्का झील और राज्य के बालासोर जिले में इसकी विकास सम्भवताओं की जांच की जाये।

(ख) चालू वर्ष में उड़ीसा में नमक उद्योग के विकास के लिए १,४०,००० रुपया निर्धारित किया गया है।

चमड़ा के कारखाने

†*५१२. **श्री दामानी :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के पालामऊ जिले के सभी चमड़ा कारखानें बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने के क्या कारण हैं और इसका श्रमिकों की कितनी संख्या पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]

लोकमान्य तिलक का स्मारक

*५१३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन की "लोकमान्य तिलक जन्म शताब्दी समिति" ने लोकमान्य तिलक का स्मारक स्थापित करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि भारत सरकार द्वारा इसके लिये किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) पता चला है कि इस उद्देश्य के लिए लन्दन में एक समिति बनी है।

(ख) इस विषय पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन, आमतौर से, भारत सरकार विदेशों में न तो स्मारक खड़े करती है और न उन्हें खड़ा करने में सहायता देती है। स्मारक जिस देश में हो, उसे उस देश की जन-भावना का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसलिये उसके बनाने में वहां की जनता का ही हिस्सा ज्यादा होना चाहिये।

फिर भी, मामले को विशेष महत्व का समझ कर, भारत सरकार ने मांडले जेल में लोकमान्य तिलक का एक स्मारक खड़ा करने में सहायता दी।

औद्योगिक विकास

†*५१५. **श्री मोरारका :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कुल कितनी पूंजी का विनियोग हुआ है;

(ख) मूल और पुनरीक्षित लक्ष्यों के मुकाबले में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बाकी काल में इस क्षेत्र में और कितना विनियोग, कितनी राशि और विनियोजित की जायेगी?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) मोटे तौर पर योजना आयोग ने जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में १९५६–५७ के वर्ष में कुल संगठित उद्योगों पर १४० से १४५ करोड़ रुपये का विनियोग हुआ है। और अनुमान है कि १९५७–५८ का विनियोग भी लगभग १९५६–५७ के बराबर ही होगा।

(ख) और (ग). द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में संगठित रूप नें औद्योगिक क्षेत्र में ५८५ करोड़ रुपये का विनियोग होगा, जब कि मूल रूप में द्वितीय योजना के निर्माण के समय यह राशि ५८५ करोड़ निर्धारित की गयी थी। अब तक योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल जितना योजना काल में विनियोग होना है उसका ५० प्रतिशत विनियोजित हो चुका है।

अमरीकी व्यापार दल का भारत में आगमन

†*५१६. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती मुफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सरकार के निमन्त्रण पर हस्तशिल्प और हस्तकरघा के व्यापार में लगे बड़े-बड़े दस व्यापारी अधिकारियों का एक अमरीकी दल भारत में आया;

(ख) क्या उस दल से किसी प्रकार की चर्चा हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां, दल दस व्यक्तियों का था।

(ख) जी हां।

(ग) दल के आगमन से उसके सदस्यों ने हमारे विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों तथा हथकरघा की वस्तुओं का निरीक्षण किया। इस आगमन के दौरान में दल ने जो जानकारी प्राप्त की और सम्पर्क स्थापित किये, उसके आधार पर वे अपने प्रतिवेदन में सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे, जिनके आधार पर हम इन चीजों के अमरीकी निर्यात का विस्तार कर सकेंगे।

प्रसाधन सामग्री, कपड़ा तथा कृत्रिम हीरों का आयात

†*५१७. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितने मूल्य की प्रसाधन सामग्री, कपड़ा तथा कृत्रिम हीरों का आयात हुआ ;

(ख) क्या १९५८ के मार्च से सितम्बर तक के काल में इन चीजों के आयात में कमी की गयी ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त सामग्री के १९५८ के मार्च से सितम्बर तक आयात के आंकड़े तथा १९५७ के आयात के आकड़े तथा उसका अन्तर दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

आसाम में उर्वरक कारखाना

†*५१८. **श्री वसुमतारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने अपने राज्य में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की योजना निर्माण करने के सम्बन्ध में आसाम सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग उद्योग

†*५१९. **कुमारी वेद कुमारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की कमी के कारण इंजीनियरिंग उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक उत्पादन गिरा है ; और

(ग) इस दिशा में क्या पग उठाये गये हैं तथा क्या कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

फिल्म उद्योग

†*५२०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्दन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के अभाव के कारण फिल्म उद्योग में आये संकट के बारे में, सरकार को उद्योग की ओर से कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की मांग पूरी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करन का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). फिल्मों के कच्चे माल के आयात पर जो रोक लगाई गयी है उसके विरुद्ध कुछ अभिवेदन प्राप्त हुऐ हैं, कुछ समय इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि आयात समय पर नियमित रूप से हो नहीं पाता। अब समुचित व्यवस्था हो गयी है, और ३० प्रतिशत कटौती करके, जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है, आशा है कि फिल्म उद्योग की उचित और सामान्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

भारतीय अधिकारियों का अध्ययन अवकाश पर ब्रिटेन जाना

†*५२१. **श्री वाजपेयी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन के भारतीय उच्च आयोग को ब्रिटेन में अध्ययन "अवकाश" के लिए जाने वाले अधिकारियों के हाथों बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विनियम की कमी अथवा अन्य कठिनाइयों से तंग आ कर उन्हें आयोग से कर्ज अथवा अग्रिम राशि लेनी पड़ती है ;

(ख) क्या उच्च आयोग ने उस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उच्च आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :

(१) जो अधिकारी अध्ययन अवकाश पर जा रहे हों, अथवा जिनके अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का प्रबन्ध उच्च आयोग को करना हो, उनको ब्रिटेन जाने से पूर्व समुचित धन राशि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि वे वहां पहुंच कर कम से कम अपनी एक मास की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें ;

(२) अध्ययन अवकास अथवा प्रशिक्षण की औपचारिक अनुमति और उसकी शर्तें, उनके वहां पहुंचने से काफी पहले उच्च आयोग के पास पहुंच जाने चाहिएं।

(३) ब्रिटेन जाने से पूर्व महालेखापाल द्वारा अधिकारियों को अपने अन्तिम वेतन के प्रमाण पत्र अथवा अवकाश के वेतन के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मिलनी चाहिये ताकि ब्रिटेन में उन्हें धन प्राप्त करने में देरी न हो।

(घ) उच्च आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों को समुचित आदेश दे दिये गये हैं।

अमरीकी मसाला व्यापार संघ

†५२२. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार, अमरीकी मसाला व्यापार संघ को नियमित रूप से अंशदान के रूप में धन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक कितनी राशि अंशदान के रूप में दी जा चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क), (ख) और (ग). भारत सरकार अमरीकी मसाला व्यापार संघ को नियमित रूप से कोई अंशदान नहीं दे रही है। परन्तु काजू और काली मिर्च निर्यात प्रोत्साहन परिषद् ने २८६५० और केन्द्रीय सरकार ने ७५०० रुपया मार्च १९५८ में दिया था। संघ नें अच्छी कोटि की भारतीय मिर्चों का प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य मसालों के सामान्य प्राचार की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली थी।

कालीमिर्च और नारियल की जटा का निर्यात

†*५२३. **श्री सम्पत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में १९५६–५७ की तुलना में भारत द्वारा काली मिर्च और नारियल की जटा व उससे बने सामान के निर्यात में कमी हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) इंडोनेशियाई और सारावाक की कालीमिर्च से प्रतिद्वंदिता के कारण जो सस्ती भी होती है, हमारे यहां की कालीमिर्च का निर्यात कम हो गया। जबकि नारियल की जटा और नारियल जटा से बने सामान के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई थी, नारियल की जटा के निर्यात में कमी हो गई थी जिसका कोई विशेष कारण न होकर मांग में सामान उतार-चढ़ाव ही कहा जा सकता है।

बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा

†*५२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा में प्राथमिकता परियोजना वाले कामों को रोक रखने और श्रमिकों को अस्थायी रूप से अलग कर देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने जो त्रिदलीय बैठक करने का प्रस्ताव किया था, क्या वह हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी हां। सम्मेलन १७-११-५८ को हुआ था। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी ने अब बताया है कि इस्पात की स्थिति में सुधार हो गया है और उनके प्रबन्ध ने ८-१२-१९५८ से सामान्य उत्पादन की सिफारश के लिये अपनी 'पेनल शाप' खोलने का निश्चय किया है। सभी 'पेनल शाप' कर्मचारी जिनको अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया था उनसे ८-१२-१९५८ से काम शुरू करने के लिये कह दिया गया है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

†*५२५. **श्री जाधव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निगम जीवन बीमा निगम कर्मचारी एसोसियेशन बम्बई ने कुछ मांगें की हैं जिनमें बोनस का भुगतान भी शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जाने वाला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) प्रादेशिक श्रम आयुक्त बम्बई जिन्होंने समझौते की कार्यवाही की है उनके पास से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात, अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

अमरीका को निर्यात

† ५२६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अमरीका को भारतीय सामान निर्यात करने के बारे में कुछ सुधार हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या १९५८-५९ में १९५७-५८ की तुलना में अमरीका से भारत को जितना निर्यात होता था उसमें कुछ कमी हो गई है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) १९५८ के प्रथम आठ महीनों में भारत से अमरीका को किये गये निर्यात और वहां से किये गये आयात संबंधी विवरण जिसके आंकड़े और १९५७ में उसी काल के आंकड़े उपलब्ध हैं, सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

	जून—अगस्त, १९५७	जून—अगस्त, १९५८
अमरीका से आयात .	९८,२८	७४,०३
निर्यात (जिसमें अमरीका से पुननिर्यात शामिल है) .	८२,५६	६५,१४

आंकड़े अस्थायी हैं जिनका पुनरीक्षण किया जा सकता है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में आग

†*५२७. **श्री बि० दास गुप्त**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९५८ में सिन्दरी उर्वरक और रसायनिक कारखाने के विद्युत शक्ति संयंत्र में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग का कारण क्या था और कितनी राशि की हानि हुई;

(ग) क्या यह सच है कि आग का प्रभाव अमोनियम सल्फेट के उत्पादन पर पड़ा और उसका उत्पादन कम हो गया;

(घ) यदि हां, तो कहां तक; और

(ङ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) ऐसा जान पड़ता है कि पोटेंशियल ट्रांसफारमर चेम्बर आफ रिऐक्टर संख्या १ के अन्दर कुछ अन्दरूनी हिस्से के फट जाने से आग लगी थी। इसके पश्चात् वह बस-बार सैलेक्टर स्विच तक फल गई और वह भी फट गया जिसके परिणामस्वरूप जलता हुआ तेल साथ के आयल

†मूल अंग्रेजी में।

सर्किट बेकर्स, केबल और बस-बार तक फैल गया। सेक्शन में बस-बारों पर इन्सुलेट कम्पांड पिघल गया उसमें आग़ लग गई और फैल गई। हानि का अनुमान लगभग ७ लाख रुपये लगाया गया है (जिसमें उत्पादन में हुई क्षति शामिल नहीं है)।

(ग) जी हां, केवल दो दिनों तक।

(घ) १,५०० टन अमोनियम सल्फेट।

(ङ) जी हां।

न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में छंटनी

†*५२८. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान न्यू इडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की छंटनी की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपने मामले को रखा है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा छंटनी के बारे में एक औद्योगिक विवाद उठाया गया है। समझौता पदाधिकारी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उसके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

वृत्तियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण[1]

†*५२९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वृत्तियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण" नामक प्रकाशन प्रकाशित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह प्रकाशन कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Classification of Occupations.

बर्मा में भारतीय

†*५३०. **श्री महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के भारतीयों को ठहरने के परमिट नये करवाने के लिये प्रति परमिट ५० रुपये देने पड़ते हैं ; और

(ख) क्या इसके कारण बर्मा स्थिति भारतीयों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी हां । बर्मा विदेशी पंजीयन अधिनियम के अधीन सभी व्यस्क विदेशियों को अपने ठहरने के परमिट नये करवाने के लिये ५० केन वार्षिक शुल्क देना पड़ता है ।

(ख) बर्मा में रहने वाले गरीब लोगों को, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, इस शुल्क से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

राज्य उपक्रमों के नाम

†*५३१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य उपक्रम को नया नाम देने के संबंध में मामले की जांच करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक होने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). सरकारी समवायों को समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा १३ से मुक्त करने का निश्चय किया गया है, जिसके द्वारा प्राइवेट लिमिटेड समवाय जिनको पंजीबद्ध किया जा चुका है उन्हें अपने नाम के साथ "प्राइवेट" शब्द लिखना होगा । इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान अधिनियम की धारा ६२० के अनुसार १७ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये प्रारूप अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है ।

अणुशक्ति सम्मेलन

†५ ३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में हुये अणुशक्ति राष्ट्रमंडल सम्मेलन में कोई निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सम्मेलन अनौपचारिक ढंग का था जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधियों को ब्रिटेन के अणुशक्ति प्रतिष्ठानों द्वारा किये जाने वाले कामों को दिखाना और अणुशक्ति के क्षेत्र में हाल के विकासों के बारे में

†मूल अंग्रेजी में

उनकी आवश्यकता विशेष को देखते हुये अनौपचारिक वार्ता का अवसर देना था। इसके परिणाम-स्वरूप सम्मेलन में कोई निर्णय नही किये गये थे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बेतार के तार के सामान[1] का संभरण

†*५३३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड सरकार को जितने भी ट्रांसमिटर और रिसीवरों की आवश्यकता होती है, संभरण करती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्य कौन से अभिकरण इस काम को करते हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) जी नहीं।

(ख) सरकार की ट्रांसमीटरों और रिसीवरों की आवश्यकता की पूर्ति आयात किये गये स्टोरों के लिये अनेक भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की जाती है। संभरण तथा निपटान महा-निदेशालय के पास पंजीबद्ध ऐसी फर्मों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

हेवी इलेक्ट्रिक्लस (प्राइवेट) लिमिटेड

†*५३४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुये हेवी इलेक्ट्रिक्लस (प्राइवेट) लिमिटेड की परियोजना को पुनर्प्रावस्थाबद्ध किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७]**

बैंक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

†*५३५. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'घ' वर्ग के क्षेत्रों की बैंकें अपने कर्मचारियों को २५ रुपये महंगाई भत्ता दे रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wireless Equipments.

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्वाह व्यय पर आधारित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या आधार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). बैंक पंचाट के अनुसार चतुर्थ क्षेत्र के 'घ' वर्ग के बैंकों के क्लर्क क्रमशः न्यूनतम २५ रुपये और अधिकतम ४० रुपये महंगाई भत्ता पाने के हकदार हैं जिनका निर्वाह व्यय आंकड़ों में भिन्नता होने पर समायोजन किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

मजदूर संघ

†*५३६ **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री केशव:
श्री जाधव :
श्री झूलन सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९५८ को अखिल भारतीय मजदूर संघ, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा और संयुक्त मजदूर संघ के सदस्यों की सदस्य संख्या का सत्यापन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन की सत्यापित सदस्य संख्या कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक संगठन से संबद्ध संघों की संख्या कितनी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्यात

†*५३७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से जीवनोपयोगी वस्तुओं के निर्यात और विशेषकर अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य कम हो जाने और कितने कम हो जाने के कारणों का अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या यह सच है कि मूल्यों में कमी हो जाने से भारत को काफी हानि पहुंची है ; और

(घ) भारत द्वारा निर्यात की गई जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य कम हो जाने के परिणाम-स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी हां। जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में गिरावट सामान्य आर्थिक मंदी के कारण ही हुई है। मूल्यों में कमी हो जाने से प्रत्यक्षतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई इसका ठीक-ठीक हिसाब लगा पाना सरल नहीं है। भारत से निर्यात की गई जीवनोपयोगी वस्तुओं में से प्रत्येक के मूल्य में कितनी कमी हुई इसे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८**] विवरण से पता लगेगा कि इन वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाने से प्रत्यक्षतः १९५७ में ३१ करोड़ रुपये और १९५८ के प्रथमार्द्ध में १८ करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। इस प्राक्कलन में अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी, विदेशी बाजारों में मांग की कमी, संभरण क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्द्धा और जीवनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री के विदेशी मुद्रा संसाधनों पर निर्भर देशों की क्रय शक्ति में भारी गिरावट आदि पर स्वाभाविक रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

कोयला खान बोनस योजना

†५३८. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री कोडियान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान बोनस योजना में उपयुक्त होने के लिये उपस्थिति की शर्त को हटाने की दृष्टि से संशोधन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क): और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

रोज़गार नमूना सर्वेक्षण

†*५३९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय के रोज़गार नमूना सर्वेक्षण को चलाने में कहां तक प्रगति की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: आंकड़ों के संकलन का काम पूरा हो चुका है। उनको सारणीबद्ध किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य योजना के अधीन व्यावसायिक और टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र

†*५४०. **श्री पाणिग्रही :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना के संबंध में एक व्यावसायिक और टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस केन्द्र में कितने विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) यह केन्द्र कब और कहां पर स्थापित करने का विचार है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों और स्थानीय आदिमजाति के लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिये कोरापट में एक व्यावसायिक और टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों, स्थानीय और विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या २७६ होगी।

(ग) कोरापट में १९५९–६० के आरम्भ में।

प्रति व्यक्ति आय

†*५४१. **श्री मुरारका :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में हुई वास्तविक वृद्धि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) योजना के लक्ष्यों की तुलना में ये परिणाम कैसे हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) और (ख): १९५६–५७ में अर्थात् द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में ३.८ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। १९५७–५८ का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) योजना प्रतिवेदन में सम्पूर्ण योजना काल में वार्षिक औसत ३.६ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाते हुये प्रति व्यक्ति १८ प्रतिशत लक्ष्य में वृद्धि बताई गई थी। इसकी तुलना में जैसा कि पहले ही बताया गया है, १९५६–५७ में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की अपेक्षा ३.८ प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

गोदी मजदूर बोर्ड

†*५४२. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन के लिये गोदी मजदूर बोर्ड स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गोदी मजदूर बोर्ड की रचना कब की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) संबंधित व्यक्तियों से परामर्श किया जा रहा है ।

(ग) कोचीन पत्तन मजदूर (रोज़गार विनियमन) योजना पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर ।

इमारतें बनवाने के खर्च में मितव्ययिता

†*५४३. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्याव हाल ही में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा राज्य सनद प्राप्त लेखापाल संस्था परिषद् को इमारत बनवाने के खर्च में मितव्ययिता बरतने के बारे में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब से लागू होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९]**

अर्जेंटाइना में भारतीय

†*५४४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेंटाइना में रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कुछ काल के लिये अपनी मातृभूमि को देखने आना चाहते हैं ;

(ख) क्या अर्जेन्टाइना स्थित भारतीय दूतावास ऐसे व्यक्तियों को नियमित पारपत्र नहीं दे रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग): जहां तक हमें विदित है अर्जेंटाइना में कुल २५० भारतीय राष्ट्रजन हैं । अर्जेंटाइना के भारतीयों के भारत आने में कोई कठिनाई नहीं है । भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति अब अर्जेंटाइना के राष्ट्रजन हो गये हैं उनके बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत आने के लिये भारतीय पारपत्र जारी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भारतीय उद्-भव के कुछ व्यक्ति, जिनके पास यात्रा संबंधी दस्तावेज अथवा अन्य रिकार्ड नहीं हैं, उनके बारे में आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है। अर्जेंटाइना में भारतीय राष्ट्रजन को भारत आने के लिये पारपत्र मना करने का एक भी मामला नहीं हुआ है।

कुछ ऐसे व्यक्तियों के मामले लम्बित हैं जिनके बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†*५४५. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सुविधायें देने के लिये नगर पालिका को कुछ राशि नियत कर देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि आवंटित करने का विचार है और प्रत्येक बस्ती के लिये अलग-अलग कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां।

(ख) निगम के परामर्श से विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

डार्लिंगकोट खान, दार्जिलिंग

†*५४६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में डार्लिंगकोट खान को बन्द करने की धमकी दी गई है ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की जानकारी सरकार को बताई गई है ;

(ग) कितने मजदूरों की छंटनी की गई है ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उन्नीस।

(घ) न्यायालय में प्रबन्ध के खिलाफ सात शिकायतें पहले से ही दर्ज की जा चुकी हैं जिनमें से एक मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन और छः कोयला खान बोनस योजना के अधीन हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये प्रबन्ध के खिलाफ और आगे कानूनी कार्रवाई करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊन उद्योग

†*५४७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय के सभापति द्वारा भारतीय ऊन उद्योग में पुराने तरीकों के चलाने के बारे में कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय ऊन उद्योग में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी, हां ।

(ख) ऊन उद्योग के लिये एक विकास परिषद् की स्थापना सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है जो इसकी स्थिति सुधारने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न करेगी ।

सीमावर्ती विवाद

†*५४८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों ने भारतीय सीमा पर (हुसैनवाला पर कई बार सीमा उल्लंघन किया है और वे नहर की मरम्मत के काम होने में बाधा डाल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) से (ग) . हाल में पाकिस्तानियों द्वारा हुसैनवाला हेडवर्क्स के क्षेत्र में कोई भी सीमा उल्लंघन नही किया है । देश विभाजन के कुछ समय उपरान्त तो सीमा उल्लंघन किया गया था, परन्तु १९५६ में स्थिति वैसी ही रही जैसी कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में उस वर्ष किये गये करार में निश्चित की गयी थी ।

जहां तक उस दीपलपुर नहर के दूसरी ओर मरम्मत कार्य का सम्बन्ध है, जो कि हुसैनवाला हेडवर्क्स से निकाली गयी है और पाकिस्तान के पुनः प्रवेश करने से पहले भारतीय क्षेत्र में बहती है, फरवरी, १९५७ में पूर्वी पंजाब सरकार द्वारा कुछ छोटी मोटी मरम्मत करायी गयी थी । नहर के दाहिने किनारे पर जो कि भारतीय क्षेत्र में है, काम करने वाले सिंचाई कर्मचारियों का पाकिस्तानी सीमावर्ती पुलिस ने इस आधार पर विरोध किया था कि नहर का दायां किनारा वस्तुतः उनके अधिकार में है और इसलिये वे ही इसकी मरम्मत करेंगे । भारत सरकार द्वारा उसे स्वीकार नही किया गया । भारत सरकार ने पाकिस्तान प्राधिकारियों से यह कहा कि यदि नहर को कोई और नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार होंगे । सितम्बर, १९५८ में प्रधान मंत्रियों में जो करार हुआ था उसमें उस क्षेत्र के लिये सामान्य फैसला करने के लिये कुछ एक उपाय सुझाये

†मूल अंग्रेजी में

गये थे। इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान २९ नवम्बर, १९५८ को लोक-सभा में माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जाता है।

पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच नया करार

†*५४९. **श्री केशव:**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका और ब्रिटेन बगदाद संधि के समर्थन में पाकिस्तान से एक नया करार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) इस संबंध में कुछ प्रैस रिपोर्टें मिली हैं। अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को विश्वास दिलाया है कि इस समय पाकिस्तान से हो रही बातचीत का किसी नये सैनिक समझौते से कोई संबंध नहीं है, अपितु वह तो २८ जुलाई, १९५८ को बगदाद संधि सरकारों द्वारा लन्दन में की गयी घोषणा के परिणामस्वरूप बात हो रही है।

(ख) बगदाद संधि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के संबंध में सरकारों के दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण ज्ञात हैं।

विदेशों में भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण

†*५५१. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाऊंडेशन के अधीन भारतीय प्रविधिज्ञों को विदेशी लघु-उद्योगों के संबंध में प्रशिक्षण देने की योजना १९५८-५९ में भी जारी रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कुल कितने प्रविधिज्ञ भेजे गये हैं और किस किस देश में भेजे गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) स्वीडन को ९ व्यक्ति।

श्रमिकों के लिये बोनस

†*५५२. **श्री स० म० बनर्जी:**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को बोनस देने के संबंध में निर्णय करने वाली कर्णधार समिति ने कोई आधार चुन लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सभी उद्योगों द्वारा बोनस अदा किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस प्रकार की कोई भी समिति स्थापित नहीं की गयी थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*५५३. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू हो जायेगा तो अभ्रक खानों के मालिकों को कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १९५५ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अभ्रक खानों के मालिकों को कुल लगभग ३९,६९० रुपये देने पड़ेंगे । जिनमें ६ १/४ प्रतिशत के हिसाब कर्मचारी भविष्य निधि और ३ प्रतिशत प्रशासनीय खर्च सम्मिलित होगा ।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†*५५४. **श्री राम कृष्ण :**
श्री हेम बरुआ :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की वस्तुओं का निर्यात १९५७ से अब कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी कमी हुई है और किस किस प्रकार की वस्तुओं में कमी हुई है ; और

(ग) उस गिरावट की रोक थाम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०]**

औद्योगिक कच्चे माल का आयात

†*५५५. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस संबंधित उद्योगों को दिये जाते हैं अथवा वे व्यापारियों को भी दिये जाते हैं ;

(ख) यदि व्यापारियों को भी उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन व्यापारियों पर दाम संबंधी अथवा वितरण संबंधी कोई नियंत्रण रखा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) औद्योगिक कच्चे सामान के लाइसेंस मुख्य रूप से उद्योगों को दिये जाते हैं। कभी कभी व्यापारियों को भी दे दिये जाते हैं।

(ख) व्यापारियों को लाइसेंस इस दृष्टि से दिये जाते हैं ताकि व्यापार निरन्तर चलता रहे और उन उद्योगों की मांग को पूरा किया जा सके जो स्वयं अपनी मांग के अनुसार कच्चा सामान आयात नही कर सकते ।

(ग) सामान्यतया उन पर दाम संबंधी अथवा वितरण संबंधी कोई नियंत्रण तो नहीं है, परन्तु कुछ एक वस्तुओं जैसे टिन प्लेटों, टिन के खुर्दे, ताम्बे के खुर्दे, जर्मन चांदी, सिनेमा की कच्ची फिल्मों, आर्ट सिल्क के धागे, ब्लीचिंग पेस्ट और ब्लीचिंग पाऊडर आदि के लिये लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाता है कि आयात करने पर उन वस्तुओं को कुछ एक निश्चित कोटि के व्यक्तियों को अथवा एक निश्चित लाभ की दर पर बेचा जायेगा ।

आसाम की कोयला खानों के मजदूर

†*५५६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की कोयला खानों और विशेषकर आसाम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कम्पनी, लिमिटेड के मजदूरों को देश के अन्य भागों के कोयला खान मजदूरों की तुलना में कम मजूरी दी जाती है ;

(ख) १९५६ से, जब कि आसाम कोयला खानों के प्रबन्धकों और आसाम कोयला खान मजदूर कांग्रेस में एक करार हुआ था, उस समय से आज तक मजदूरों के जीवन निर्वाह देशनांक में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या सरकार श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मजूरी के दरों और कम्पनी के वर्तमान मजूरी दरों में विद्यमान अन्तर को दूर करने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सभी मजदूरों की मजूरी कम नहीं है। कुछ एक मजदूरों की मजूरी अपेक्षाकृत अधिक है और कुछ एक की कम है।

(ख) ६.६७ प्रतिशत ।

(ग) वर्तमान मजूरी दर मजदूरों और मालिकों में किये गये एक करार के आधार पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष चाहें तो वे उस करार को रद्द करके फिर से उन पर बातचीत कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपा का अखबारी कागज

†*५५७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को नेपा के अखबारी कागज का आवंटन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समाचारपत्रों को कितना नेपा का कागज बांटा जाता है ; और

(ग) क्या नेपा अखबारी कागज के वितरण के लिये किसी और को भी वचन दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस किस को देने का वचन दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५८ तक समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष में ५२२६.५५ टन नेपा का कागज समाचारपत्रों को संभरित किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पाठ्य पुस्तकों तथा सामान्य रुचि की अन्य पुस्तकों के मुद्रकों तथा प्रकाशकों को भी उनकी आवश्यकतानुसार कुछ नेपा कागज संभरित किया जाता है । शेष कागज मार्केट में बेच दिया जाता है ।

प्रचार संगठनों की कार्यपद्धति का अध्ययन करने वाली टीम

†*५५८. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के सामुदायिक विकास क्षेत्रों में वर्तमान प्रचार संस्थाओं के कार्यों का परीक्षण करने के लिये एक अध्ययन टीम स्थापित किया है ; और

(ख) इस संबंध में अभी तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां । यह अब सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प के अनुसार किया जा रहा है ।

(ख) अध्ययन दल ने दिल्ली में प्रारम्भिक अध्ययन करने के बाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ सूचना केन्द्रों का दौरा किया था और उन दोनों राज्यों के कार्य के संबंध में सम्बद्ध जानकारी एकत्रित की है । दल अन्य राज्यों के संबंध में अपना कार्य जारी रखने का विचार रखता है ।

काश्मीरी कम्बल और नम्दे

५५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस में काश्मीरी कम्बलों नमदों तथा अन्य कलात्मक चीजों की मांग बढ़ती जा रही है और रूस ने इन चीजों को काफी मात्रा में खरीदने के लिये अपनी मांग भेजी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : पिछले कुछ सालों में कम्बलों, नमदों, शालों और दूसरी कलात्मक चीजें मंगाने के आर्डर रूस से मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रूस में इन चीजों की मांग बढ़ रही है।

अखिल भारतीय मध्यमवर्ग पारिवारिक आय-व्ययक सर्वेक्षण

†८०४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मध्यम वर्ग पारिवारिक आय व्ययक सर्वेक्षण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जुलाई, १९५८ में प्रारम्भ किया गया अखिल भारतीय मध्यमवर्ग पारिवारिक आय-व्ययक सर्वेक्षण ४५ चुने हुये केन्द्रों में से प्रत्येक में १२ मास की अवधि के लिये था। इस अवधि में २६,८२० परिवारों के आय-व्ययक संबंधी जानकारी प्राप्त करने और ८,९४० अन्य परिवारों के जीवन स्तर का अध्ययन करने का निश्चय किया गया है। अभी तक पारिवारिक आय-व्ययक जांच के लिये ७,५०० परिवारों का और जीवन स्तर की जांच के लिये २,५२० परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†८०५. **श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी हैं ;

(ख) वहां पर किस किस प्रकार की फैक्टरियां स्थापित की गयी हैं ; और

(ग) उन पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पांच औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार रखती है। वे कानपुर, आगरा, देवबन्द, (सहारनपुर), लोनी ब्लाक (मेरठ) और काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में स्थापित की जायेंगी। इन योजनाओं को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा केवल एक ही औद्योगिक बस्ती स्थापित की गयी है और वह है नैनी (इलाहाबाद) में।

(ख) नैनी औद्योगिक बस्ती में स्थापित की गयी फैक्टरियों की सूची लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर प्रदेश की औद्योगिक बस्तियों की विभिन्न योजनाओं पर अभी तक किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	रुपये
(१) औद्योगिक बस्ती, कानपुर	२९,६८,३००
(२) औद्योगिक बस्ती, आगरा	१०,४५,५३५
(३) औद्योगिक बस्ती, देवबंद	४२,१००
(४) औद्योगिक बस्ती, लोनी ब्लाक (मेरठ)	५०,०००
(५) औद्योगिक बस्ती, काशी विद्यापीठ जिला वाराणसी	५८,०००
(६) औद्योगिक बस्ती, नैनी (इलाहाबाद)	२२,७३,४२०

फरीदाबाद बस्ती

†८०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक फरीदाबाद बस्ती को विभिन्न कोटियों के अधीन कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १२]**

उत्तर प्रदेश में वस्त्र मिलें

†८०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (बड़ी, माध्यमिक और छोटी) वस्त्र मिलों की कितनी संख्या है ;

(ख) प्रत्येक मिल में कितने तकुवे हैं ;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक मिल से कपड़े का कितना उत्पादन हुआ था ; और

(घ) प्रत्यक मिल की अधिष्ठापित क्षमता और कार्यकारी क्षमता में कितना अनुपात रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १३]**

कुशल श्रमिक

†८०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५८ की देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने कुशल श्रमिकों के नाम दर्ज थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनम से कितने व्यक्तियों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम दिला देने की आशा है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १-१२-५८ को जितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, उनके बारे में अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है । ३१ अक्तूबर, १९५८ को कुशल और अर्ध कुशल मजदूरों की संख्या ८७,६०६ थी ।

(ख) अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†८०९. **श्री दामानी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में राज्यवार कितने व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराये थे ;

(ख) क्या नौकरी चाहने वालों के व्यवसाय वितरण में कोई परिवर्तन देखा गया है ;

(ग) क्या नौकरी चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण रिक्त स्थानों की संख्या में कमी हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ङ) इस समय पढ़े लिखों में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और उस समस्या को अभी तक कहां तक हल कर लिया गया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ङ). सभा-पटल पर दो विवरण रखे गये हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १४]

साइकिलें

†८१०. **श्री राम कृष्ण:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) भारत में साइकिलें तैयार करने वाली कम्पनियों के क्या-क्या नाम हैं ; और

(ख) साइकिलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लोक-सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । एक में बड़े पैमाने और दूसरे में छोटे पैमाने के क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी निहित है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १५]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) साइकिलें बनाने वाले यूनिटों को विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की हालत में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों और कच्चे सामान के आयात के सम्बन्ध में सुविधायें प्रदान की जाती हैं। छोटे क्षेत्र के सेक्टर में साइकिलें तैयार करने वाले यूनिट अन्य लघु स्तर के उद्योगों के समान ही अपनी अपनी राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

निर्यात संवर्धन परिषदें

†८११. **श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन वस्तुओं के लिये अभी तक निर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित की गयी हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अभी तक निम्नलिखित ११ वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित की गयी हैं :—

१. सूती वस्त्र
२. प्लास्टिक
३. इंजीनियरिंग
४. काजू और काली मिर्च
५. अभ्रक
६. तम्बाकू
७. चमड़ा
८. रेशम और रेयन वस्त्र
९. चपड़ा
१०. रसायनिक वस्तुएं तथा अन्य वस्तुएं
११. खेलकूद का सामान।

औद्योगिक तालिकायें

†८१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक किन-किन उद्योगों के लिये औद्योगिक तालिकायें स्थापित की जा चुकी हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : विवरण निम्नलिखित है :—

१. कागज़ और उसका गूदा
२. चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं
३. रीफ्रेक्ट्री
४. बिजली तथा वायरलैस का सामान
५. रेडियो
६. एक्सरे का सामान
७. शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान तथा उपकरण।

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास परिषदें

†८१३. **श्री राम कृष्ण :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक किन-किन उद्योगों के लिये विकास परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३७ अनुबंध संख्या १६]

मुद्रण मशीन उद्योग

†८१४. **श्री राम कृष्ण :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण मशीन उद्योगों में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिये अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मुद्रण मशीनों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दो फर्मों से प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं। आत्म निर्भरता का प्रश्न तो उसी समय लिया जा सकता जब कि उनका है स्वदेशी उत्पादन प्रारम्भ हो जायें।

उड़ीसा में उद्योग

†८१५. **श्री प्र० के० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हीराकुड और मचकुंड से विद्युत संभरण की आशा पर नये उद्योग प्रारम्भ करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख) . उड़ीसा में हीराकुड और मचकुंड से विद्युत संभरण की आशा पर नये उद्योग प्रारम्भ करने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं ।दया गया है। फिर भी, कुछ एक वर्तमान उद्योगों और कुछ एक स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये कुछ विद्युत् बुक कर ली गयी है। लोक-सभा पटल पर उन उद्योगों की एक सूची रखी जाती है जिनके लिये हीराकुड और मुचकुंड से प्राप्त होने वाली विद्युत इस्तेमाल करने की आशा है? [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १७]

प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो

†८१६. **श्री आसर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरों के कितने ब्रांच आफिस खुले हैं और इस समय कुल कितने ब्रांच आफिस हैं;

(ख) क्या पूना में भी कोई ब्रांच आफिस खोलने की आशा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कब ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) गत तीन वर्षों में प्रैस इन्फोर्मेशन ब्यूरों के छः ब्रांच आफिस खुले थे। इस समय ब्यूरो के कुल १५ प्रादेशिक तथा ब्रांच आफिस हैं।

(ख) और (ग). १९६०—६२ में पूना में एक ब्रांच आफिस खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भक्तिनगर औद्योगिक बस्ती

†८१७. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भक्तिनगर (राजकोट) औद्योगिक बस्ती के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है :

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग के लिये अभी तक कितना ऋण दिया गया है ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग कैसे किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) विवरण दिया जाता है :—

विवरण

राजकोट (भक्तिनगर) की औद्योगिक बस्ती में जिन १२० यूनिटों का निर्माण करना था, उनमें से अभी तक १०८ यूनिटों का निर्माण हो चुका है जिन पर २३,०७,८९५ रुपयों की लागत आयी है। बस्ती में ३३ गैर-सरकारी प्रशासित औद्योगिक यूनिट स्थापित की गयीं हैं जिन पर कुल १८,६५,००० रुपयों का धन विनियोग किया गया है, उनसे प्रति वर्ष ३१.९१ लाख रुपयों की प्राप्ति होगी। उस बस्ती में ३६० कुशल और अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं। आशा है कि बस्ती के पूर्ण रूपेण विकसित हो जाने पर वहां के प्रति शिफ्ट में लगभग ४५० मजदूर काम कर सकेंगे। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि वहां किस किस प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, उन्हें कितने शेड आंवटित किये गये हैं और उन पर कितना धन विनियोग किया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १८]

(ख) राजकोट की औद्योगिक बस्ती के यूनिटों को कोई ऋण नहीं दिया गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कार्मिक संघ

†८१८. श्री हेम राज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५५, १९५६ और १९५७ में राज्य-वार कुल कितने पंजीबद्ध कार्मिक संघ चल रहे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से ऐसे कितने कार्मिक संघ हैं जिन्होंने भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के सेक्शन २८ के अधीन १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ के अपने आंकड़े नही भेजे हैं ; और

(ग) ऐसे संघों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९५५-५६ और १९५६-५७ के संबंध में जानकारी इंडियन लेबर गजेट (जून १९५८) के पृष्ठ १३०४-०५ में प्रकाशित है। जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। बाद के वर्षों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) आंकड़े न भेजने पर दिये जाने वाले दण्ड भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ की धारा १० और ३१ में निर्धारित हैं । यह बताना संभव नही है कि प्रत्येक मामले में क्या-क्या कार्यवाहीं की गयी है ।

कच्ची फिल्मों का वितरण

†८१९. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चल चित्र-प्रविधिज्ञों की संस्था की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि कच्ची फिल्मों के वितरण के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिये स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय तथा प्रादेशिक समितियों में उन्हें भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) कच्ची फिल्मों के लिये केन्द्रीय तथा प्रादेशिक परामर्श दात्री समितियां नियुक्त करते समय संस्था की उस प्रार्थना को ध्यान में रखा जा गा ।

गैर-सरकारी प्रेसों में छपे सरकारी प्रकाशन

†८२०. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी प्रेसों में सरकारी प्रकाशनों आदि को छपाने पर प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय किया गया ;

(ख) क्या इस काल में सरकारी प्रेसों से पूरा काम लिया गया था ; और

(ग) क्या इस बात का सुनिश्चय करने की कोई योजना है कि सभी सरकारी प्रकाशन सरकारी प्रेसों में ही छपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) गैर-सरकारी प्रेसों में सरकारी प्रकाशनों आदि की छपाई पर १९५५-५६ और १९५६-५७ में निम्न प्रकार से धन व्यय किया गया है :

रुपये

१९५५-५६ .	१,२२,७२,१५९.२५
१९५६-५७	१,७३,७९,४८८.४७

१९५७-५८ के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं जो यथासमय सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, नासिक और फरीदाबाद में दो नये प्रेस स्थापित किये गये हैं। इसके साथ ही विद्यमान प्रेसों की मुद्रण क्षमता जहां तक वित्तीय साधन सुलभ हैं, बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार का विचार और अधिक प्रेस खोलने और विद्यमान प्रेसों की क्षमता बढ़ाने का है किन्तु निकट भविष्य में इस उद्देश्य की पूर्ति होने की संभावना नहीं है।

पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

†८२२. **श्री अ० म० तारिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा विभिन्न भाषाओं में कितनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) १९५७-५८ में इस प्रयोजन हेतु जिसमें वेतन भी शामिल है कुल कितना उत्पादन व्यय किया गया था ; और

(ग) उक्त काल में पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री के द्वारा कुल कितनी धन-राशि प्राप्त हुई थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ३१। इनमें से ११ विभिन्न मंत्रालयों की ओर से तैयार की जाती हैं।

(ख) २३,२०,६०६ रुपये।

(ग) १२,६०,१२१ रुपये जिसमें विज्ञापनों में होने वाली आय भी शामिल है।

अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में प्रशिक्षण

†८२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन की वे संस्थायें कौन-कौन सी हैं जिनमें अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में भारतीय छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अणुशक्ति विभाग ने ब्रिटेन में अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ छात्रों को वित्तीय सहायता दी है और इसके साथ ही वह अपनी वैज्ञानिक एवं टेक्निकल कर्मचारियों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण दे

†मूल अंग्रेजी में

के लिये ब्रिटेन भेजता रहा है। ब्रिटेन की कुछ महत्वपूर्ण संस्थायें, जहां उनको प्रशिक्षण दिया गया है/दिया जा रहा है उनका उल्लेख नीचे दिया जा रहा है :—

(१) अटामिक एनर्जी रिसर्च इस्टैब्लिशमेंट, हारवेल।

(२) काल्डर-हाल आपरेशन्स स्कूल।

(३) केमिकल रिसर्च लेबोरेटरी, टेडिंग्टन।

(४) इम्पीरियल कालेज आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी, लन्दन।

(५) जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड आफ इंग्लैंड।

(६) किंग्स कालेज, यूनिवर्सिटी आफ लन्दन।

(७) युनिवर्सिटी आफ ब्रिस्टल।

(८) मेसर्स हेड रिग्टसन प्रोसेसेज लिमिटेड, यूनाइटेड किंग्डम।

ब्रिटेन को निर्यात

†८२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन को हमारे यहां से किये गये नि ति का मूल्य क्या था ;

(ख) १९५७ के उसी काल में ब्रिटेन को हमारे यहां से किये गये निर्यात का मूल्य क्या था ; और

(ग) क्या हमारे निर्यात में कुछ कमी हो गई थी और यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २०.७७ करोड़ रुपये।

(ख) २९.६८ करोड़ रुपये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

साइकिलों का निर्यात

†८२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २७ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों को भारत की बनी साइकिलें निर्यात की गई थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** १९५७ के दौरान में और १९५८ के प्रथमार्द्ध में भारत की बनी साइकिलों का निर्यात सऊदी अरब, नैपाल, पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा, मलाया, अफगानिस्तान तथा मालदीव को किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सूर्य रश्मि गवेषणा केन्द्र, गुल्मर्ग

†८२६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुल्मर्ग (काश्मीर) में एक सूर्य रश्मि गवेषणा केन्द्र की स्थापना करने के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: काश्मीर के गुल्मर्ग-अकरावर क्षेत्र का हमारे विशेषज्ञों की सहायता से जेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों द्वारा स्थिति का निर्णय करने और ऊंचाई पर स्थापित की जाने वाली प्रयोगशालाओं एवं मिलाने वाले एक रज्जुपथ के बारे में सिफारिश करने की दृष्टि से सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और उनके प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र न्यास समिति का बहिष्कार

†८२७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका से संबंधित संयुक्त राष्ट्रीय न्यास समिति की कार्यवाही तथा सद्भावना समिति के प्रतिवेदन का बहिष्कार किया है जिसने देश के विभाजन का सुझाव दिया था ; और

(ख) इस प्रतिवेदन पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या प्रस्ताव रखे हैं और क्या वे स्वीकार कर लिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने महासभा में कहा था कि विभाजन की समस्या तथा दक्षिण-पश्चिम अ ीका को मिला लेने के बारे में सद्भावना समिति की सिफारिशें मंजूर नहीं की जानी चाहियें। भारत तथा अन्य अनेक देशों के सम्मिलित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस विषय पर निम्न संकल्प स्वीकृत किया गया था :

"**महा सभा** कार्य की जटिलताओं पर **विचार करके** संकल्प ११४३ (१२) के अधीन स्थापित दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका से संबंधित सद्भावना समिति के प्रतिवेदन पर—

१. सद्भावना समिति के प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को न मानने का **निश्चय** करती है जिसमें दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के प्रश्न को हल करने के लिये उस प्रदेश के विभाजन और उसके किसी भाग को मिला लेने की बात कही गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

२. सद्भावना समिति को दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार से एक ऐसे समझौते पर पुनः वार्ता करने के लिये **आमंत्रित करती है** जिसके द्वारा सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीका के सामाजाधीन राज्य क्षेत्रों का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान जारी रहेगा और जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों और प्रयोजन के अनुसार होगा ;

३. सद्भावना समिति से **निवेदन करती है** कि वह कार्य करते समय महासभा के तेरहवें सत्र में हुये वाद-विवाद को पूर्णरूपेण ध्यान में रखें;

४. सद्भावना समिति से **निवेदन करती है** कि महासभा को उसके चौदहवें सत्र में एक अग्रेतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ;

५. महा सचिव से **निवेदन करती** है कि सद्भावना समिति को यथावश्यक कर्मचारी और सुविधायें देने की व्यवस्था जारी रखे।"

चल सम्पत्ति पर भारत-पाकिस्तान करार

†८२८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चल सम्पत्ति पर हुये भारत-पाकिस्तान करार को कार्यान्वित करने के संबंध में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: चल सम्पत्ति करार को कार्यान्वित करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

भारत और पाकिस्तान में धार्मिक स्थान

†८२९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के धार्मिक स्थानों की सूची तैयार करने और उनसे संबद्ध सम्पत्ति के संरक्षण तथा उनकी धार्मिक पवित्रता को सुरक्षित बनाये रखने के बारे में नियुक्त की गई संयुक्त समिति की बैठक करने के संबंध में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक कब होने वाली है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). जी नहीं। पाकिस्तान सरकार के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। कराची स्थित भारत के उच्चायुक्त इसके लिये जोर दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mandated Territory.

भाखड़ा बांध में फालतू मजदूर

†८३०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध में कुछ मजदूर फालतू बता दिय गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मजदूर फालतू बताये कये हैं ;

(ग) उसके पूरे हो जाने पर कितने और मजदूर फालतू हो जायेंगे ;

(घ) क्या सरकार द्वारा उन्हें पुनः काम दिलाने का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी नहीं।

(ख) १६ ।

(ग) ४,००० कुशल मजदूर और ६,००० अकुशल अस्थायी मजदूर।

(घ) और (ङ), जी हां। श्रम और रोजगार मंत्रालय के पुनःसंस्थापन और रोजगार महा निदेशालय में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में देश की बड़ी परियोजनाओं के सहयोग से सभी विकास संबंधी कार्यकलापों का समायोजन करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर एक केन्द्रीय समायोजनाकारी एकक स्थापित किया गया है । फिलहाल भाखड़ा में किसी तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है यद्यपि स्थिति पर लगातार देख-रेख रखी जायेगी।

अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†८३१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जेनेवा में सितम्बर, १९५८ में अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में हुये द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस प्रकार के निर्णय किये गये, संकल्प पारित हुये और सिफारिशें की गईं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** सम्मेलन पूर्णरूपेण वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय था जो प्रक्रिया के नियमानुसार था और जिसमें कोई भी न तो संकल्प स्वीकृत किया गया और न निर्णय ही किया गया था। सम्मेलन से अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों के बारे में वैज्ञानिक और टैक्निकल ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी का आदान-प्रादान हुआ एवं उससे भाग लेने वाले वैज्ञानिकों में काफी बड़ी संख्या में एक दूसरे के सम्पर्क में आने का अवसर मिला।

कारखाने की इमारते

†८३२. { **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक बस्तियों की कारखाने की इमारतों को बेच देने का निश्चय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और खरीदारों को क्या सुविधायें दी जाने वाली हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). औद्योगिक बस्तियों की योजनाओं के लिये दी गई सहायता में इस बात की व्यवस्था है कि कारखानों के लिये इमारतें या तो किराये पर, किराया-खरीद अथवा पूर्णरूपेण बिक्री पर दी जा सकेंगी । जो लोग इमारतों को किराया-खरीद पर लेना चाहते हैं उन्हें मूल्य का २० प्रतिशत आरम्भ में भुगतान करना पड़ेगा । शेष ८० प्रतिशत का भुगतान २० वर्षों में बराबर किश्तों के आधार पर किया जाना चाहिये । कारखानों को किराया-खरीद अथवा पूर्णरूपेण बिक्री के लिये प्रक्रिया का निश्चय सम्बन्धित राज्य सरकार करेगी । किन्तु सभी प्रकार की बिक्री में यह शर्त रहेगी कि खरीदार को बस्ती के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा ।

अण्दमान में रबड़ क्षेत्र

†८३३. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्दमान के रबड़ पाये जाने वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण सम्बन्धी उत्पादन आयुक्त का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) आयुक्त द्वारा इस प्रतिवेदन में क्या मुख्य-मुख्य बातें बताई गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५७ ।

(ग) मुख्य-मुख्य बातों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १९]**

खेती के औज़ारों का निर्यात और आयात

८३४. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९५७-५८ में कौन-कौन से खेती के औजार निर्यात और आयात किय; और

(ख) १९५७-५८ में आयात और निर्यात में कितना अन्तर रहा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २०]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

८३५. **श्री पद्म देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विभाग ने कितने लोगों को किन-किन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया; और

(ख) ये प्रशिक्षित लोग कहां क्या काम कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) १९५७ में २२६ व्यक्तियों को निम्नलिखित कामों की ट्रेनिंग दी गयी :—

(१) बुनाई और कताई;

(२) चमड़ा तथा चमड़ा कमाना;

(३) लकड़ी का काम;

(४) हौजरी;

(५) कपड़े सीना;

(६) तेल पेरना;

(७) लोहारी का काम तथा बर्तन बनाना;

(८) रस्से बनाना;

(९) टोकरियां आदि बनाना; और

(१०) मिट्टी के बर्तन बनाना ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । लेकिन ट्रेनिंग प्राप्त लोगों को खपाने के उद्देश्य से ६ उत्पादन केन्द्र खोलने की एक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ।

काम बन्दी की मजूरी

†८३६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एथरटन वेस्ट कानपुर काटन मिल्स और म्योर मिल्स लिमिटेड में सेवा नियोजित मजदूरों को कानपुर में काम बन्दी की पूरी मजूरी का भुगतान किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उन सभी मामलों में जिनमें मजदूरों के आवेदन प्राप्त हुए थे, भूराजस्व के रूप में बकाया राशि वसूल करने की आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सनद प्राप्त लेखापाल संस्था

†८३७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सनद प्राप्त लेखापाल संस्था की कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना काम अन्तिम रूप से पूरा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये और सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां।

(ख) जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २१]**

(ग) और (घ). प्रतिवेदन विचाराधीन है।

मंत्रालयों को प्रधान मंत्री का परिपत्र

†८३८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उन्होंने प्रशासन में अत्यधिक फजूलखर्ची के बारे में और प्रशासन के रोजमर्रा के मामलों में विलम्ब के बारे में चिन्ता प्रकट करने वाला एक परिपत्र मंत्रालयों में भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार के सुझाव दिये; और

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) गोपनीय पत्रों में क्या है यह बताना परम्परागत नहीं है। प्रधान मंत्री बहुधा सरकार के विभिन्न विभागों तथा कभी-कभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को प्रशासकीय प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक कुशलता लाने तथा मितव्ययिता बरतने के बारे में वक्तव्य देते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मुख्य सुझावों में काम का और अधिक विकेन्द्रीकरण करने तथा वित्तीय और प्रशासकीय प्राधिकार का प्रत्यायोजन करने की बात कही गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि फाइलों पर बारम्बार टिप्पण देने की पद्धति को बदल दिया जाना चाहिये और उच्च वेतन क्रमों में पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये।

(ग) विकेन्द्रीकरण और प्राधिकार के प्रत्यायोजन के बारे में अनेक प्रकार के कार्य किये गये हैं। समय और शक्ति की बर्बादी को रोकने की दृष्टि से विभिन्न मंत्रालयों में कार्य के तरीके का अध्ययन करने के लिये एक विशेष कार्य अध्ययन टीम काम कर रही है। इस टीम द्वारा दिये गये सुझावों के फलस्वरूप कुछ परिणाम भी निकले हैं।

विनयनगर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का गोदाम

†८३९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के विनयनगर में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदाम में से बिजली के कुछ सामान के गबन की सूचना सरकार को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वह सामान कितने मूल्य का था; और

(ग) उसका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां। बिजली का कुछ सामान दिन प्रतिदिन के विभागीय कार्यों के लिये अधिकृत सेक्शन अधिकारी द्वारा स्वीकृत मांग पत्र पर लिया गया था किन्तु इस सामान का उपयोग उन कामों में नहीं किया गया, ऐसा जान पड़ता है न तो वह सेक्शन पदाधिकारी द्वारा दिये गये हिसाब में ही दिखाया गया है।

(ख) लगभग ७०,००० रुपये।

(ग) मामले में विभागीय जांच प्रगति पर है और सम्बन्धित सेक्शन पदाधिकारी मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा भी की जा रही है। अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों पर भी जो जिम्मेदारी थी उसकी भी जांच की जा रही है।

आन्ध्र कागज मिल, राजमुन्द्री

†८४०. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र कागज मिल, राजमुन्द्री के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा आवंटित कर देने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है; और

(ग) क्या निवेदन स्वीकार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). आन्ध्र सरकार के पास से आन्ध्र कागज मिल के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा आवंटित करने के बारे में कोई औपचारिक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। लाइसेंस देने वाली समिति के इस कथन की दृष्टि से कि उनकी विस्तार योजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में (जिसका प्राक्कलन विकास अनुभाग ने २.५ करोड़ रुपय लगाया है) कमी की जानी चाहिये, पता लगा है कि राज्य सरकार संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के द्वारा भारत स्थित जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि से इस बारे में बातचीत कर रही है। उनके अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

हस्तशिल्प में गवेषणा

†८४१. { श्री र० च० माझी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प में प्रयोग करने के लिये गवेषणा सेक्शन खोल दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने और वे कहां-कहां स्थापित हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) हस्तशिल्प में प्रयोग और गवषेणा करने के लिये अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और राज्य सरकारों ने निम्न गवेषणा सेक्शन खोले हैं :—

	स्थान	संख्या
(१) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	दिल्ली	१
	बम्बई	२
(२) राज्य सरकारें .	जम्मू तथा काश्मीर (श्रीनगर) . .	१
	बम्बई	१
	पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता) . .	१
	पंजाब (कुलू धरमशाला) . .	२
	उड़ीसा (कटक) . . .	२
	उत्तर प्रदेश (लखनऊ, बनारस) .	३
	मद्रास (राजपाल्यम्, अडयार, गुडूर) .	३
	मध्य प्रदेश (भोपाल) .	२
		१८

उच्चतम और उच्च न्यायालयों में श्रम विवाद

†८४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि इस समय भारत के उच्चतम अथवा उच्च न्यायालयों में क्रमशः चार, तीन, दो और एक वर्ष से अधिक समय से कितने श्रम विवाद लम्बित हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इस समय जानकारी त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मनीपुर के प्रशासनों तथा उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और केरल के राज्यों के बारे में उपलब्ध है, जो नीचे दी गई है :

लम्बित काल	लम्बित मामलों की संख्या
४ वर्ष से अधिक समय से लम्बित	३
३ वर्ष से अधिक समय से लम्बित	४
२ वर्ष से अधिक समय से लम्बित	६९
१ वर्ष से अधिक समय से लम्बित	१८९

मूल परियोजना

†८४३. **श्री दामानी** : क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 'मूल परियोजना' के अन्तर्गत हमारी परियोजनाओं के लिय जितनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता है उनमें से कहां तक उनका आयात किया गया है अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त की गई हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: योजना आयोग के "एप्राइजल एण्ड प्रासपेक्ट्स आफ दि सैकण्ड फाइव इयर प्लान" नामक प्रकाशन के पृष्ठ ८५—८७ में दी गई जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो गत मई में सभा-पटल पर रखा गया था विदेशी मुद्रा पर अथवा 'मूल' परियोजनाओं पर किया गया लगभग सम्पूर्ण व्यय पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर किया गया था । देश में तैयार की गई पूंजीगत वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम

†८४४. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा जब से लौह-अयस्क का निर्यात उसने अपने हाथों में लिया है तब से प्रति वर्ष लौह-अयस्क का कुल कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा लौह-अयस्क निर्यात का व्यापार अपने हाथों में लेने से पहले दो वर्षों में कुल कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

(क)	*१९५६–५७ (जुलाई-जून)	४,३५,६३३ टन
	१९५७–५८ (जुलाई-जून)	१९,०८,५७२ टन
	१९५८ (जुलाई-अक्तूबर)	६,८२,३६४ टन
(ख)	१९५४–५५ (जुलाई-जून)	१०२ लाख टन
	१९५५–५६ (जुलाई–जून)	१५६ लाख टन
	१९५६–५७ (जुलाई-जून)	१६,९४,३६७ टन

उड़ीसा में औद्योगिक बस्ती

†८६५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में १९५८–५९ में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) क्या यह प्रस्ताव स्वीकार किये गय हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये दो योजनाएं—एक रूरकेला में और दूसरी बरहामपुर में—१९५८–५९ में क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव रखे गये हैं।

(ख) भारत सरकार ने दोनों योजनाओं का टैक्नीकल अनुमोदन कर दिया है।

उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

†८४६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के मामलों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां। समवाय अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अधीन; और

(ख) इंसपेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रबन्ध कर्ताओं पर किसी प्रकार का दाण्डिक अपराध सिद्ध नहीं किया गया और न उन्होंने समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही की मांग की। निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट के उद्धरण इन्सपेक्टर के पास भेज दिये गये हैं ताकि वह आवश्यक कार्यवाही करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इस काल में राज्य व्यापार निगम का कोटा कुल कोटे का एक-तिहाई कर दिया गया था।

फोर्ड प्रतिष्ठान परियोजना

†८४८. **श्री दामानी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान परियोजना के अधीन हाल ही में एक अमरीकी अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ इस देश में आये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी विशेषज्ञ द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) विदेशी पूंजी विनियोजन के अवसर का अध्ययन करने के लिये स्टेनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के श्री हेरी जे० राबिनसन भारत आये थे ।

(ख) उन्होंने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की विज्ञप्तियां

८४९. **{श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय से जो सूचनायें व विज्ञप्तियां आदि निकलती थीं, उनका प्रकाशन पहले सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रेस सूचना विभाग किया करता था, किन्तु अब यह कार्य वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के सूचना विभाग ने स्वयं ले लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किन कारणों से व किस उद्देश्य से किया गया है ;

(ग) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि प्रेस सूचना विभाग पिछले कुछ वर्षों से उन विज्ञप्तियों आदि को अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया करता था, पर अब वे केवल अंग्रेजी में ही दी जाने लगी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन सब विज्ञप्तियों व सूचनाओं आदि को पूर्ववत् हिन्दी में भी प्रकाशित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) ऐसा परिवर्तन करने का कारण यह था कि मन्त्रिमण्डल के एक निर्णय के अनुसार, १५ जुलाई १९५८ से विदेश मन्त्रालय में एक नया प्रेस सम्पर्क अनुभाग (प्रेस रिलेशंस सैक्शन) खोला गया था। इस अनुभाग को एक काम यह भी सौंपा गया था कि वह विदेश कार्यालय की सारी विज्ञप्तियां और विदेश मंत्रालय के सरकारी तथा गैर-सरकारी बयान जारी करे। अभी तक यह कार्य प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा किया जाता था ।

इसे तथा अन्य कार्यों को एक जगह से दूसरी जगह इस ख्याल से ले जाया गया कि विदेश-प्रचार की जरूरतें आन्तरिक प्रचार की जरूरतों से भिन्न होती हैं । अन्य देशों के साथ प्रतिदिन विकसित होने वाले सम्बन्धों के साथ वैदेशिक प्रचार को घनिष्ठ रूप में जुड़ा रहना चाहिए । इसलिए विदेश प्रचार से सम्बद्ध अधिकारियों को विदेश मन्त्रालय के निरन्तर सम्पर्क में रहना पड़ता है क्योंकि प्रचार

†मूल अंग्रेजी में

सामग्री को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिये कौन सी नीति अपनाई जाय, इसके सम्बन्ध में केवल विदेश मन्त्रालय ही निर्देश दे सकता है। विदेश प्रचार, असल में, विदेश नीति तथा राजनय (डिप्लोमेसी) का माध्यम होता है, इसलिए यह बहुत अप्रासंगिक था कि विदेश मन्त्रालय के प्रेस-प्रचार के लिए सम्पर्क व्यवस्था किसी अन्य मन्त्रालय में हो।

(ग) और (घ). प्रेस सूचना ब्यूरो से विदेश प्रचार प्रभाग में कार्य स्थानान्तरित होने में व्यवस्था सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां ऐसी हुईं कि प्रारम्भ में, विदेश मन्त्रालय की अधिसूचनाओं और विज्ञप्तियों को साथ ही साथ हिन्दी में भी जारी करने का प्रबन्ध नहीं किया जा सका। अब इसका प्रबन्ध हो गया है और विदेश मन्त्रालय की अधिसूचनाएं और विज्ञप्तियां हिन्दी में भी जारी की जा रही हैं।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का निर्माण

†८५०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के निर्माण पर चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय के मार्फत ३० सितम्बर, १९५८ तक लगभग ३३ लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) लगभग ६० लाख रुपये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†८५१. **श्री मुरारका :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न विषयों के लिये पनरीक्षित आवेदन क्या-क्या हैं :—

(१) कृषि ;

(२) सिंचाई;

(३) विद्युत् ; और

(४) गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं।

(ख) उपरोक्त प्रत्येक शीर्ष के अधीन प्रतिवर्ष अभी तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ग) प्रत्येक के लिये नियत यथार्थ लक्ष्य क्या-क्या हैं और अभी तक कितनी प्रगति हुई ह ?

†**योजना उपमंत्री० (श्री श्या० नं०मिश्र)**: (क) से (ग). १९५६–५८ में प्राप्त यथार्थ परिणाम और सम्भावित व्यय "द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन तथा भविष्य" में दिये गये हैं जो मई,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५८ में प्रकाशित हुई है । विकास के विभिन्न शीर्ष के अधीन योजना सम्बन्धी व्यय में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी इस सैशन के दौरान में संसद् में प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र में बताई जायेगी । व्यय के अनुपात में प्राप्त यथार्थ परिणामों के बारे में भी कुछ संकेत उसी पत्र में दिया जायेगा ।

विदेशी कपास का आयात

†८५२. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) पिछले चार वर्षों में हर वर्ष भारत में आयात की गई विदेशी कपास की कुल कितनी मात्रा है ;

(ख) इस कपास का कितना मूल्य है ; और

(ग) इस आयात की अनुमति के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). कपास की विगत चार ऋतुओं में भारत में आयात की गई विदेशी कपास की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (१,००० गांठों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५४–५५	५२७.७	४४,७६.४२
१९५५–५६	५८०.३	४८,१३.३५
१९५६–५७	६१०.८	५०,४१.८३
१९५७–५८	३९७.८	३१,७०.७२

(ग) भारत में उत्पन्न कपास अधिकांशत: छोटे रेशे की किस्मों की है और वह मोटे और केवल मध्यम श्रेणी के कपड़े बनाने में ही प्रयुक्त की जाती है । अच्छे और सुपर फाइन कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली लम्बे रेशे की कपास की देश की आवश्यकता प्राय: आयात द्वारा ही पूरी होती है । कुछ सूती मिलें केवल फाइन और सुपर फाइन कपड़ों के उत्पादन में ही लगी हुई हैं ।

ईस्टर्न प्लाइवुड कम्पनी को सहायता

†८५३. **{श्री वारियर:**
श्री बासुदेवन् नायर:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कन्नानूर जिले में बालीपत्तम की ईस्टर्न प्लाइवुड कम्पनी से सहायता के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** बालीपत्तम की ईस्टन प्लाइवुड कम्पनी से सरकार को केवल एक ही अभ्यावेदन चाय की पेटियों की क्षमता बढ़ाने के बारे में प्राप्त हुआ

†मूल अंग्रेजी में

है। फैक्टरी को चाय की पेटियों की जितनी क्षमता की, अनुमति है वह सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के अनुसार है और उस की वृद्धि सम्भव नहीं है। किन्तु सहायता सम्बन्धी अस्थायी उपाय के रूप में कुछ फैक्टरियों की अप्रयुक्त क्षमता को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव पर "परस्पर समझौता आधार" पर विचार करने का निर्णय किया गया है किन्तु उस के लिये यह शर्त है कि साउथ इण्डियन प्लाइवुड मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन उस प्रकार की व्यवस्था अपनी सदस्य संस्थाओं में प्राप्त कर ले और उस के अनुसार ऐसोसियेशन को परामर्श दिया जाये।

कृषि उपकरण

†८५४. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी हटाने के उपकरणों की पूरी श्रृण्खला का निर्माण करने का लाइसेंस सरकार ने पासाभाई पटेल की फर्म को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). मेसर्स पासाभाई पटेल एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन नीचे लिखे ब्यौरे वाले मिट्टी हटाने के कुछ उपकरणों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है :—

मद	लाइसेंस का ब्यौरा
१. क्रालर ट्रैक्टर के ट्रैक हिस्से	. लगभग २००० ट्रैक टाइप ट्रैक्टरों के लिये प्रतिवर्ष बदलने सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये। लाइसेंस १७-४-५८ को दिया गया था :
२. बुलडोजर और स्क्रेपा से सम्बद्ध पुर्जे	. प्रत्येक पुर्जे की प्रतिवर्ष संख्या ६०, लाइसेंस २-८-५७ को दिया गया।

नमक

†८५५. **श्री पु० र० पटेल:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनस्कंठा जिले के संतालपुर तालुक में नमक निर्माण करने की सम्भावना मालूम की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में नमक बनाने के लाइसेंस देने की प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी नहीं।

(ख) वनस्कंठा जिले में १०० एकड़ क्षेत्र में नमक तैयार करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की एक प्रार्थना अगस्त, १९५८ में सरकार के समक्ष रखी गयी थी।

(ग) देश में नमक की आवश्यकता से अधिक उत्पादन और नमक उद्योग में मंदी को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने, नमक के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर, यह निणर्य किया है कि नमक तैयार करने अथवा नमक के वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये फिलहाल नये लाइसेंस जारी नहीं किये जायें। इस के अनुसार पक्ष को यह जानकारी दे दी गई कि उन्हें नया लाइसेंस मंजूर नहीं किया जा सकता है।

नमक उत्पाद

†८५६. **श्री पू० र० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस एकड़ से कम जमीन में नमक तैयार करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व कलक्टर को नमक बनाने का लाइसेंस देने और इस कार्य के लिये जमीन प्रदान करने का अधिकार है;

(ख) क्या नमक बनाने के लिये लाइसेंस और जमीन देने की ऐसी प्रार्थनायें वनस्कंठा जिले में रद्द कर दी गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कोई पत्र प्राप्त हुआ है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) नमक बनाने के लाइसेंस केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ के अनुसार नमक विभाग द्वारा मंजूर किये जाते हैं। राज्य सरकार से सम्बद्ध जमीनों के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व कलक्टर को नमक तैयार करने के लिये पट्टे पर जमीन देने का अधिकार है।

(ख) मालूम हुआ है कि नमक तैयार करने के लिये पट्टे पर जमीन देने की प्रार्थना नमक सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोड की सिफारिश पर किये गये निर्णय को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दी गई–अर्थात् देश में नमक का आवश्यकता से अधिक उत्पादन और नमक उद्योग में मंदी को ध्यान में रखते हुए नमक तैय्यार करने अथवा नमक के वर्तमान कारखानों में विस्तार करने के लिये फिलहाल नये लाइसेंस जारी नहीं किये जायें।

(ग) नमक विभाग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की गई थी।

पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण

†८५७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण प्रशासन के कितने कार्यालय शिलांग में किराये की इमारतों में स्थित हैं और उन पर प्रतिवर्ष किराये के रूप में कितनी रकम दी जाती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन कार्यालयों के लिये इमारतें बनाने की कोई योजना सरकार के पास है और यदि हां, तो यह इमारतें कहां बनाई जायेंगी

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) शिलांग में किराये की इमारतों में पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण प्रशासन के कुल मिलाकर सात कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में विभागों के अध्यक्ष और आसाम राइफल्स के इंस्पैक्टर जनरल के कार्यालय सम्मिलित हैं। इन इमारतों का वार्षिक किराया ९२,७२४ रुपये है।

(ख) शिलांग में पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण सचिवालय की स्थायी इमारत बनाने की एक योजना है किन्तु हेडक्वार्टर को अन्तिम रूप से स्थापित करने का स्थान तय होने तक और सामान्य वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप योजना की क्रियान्विति फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

आसाम में साइकलों का कारखाना

†८५८. श्रीमती मकीदा अहमद : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आसाम में गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक साइकिल फैक्टरी की स्थापना के लिये सरकार ने लाइसेंस दिया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जी हां। एक पारी में प्रति वर्ष ६०,००० साइकिलों के निर्माण के लिये गोहाटी में साइकिल फैक्टरी की स्थापना के लिये मैसर्स एवरेस्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, गोहाटी को जुलाई १९५८ में एक लाइसेंस दिया गया है।

राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्याण योजना

†८५९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) में राजकीय सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन निर्मित मकान पर्याप्त समय से प्रयुक्त किये बगैर पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि तैलंगाना मंडल (आंध्र प्रदेश) में विभिन्न स्थानों पर बनाये गये, २,३९५ मकानों में से वारंगल में बनाये गये ४८० मकान पानी तथा बिजली आदि की सुविधाओं के अभाव में खाली पड़े हैं।

(ग) राज्य सरकार आवश्यक सुविधाओं के उपबन्ध का प्रयत्न कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों के लिये आवास

†८६०. **श्री तंगामणि :** क्या निर्माण आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को 'जी' किस्म के १०० क्वार्टर आवंटित करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्तुतः क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्वार्टर इसलिये पहले आवंटित नहीं किये जा सके कि वह रहने के लिये हाल ही में तैयार हुए हैं । कार्यभारित कर्मचारियों में जो क्वार्टर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें आवंटन के लिये ६ दिसम्बर तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है । आवेदकों के दिल्ली में निवास पर विचार कर उन की वरिष्ठता को देख कर उस के पश्चात् तुरन्त आवंटन किया जायेगा ।

सेंधा नमक की खानों का विकास

†८६१. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डीनगर में सेन्धा नमक की खानों के विकास और जोगेन्द्र नगर में एक कारखाना स्थापित करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में १ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, १९५८ तक इस पर हर वर्ष कितनी-कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां ।

(ख) यथार्थ कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पहले विस्तृत भूतत्वीय और टैक्नीकल सर्वेक्षण आवश्यक समझा गया । भूतत्वीय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पहले यह सिद्ध करने का निर्णय किया गया कि ड्रिलिंग की सहायता से निक्षेप का अस्तित्व मालूम किया जाये । २.१९ लाख रुपये से किया गया ड्रिलिंग कार्य १९५२ में प्रारम्भ हो कर १९५५ में समाप्त हुआ । यद्यपि निक्षेपों की खोज से यह मालूम किया गया कि संचयन कम से कम १० वर्ष तक चलेगा, भूतत्वीय सर्वेक्षण की दृष्टि से उक्त निष्कर्ष परिणामहीन था और उन्होंने निक्षेपों को सिद्ध करने के लिये और कार्यक्रम की राय दी । इस के अनुसार १९५७ में १३.६१ लाख रुपये की अनुमानित लागत से खान के दो मार्ग बनाने की योजना प्रारम्भ की गई । अभी तक पूरे किये गये कार्य की लागत ६०,००० रुपये है । इस परियोजना से आगे के संचयन का अनुमान लगाने में ही सहायता नहीं मिलेगी किन्तु उस से वर्तमान उत्पादन के दुगना होने की आशा है ।

जोगेन्द्र नगर में नमक साफ करने की फैक्टरी स्थापित करने की मूल योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में तिब्बत के शरणार्थी

†८६२. **श्री बोडयार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत में तिब्बती शरणार्थियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों का क्या स्वरूप है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). चीन के अधीन तिब्बत प्रदेश के अनेक व्यक्ति भारत में रह रहे हैं। उन से भारत में अपने निवास काल के दौरान किसी प्रकार की राजनीतिक कार्यवाही में भाग न लेने के लिये कहा गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार

†८६३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार की प्रगति निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** जी नहीं। अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

त्रिपुरा में तपेदिक के रोगी

†८६४. **श्री दशरथ देव:** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों में तपेदिक के कितने रोगियों का १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में परीक्षण किया गया;

(ख) इन में स्त्रियों और बालकों की कितनी कितनी संख्या है;

(ग) सेनेटोरियम और अस्पतालों में इन के इलाज के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या इन मरीज़ों के लिये त्रिपुरा में एक पृथक केन्द्र स्थापित करने की सम्भावना है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २२]**

आयात लाइसेंस

†८६५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के निर्माण में कच्चे पदार्थों के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) कितने आवेदन पत्र रद्द हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ अनेक हैं और वह आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की विभिन्न क्रम संख्या के अन्तर्गत आते हैं। फिर इन में से अनेक वस्तुयें औषधियों के अतिरिक्त अन्य चीजें तैयार करने में भी प्रयुक्त होती हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि केवल दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के आयात के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और कितने रद्द कर दिये गये ।

पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण की मंजूरी

†८६६. **श्री पाणिग्रही**: क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने शिविरों से बाहर रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों में ऋण वितरित करने के लिये भारत सरकार से लगभग ३ करोड़ रुपये की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). शिविरों से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को ऋण देने के लिये पश्चिम बंगाल उरकार ने १९५९-६० में ३.१८ करोड़ रुपये के उपबन्ध की मांग की है। यह मांग राज्य सरकार से १९५९-६० के लिये प्राप्त बजट सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में हैं; राज्य सरकार के अन्य बजट प्रस्तावों के साथ ही इस विषय का परीक्षण किया जा रहा है ।

बरशोरा कोयला खान, आसाम

†८६७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, कलकत्ता को दी गई उस हिदायत का, कि वे बोरशेरा कोयला खान के कर्मचारियों और मालिकों में समझौते के लिये बातचीत कराने के लिये आसाम जावें, पालन नही किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, कलकत्ता से यह कहा गया था कि वे जब शिलांग जायें तो वहां पर प्रबन्धकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों में बकाया मामलों के बारे में बातचीत करें।

तकयाल (मनीपुर) में प्रविधिक स्कूल

†८६८. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल योजना के अनुसार ही मनीपुर के तकयाल को एक प्रविधिक स्कूल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या उसे आदिम जाति प्रविधिक संस्था में मिला देने की प्रस्थापना को समाप्त कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) संस्था उस स्थान पर स्थापित की जायेगी जहां मनीपुर प्रशासन अच्छा समझेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दोनों संस्थाओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को मिला देना सम्भव नहीं है ।

पंजाब में रेशम तैयार करने की फैक्टरी

†८६९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में रेशम तैयार करने की एक फैक्टरी स्थापित करन की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं ;

(ग) इस फैक्टरी पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ की जायेगी या कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लघु उद्योग सेवा संस्था, बम्बई

†८७०. **श्री पांगरकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के लघु उद्योगों ने बम्बई की प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्था से प्रविधिक सहायता ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितने उद्योगों ने सहायता ली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक बम्बई के ४,३०० लघु उद्योगों ने सहायता प्राप्त की थी ।

दस्तकारियां

†८७१. **श्री पांगरकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दस्तकारियों के विकास के लिये बम्बई सरकार को कोई सहायता देगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गई और शेष अवधि में और कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई राज्य में दस्तकारियों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । योजना के पुनर्मुल्यांकन के फलस्वरूप शायद इसमें कोई परिवर्तन करना पड़े । वास्तविक आवंटन प्रत्येक वर्ष सारी वित्तीय स्थिति, राज्यों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और की गई प्रगति आदि को देखते हुए दिया जाता है । चालू योजना में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है :

	अनुदान रुपये	ऋण रुपये
१९५६–५७	४,३७,९२०	१०,०००
१९५७–५८	२,४२,६२०	१,६३,६२५

१९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने २.५ लाख रुपये के अनुदान और १.५ लाख रुपये ऋण दिया ।

समाचार पत्रों को विज्ञापन

८७२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी समाचार पत्रों को अलग अलग विज्ञापन-शुल्क के रूप में कितनी धन-राशि दी गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): मांगी गई सूचना नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	हिन्दी पये	उर्दू पये	अंग्रेजी रुपये
१९५३–५४ . .	१६,७१६	१०,३३५	५७,७१५
१९५४–५५ . .	१६,६६४	१०,१६५	६३,८२१
१९५५–५६ .	३८,८७६	२९,५९९	३,३९,४६३
१९५६–५७ . .	५१,०३६	३९,५६५	२,९९,०४८
१९५७–५८ . .	४६,८९१	४४,९३८	३,२९,३५७
योग . .	१,७०,१८३	१,३४,६०२	१०,८९,४०४

१९५३-५४ तथा १९५४-५५ की संख्याओं में वर्गीकृत विज्ञापन पर होने वाले खर्चे को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इन विज्ञापनों का केन्द्रीयकरण, डायरेक्टोरेट आफ ऐडवरटाईजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी में अगस्त, १९५४ से किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में कारखाने

†८७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पंजाब में यदि कोई ऐसे कारखाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधीन हैं तो उनकी संख्या और उन में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है ; और

(ख) इन कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख).

कारखानों के नाम और उनके स्थान	औसतन दैनिक रोजगार
(१) भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी, जिला करनाल	८०
(२) भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, जिला गुड़गांव	९९
(३) भारत सरकार मुद्रणालय; शिमला	५४७
(४) के० एस० रेलवे वर्कशाप, कालका, ज़िला अम्बाला	१,८०९
(५) कैरिज एण्ड वैगन रिपेयर सैंटर, जगाधरी, ज़िला अम्बाला	१,९७७
(६) उत्तर रेलवे वर्कशाप, अमृतसर	१,३९६
(७) ब्रिज वर्कशाप, जालंधर छावनी	७९०
(८) उत्तर रेलवे व्हील शाप, राजपुरा, ज़िला पटियाला	१०५

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजाब राज्य में प्रतिरक्षा विभाग के कुछ कारखाने हैं। उनके नाम और स्थान बताना उचित नहीं होगा।

काजू के कारखाने

†८७४. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के रत्नगिरी ज़िले के मलवेन स्थान पर काजू उद्योग को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कारखाने बन्द हो गये हैं और शेष बन्द होने वाले हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि काजू के कारखानों के बन्द हो जाने से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कारखानों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ङ). एक विवरण नीचे दिया जाता है :

विवरण

बम्बई राज्य के रत्नगिरी जिले में काजू उद्योग को गत कई वर्ष से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिली है कि गत चार या पांच वर्षों में चार कारखाने बन्द हो चुके हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

अब केवल एक ही कारखाना चल रहा है जिसमें ५०० मजदूर काम करते हैं। कारखानों के बन्द होने का मूल कारण धन की कमी है। अन्य कई कारणों में एक यह भी है कि कच्चे काजू का संभरण नियमित रूप से नहीं होता

राज्य सरकार ने काजू की काश्त के लिये सरकारी जमीनें पट्टे पर देने के अतिरिक्त कृषकों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देकर काजू का उत्पादन बढ़ाने की चतुर्वर्षीय योजना आरम्भ की है। इस उद्योग को सहकारिता के आधार पर चलाने की सम्भावना को भी देखा जा रहा है।

पाकिस्तान से आये भूतपूर्व अपराधी जातियों के परिवारों का पुनर्वास

†८७५. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भूतपूर्व अपराधी जातियों के कितने परिवार पूर्वी पंजाब में आये ;

(ख) कितने परिवारों को पहले मुलतान, मिण्टगुमरी और झंग जिलों में जमीन देकर बसाया हुआ था ;

(ग) क्या उनके प्रव्रजन के बाद उन्हें उन जमीनों के बदले में जमीनें दी गईं जो वे पाकिस्तान में छोड़ आये थे;

(घ) क्या यह सच है कि इन परिवारों में से कुछ एक को बेदखली के नोटिस दे दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उन्हें कहीं और बसाने के लिये प्रबन्ध किया गया है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों के आंकड़े उनके स्तर और उनके व्यवसायों के अनुसार नहीं रखे गये थे। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि भूतपूर्व अपराधी जातियों के कितने परिवार भारत में आये और उनमें से कितनों को पूर्वी पंजाब में जमीन देकर बसाया गया था।

(ग) जिन लोगों ने ये दावे दिये कि वे पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित कृषक थे उन सब को भूमि आवंटित कर दी गई थी। इन व्यक्तियों के पास उपलब्ध दस्तावेजों अथवा उनके मौखिक साक्ष्य के आधार पर भूमि का आवंटन कर दिया गया था।

(घ) और (ङ). इन अस्थायी आवंटियों में से उन लोगों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं जिन के बारे में जामाबन्दियों की छानबीन करने से पता चला था कि उनके पास जमीन नहीं थी और उन्होंने गलत बयान देकर जमीन हासिल की थी। जिन लोगों ने अधिक दावे कर अधिक जमीन आवंटित करा ली थी उन्हें भी अतिरिक्त भूमि को लौटाने के नोटिस दिये गये हैं। जिन लोगों ने गलत बयानी करके और धोखे से जमीन हासिल की थी उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जीवन संबंधी प्रलेखीय चित्र

†८७६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बनाये गये ऐसे प्रलेखीय चित्रों के नाम क्या हैं जिन में उत्तर प्रदेश, विशेषतः पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल, के लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के बारे में और कौन-कौन से प्रलेखीय चित्र बनाने का विचार है; और

(ग) इनके तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के दो प्रलेखीय चित्र तैयार किये गये। उनमें से एक तो साधारण था जिसका नाम 'होली हिमालय' और दूसरा रंगीन चित्र 'कुमाऊं हिल्ज़' था। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा तैयार किये गये चार प्रलेखीय चित्रों अर्थात् 'गंगा', 'इण्डो गैंजेटिक प्लेन' (सिंध और गंगा का मैदान), 'फ़िज़ीकल फीचर्स आफ इण्डिया' (भारत की भौगोलिक स्थिति) और 'काल आफ दि माऊंटेन्स' में गढ़वाल क्षेत्र के कुछ चित्र हैं।

(ख) अभी कोई नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्रोही नागा

†८७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकोकलंग के एक नागा दुभाषिये विखेती सेमा को विद्रोही नागाओं ने शनिवार, ८ नवम्बर, १६५८ को उसके गांव में मार डाला और वे उस के भाई को भी उठा कर ले गये और उसे भी मार डाला; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). हमें यह सूचना मिली है कि दो दुभाषियों, विखेतो सेमा (न कि विखेती सेमा) और हुकिया सेमा, को नागा विद्रोही १० सितम्बर, १६५८ को उठा कर ले गये। जो ग्रामवासी उन्हें छड़ाने के लिये गये उनसे दोनों की रिहाई के लिये २५,००० रुपये मांगे। विद्रोहियों ने ६ अक्तूबर, १६५८ को विखेतो सेमा को रिहा कर दिया और वह अपने गांव में वापस आ गया।

विखेतो सेमा, जो एक सेना की चौकी में रह रहा था, ८ नवम्बर, १६५८ को अपने घर आ गया परन्तु उसी दिन साढ़े दस बजे उसे गोली से मार दिया गया।

हुकिमा सेमा को उन्होंने पकड़े रखा और यह मालूम नहीं कि उसे मार डाला गया या नहीं। अभी तक पांच व्यक्ति पकड़े गये हैं जिन पर शक था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†८७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये वित्तीय संसाधनों के प्राक्कलन योजना आयोग को भेज दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या सुझाव दिये गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने जो प्राक्कलन भेजे थे उन पर अक्तूबर में राज्य सरकार और योजना आयोग ने विचार किया था। ये प्राक्कलन उस दस्तावेज़ में शामिल हैं जो इस मास के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद् को भेजा गया था। वह दस्तावेज़ शीघ्र ही सभा-पटल पर रखा जायेगा। इस चर्चा में अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के उपायों जैसे कि सुधार शुल्क का निर्धारण तथा वसूली, कृष्य भूमि को अन्य प्रकार के प्रयोग में लाने के लिये विशेष निर्धारण, कर की वसूली में सुधार, अल्प बचत आन्दोलन को अधिक गहन बनाने के बारे में राज्य सरकार और योजना आयोग ने मिल कर विचार किया था। १९५९-६० की संसाधनों की स्थिति के बारे में शीघ्र ही आगे और चर्चा की जायेगी ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†८७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के विभिन्न काम दिलाउ दफ्तरों में १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कुल कितने व्यक्ति पंजीबद्ध हुए ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १३९,६६३ ।

(ख) २५,०८५ ।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

†८८०. **श्री आचार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक नारियल जटा उत्पादों का कितना निर्यात किया गया और उस का कितना मूल्य था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]

भूमि का अर्जन

८८१. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) चालू वर्ष में सरकार ने दिल्ली में विकास तथा मकान बनाने के लिये कितने एकड़ भूमि अर्जित की ;

(ख) ये ज़मीनें कहां-कहां हैं ;

(ग) इन जमीनों के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गयी ;

(घ) इन ज़मीनों पर कितने प्लाट बनाये जायेंगे ; और

(ङ) विकास कार्य पूरा होने के बाद इस जमीन की अनुमानतः प्रतिवर्ग गज क्या कीमत होगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री के० च० रेड्डी) : (क) ११०० एकड़ भूमि-अर्जन की कार्यवाही की जा चुकी है। इस में से अधिकतर भूमि का कब्ज़ा १९५७-५८ में और शेष का १९५८-५९ में लिया गया।

(ख) यह ज़मीन नई दिल्ली के दक्षिण रिंग रोड क्षेत्र में है।

(ग) इस ज़मीन की क्षतिपूर्ति के लिये निर्धारित रक़म लगभग १,४१,००,००० रुपये है, जिस में से ९४ लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) यह ज़मीन सरकारी इमारतों को बनाने के काम में लाई जायेगी, इसलिये इसे प्लाटों में विभाजित करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) लगभग ७ रुपये प्रति वर्ग गज़।

प्रचार की मोटर गाड़ियां

†८८२. **श्री हेम राज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सरकार की प्रचार की मोटर गाड़ियां चल रही हैं ; और

(ख) किन-किन मुख्य विषयों पर वे जनता को शिक्षा देते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]

(ख) मूल उद्देश्य है कि लोगों को पंचवर्षीय योजना, इस की मुख्य बातों, लक्ष्यों और सफलताओं के बारे में बताया जाये। यह कार्य फिल्में दिखा कर, प्रचार सामग्री बांट कर और इश्तहारों द्वारा किया जाता है।

फिल्म प्रदर्शन

८८३. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित फिल्म प्रदर्शनी में कितने समाचार-चित्र और प्रलेखीय चल-चित्र (डाक्यूमेंटरीज़) दिखाये गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन प्रदर्शनों से उक्त अवधि में कितनी आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सरकार ने ३० नवम्बर, १९५८ तक पिछले दो वर्षों में ७९ न्यूज़रील्ज़ तथा २८६ डाक्यूमेंटरी फिल्में दिखाईं जिन पर टिकट लगाया गया ।

(ख) १६,९१७.४२ रुपये ।

अशोक होटल्स लिमिटेड

†८८४. श्री राधा मोहन सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल्स की इमारत का निर्माण अशोक होटल्ज़ लिमिटेड ने स्वयं कराया था या किसी ठेकेदार द्वारा ; और

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य के देखभाल के लिये अपने कुछ पदाधिकारी भेजे थे क्योंकि कम्पनी को बड़ी भारी राशि दी गई थी ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) अशोक होटल्स की इमारत आदि के निर्माण का कार्य ठेकेदारों को सौंपा गया था।

(ख) जी हां, सरकार ने कम्पनी को, विदेशी सेवा की शर्तों पर, कुछ पदाधिकारी काम की देखभाल के लिये दिये थे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासनिक प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीमान् मैं १ अक्तूबर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ और १ अप्रैल, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक की अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के दो छमाही प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०६९/५८]

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†श्री मनुभाई शाह: श्रीमान् मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

१. कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८).

२. दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ का सरकारी संकल्प संख्या ३२ (२)-टी० आर०/५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०७०/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

३. विद्युत मोटर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

४. दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ का सरकारी संकल्प संख्या ११ (१)-टी० आर०/५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०७१/५८]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा कार्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : श्रीमान् मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा फार्म, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० २२६, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० ११०८, दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०७२/५८]

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि राजघाट समाधि (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा संशोधित राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राजघाट समाधि समिति में, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों की अनर्हता के बारे में कल जो बहस हुई थी उस को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के प्रस्तावों के साथ यह भी लिख देना चाहिये कि क्या इस पद के धारण करने से कोई अनर्हता तो नही हो जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरा विचार है कि जब सभा स्वतः चुनेगी, तो अनर्हता नही रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । संकल्पमात्र से ही अनर्हता निवारण नहीं की जा सकती । विधि आवश्यक है । प्रश्न यह है :—

> "कि राजघाट समाधि (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा संशोधित राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राजघाट समाधि समिति में, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर विचार करेगी । श्री दी० च० शर्मा भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान् कल मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि खंड ३ का सिद्धान्त अनुसूची द्वारा समाप्त हो जाता है । यह बात विधेयक के सिद्धान्तों के ही विरुद्ध है ।

हम अनेक निकायों में सभा द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इस विधयक से सारी ही गड़बड़ हो जायेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार कुछ निकाय ऐसे हैं जहां सभापति तथा सदस्य दोनों को अनर्हता प्राप्त है किन्तु कुछ निकाय ऐसे हैं जिन में सभापति अनर्ह हैं तथा सदस्यों के लिये अनर्हता नहीं है । इसमें अनर्हता का क्या प्रश्न है । यहां के सदस्य तो विभिन्न निकायों में निरीक्षक की भांति जाते हैं । अतः उन्हें इस आधार पर अनर्हता नही देनी चाहिये । मेरा तो यही विचार है कि माननीय मंत्री को यह सूची ही हटा देनी चाहिये ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि पृष्ठ ८ पर पंक्ति १८ के बाद "मैसूर आवास बोर्ड अधिनियम के अधीन निर्मित आवास बोर्ड; खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ; बंगलौर तथा मैसूर के नगर सुधार न्यास बोर्ड" शब्द रख दिये जायें । यह संशोधन राज्यों सम्बन्धी अनसूची से है । मेरा आशय है कि मैसूर आवास बोर्ड की सदस्यता से अनर्हता प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

होनी चाहिये । अन्य कई एक राज्यों में ऐसी व्यवस्था है किन्तु मैसूर में नही हैं । अतः इस क्षेत्र में भी एक समानता होनी चाहिये ।

इसी प्रकार से नगर सुधार न्यास बोर्ड की सदस्यता की अनर्हता प्रदान करने वाली होनी चाहिये । यह संशोधन कठिन नहीं है इस कारण स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं श्री नारायणन् कुट्टि मेनन के संशोधन का विरोध करता हूं । जो चीज हमने पारित कर दी है वह उसी पर पुनर्विचार के लिये हमें कह रहे हैं ।

अनुसूची लगाने का निर्णय तो हम खण्ड ३(झ) में कर ही चुके हैं अतः संशोधन का उतना भाग तो अनियमित है ।

मुझे माननीय मंत्री की इस बात पर भी आपत्ति है कि वह सूची में वृद्धि करने को तैयार नहीं हैं । उन्हें इस बारे में उदारता से काम लेना चाहिये तथा जांच के बाद जिन समितियों को उचित समझा जाये उन्हें इस में सम्मिलित कर लिया जाये ।

उदाहरणस्वरूप कोई भी कारण नहीं कि हम हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी आदि को सूची में क्यों सम्मिलित न करें ? आखिर संयुक्त समिति ने १३०० समितियों के गठन का परीक्षण किया है और तब जाकर इन १३७ समितियों को अनर्हता वाली समझा है ।

यह सूची बन चुकी है । हम इस में तब तक संशोधन नहीं कर सकते जब तक कोई गंभीर कारण न हों । अतः हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इस सूची में से कमी करना ठीक है या नहीं । बल्कि हमें तो सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक समिति के गठन को देखना है ।

गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद् तथा कृषि गवेषणा की केन्द्रीय परिषद, जिन का उल्लेख श्री मुरारका ने किया है उन के गठन के बारे में हम ने विचार किया था किन्तु उन्हें आपत्तिजनक नही समझा गया । अब यदि उन्हें सूची में सम्मिलित करना है तो इस पर गंभीरतया विचार कर लेना चाहिये । मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे "लाभ पद संबंधी समिति का प्रतिवेदन" नामक पुस्तिका पढ़ें जिसे लोक-सभा सचिवालय ने निकाला है । उन से इन समितियों का सारा ब्यौरा आप को विदित हो जायगा जिन पर विचार किया गया था ।

मैं पुनः यही प्रार्थना करूंगा कि यदि हमें सूची में कोई वृद्धि या कमी करनी हो तो उस प्रश्न पर अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिये । हमारे सामने केवल यह सिद्धान्त ही रहना चाहिये कि सदस्यों की स्वतंत्रता का किसी प्रकार से ह्रास न हो । हमें वास्तव में यही बात सब से मुख्य समझनी चाहिये कि संसद सदस्य स्वतंत्र रहें और साथ ही देश के निर्माण कार्य को भी हानि न पहुंचे ।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं यह बात जानना चाहता हूं कि जिन समितियों का उल्लेख मैंने किया था उनकी क्या स्थिति है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : सूची स्पष्ट है । यदि वहां उन समितियों का उल्लेख नहीं है तो वे अनर्हता की सूची में नहीं हैं ।

हम श्री दासप्पा का संशोधन संख्या ९१ स्वीकार करने को तैयार हैं ताकि वायु निगमों के सलाहकार बोर्डों को द्वितीय अनुसूची में रखा जाये । हम श्री पांडे के संशोधन संख्या १०७ तथा १०८ को भी स्वीकार करने को तैयार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : यदि आप उन संशोधनों को स्वीकार करते हैं तो १०५ को भी कर लें ।

†श्री अ० कु० सेन : हम स्वीकार कर लेंगे ।

मुझे खेद है कि हम श्री मुरार का के संशोधन स्वीकार नही कर सकेंगे । मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अब नवीन वृद्धियां न करायें क्योंकि स्थायी समिति समितियों के गठन की जांच इत्यादि करेगी । हमें इस कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । मुझे खेद है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मेरी बात को ठीक तरह से नहीं समझा । वास्तव में मेरी अभिव्यक्ति भी गलत थी ।

सूची में उन समितियों आदि का उल्लेख है जिन की सदस्यता अनर्हता प्रदान करने वाली है ।

मेरा निवेदन है कि हमें समितियों को सम्मिलित करने के बारे में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये क्योंकि इन सब के गठन की जांच होगी । बिना जांच हमें काम नहीं करना चाहिये । हमारी सभा की एक स्थायी समिति बन ही रही है । वह स्वतः जांच करेगी ही । यही बात मैं तब कहना चाहता था ।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन सदस्यों ने कुछ समितियों को सम्मिलित करने के लिये संशोधन रखे हैं उन्हें इन संशोधनों पर आग्रह नहीं करना चाहिये ।

अतः मैं संशोधन संख्या ९१, १०५, १०७ तथा १०८ को स्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अनुसूची को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ४ में,—पंक्ति ५ से १० हटा दी जायें ; तथा

(२) पृष्ठ ९ में,—पंक्ति २८ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

"Advisory Committee for the Air-India International Corporation appointed under Section 41 of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953).

Advisory Committee for the Indian Airlines Corporation appointed under Section 41 of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953)"

[विमान निगम अधिनियम, १९५३ (१९५३ का २७) की धारा ४१ के अधीन नियुक्त एअर-इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिये मंत्रणा समिति ।

विमान निगम अधिनियम, १९५३ (१९५३ का २७) की धारा ४१ के अधीन नियुक्त इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के लिये मंत्रणा समिति]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ में,— पंक्ति ९ से ११ हटा दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५ में, पंक्ति २९ और ३० हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ में, पंक्ति १२ से १४ हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०४ सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन भी सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) :** मेरा एक छोटा सा शाब्दिक संशोधन है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(१) कि सभा द्वारा किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप खंडों की संख्या पुनः निर्धारित की जाये ;

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ४ में खंड ३ के उपखंड (झ) में "Chairman" (सभापति) शब्द के बाद "or" (अथवा) शब्द जोड़ दिया जायें ।"

पहला संशोधन आनुषंगिक है । जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, सभा को स्मरण होगा कि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्थापित विधेयक के अनुसार यह बात थी कि सभापति, सचिव अथवा स्थायी समिति के सदस्य का पद विमुक्त न होगा । सरकार ने "स्थायी समिति आदि" के बारे में एक संशोधन स्वीकार कर लिया इस कारण यह "अथवा" शब्द बीच में आना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"(१) सभा द्वारा किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप खंडों की संख्या पुनः निर्धारित की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ४ में, खंड ३ के उपखंड (झ) में, "Chairman" (सभापति) शब्द के बाद "or" (अथवा) शब्द जोड़ दिया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस प्रकार शीघ्रता तथा अस्तव्यस्तता से यह विधेयक पारित कर के सभा ने केवल एक खतरनाक काम किया है और अभी तक किसी प्रकार का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है ।

आज हम योजनायें बना कर देश की प्रगति कर रहे हैं अतः मेरी प्रार्थना है कि हमें इसे लागू करने से पूर्व इस पर पर्याप्त विचार करना होगा । यदि बाद में सरकार को स्वतः यह अनुभव हो कि इस विधेयक के परिणाम खतरनाक निकल रहे हैं तो उन्हें स्वयं इसे निरसित करना चाहिये ।

जो लोग यह कहते हैं कि संसद् सदस्यों को निगमों से विलग रखा जाय उन्हें यह पता नहीं है कि निगम चल कैसे रहे हैं । ये निगम उन लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं जो इस सभा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं ।

आज हम गैर-सरकारी क्षेत्र को उचित सीमाओं में रखकर आगे बढ़ाना चाहते हैं । यदि हम संसद सदस्यों को निगमों से ही विलग रखेंगे तो निगम तो दृश्य के अश्व की भान्ति खतरनाक हो जायेंगे और हमारी नीति असफल हो जायेगी ।

माननीय विधि मंत्री ने श्री मुरारका का संशोधन स्वीकार न करके यह सिद्ध कर दिया है। अब तक सरकार इस बारे में उदार है । मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : द्वितीय वाचन की अवस्था में विधेयक में अनेक अच्छे सुधार कर दिये गये हैं; पर बहुत सी बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं । संसद् के अनेक सदस्य अनेक समितियों में हैं, और इस विधान के बनने के बाद भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन समितियों में संसद् किसी सदस्य को रखेगी, उनके संबंध में एक टिप्पण लगा दिया जायेगा पर क्या न्यायालय उस टिप्पण को मान्यता देगा । अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि कुछ मामलों में यह निर्णय करना बहुत कठिन होगा कि वे अनर्हता पैदा करते हैं या नहीं ।

आप एक स्थायी समिति नियुक्त करने जा रहे हैं, जो इस बात की छानबीन करेगी कि अमुक पद लाभप्रद पद है या नहीं । पर यदि न्यायालय अपना निर्णय देता है कि अमुक पद लाभप्रद है और अनर्ह करता है तो वह स्थायी समिति क्या करेगी । इसमें इस सभा का या न्यायालय का कोई दोष नहीं है । अनुच्छेद १०२ में प्रयुक्त शब्दों के कारण यह कठिनाई पैदा होगी । अतः हमारा कर्त्तव्य है कि हम बहुत ध्यानपूर्वक संशोधनों को सम्मिलित करें ताकि बाद में कठिनाई न हो ।

मैंने एक संशोधन रखा था कि यदि कोई न्यायालय किसी पद के संबंध में निर्णय देता है कि वह पद लाभप्रद है तो भी, यदि उससे कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, तो उसे

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभप्रद पद न माना जाये। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस सुझाव का आवश्य ध्यान रखें, जब विधेयक उस सभा में विचार के लिए जाये, इससे अनेक मामलों की गड़बड़ी बच जायेगी।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट) : कुछ साम्यवादी सदस्यों ने सुझाव दिया कि निगमों का प्रबन्ध विधान मंडलों द्वारा किया जाना ज्यादा अच्छा होगा। शायद वे असैनिक कर्मचारियों तथा विधान मंडल में कोई अन्तर नहीं मानते। लोकतंत्र के सुसंचालन के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक दलों को कार्यकारिणी से अलग रखा जाये। ब्रिटेन में भी यही परिपाटी है अतः मेरा निवेदन है कि यदि हम ब्रिटेन का अनुकरण करें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इन निगमों में भाग लेने से सदस्यों को शीघ्र ही बदनामी मिलेगी तथा सभा के सम्मान को धक्का लगेगा। निगमों से अलग रह कर सभा के सदस्य निगमों के सुसंचालन के संबंध में अपना कर्त्तव्य बहुत अच्छी तरह निर्वाह कर सकते हैं। हो सकता है कि आज हम इस बात को आवश्यक समझें कि निगमों में माननीय सदस्यों को सम्मिलित करें पर लोकतंत्र के सुसंचालन के लिए यह बात आगे लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। अतः मुझे आशा है कि स्थायी समिति बनने जा रही है वह इन बातों पर समुचित ध्यान रखेगी।

†श्री रंगा (तेनालि) : डा० कृष्णस्वामी ने जो कुछ कहा है उससे मैं समझता हूं। संसद् के सदस्यों को निगमों से सम्बद्ध करना लाभप्रद नहीं होगा यदि माननीय मंत्री को किसी बोर्ड या निगम का सभापति बना दिया जाये तो ठीक भी है क्योंकि मंत्री को हम अनेक प्रकार से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। पर माननीय सदस्यों के साथ ऐसी बात नहीं है। उन्हें हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अतः मंत्रियों तथा माननीय सदस्यों की गतिविधियों में अन्तर रखा जाना आवश्यक है।

इसके वेतन या भत्तों का कोई प्रश्न नहीं है। यहां तो इस बात का प्रश्न है कि किसी विशेष स्थान पर कोई सदस्य कितना प्रभाव डाल सकता है। हमारे देश में लोक तंत्रात्मक व्यवस्था है। किसी भी दिन कोई भी राजनैतिक दल सत्तारूढ़ हो सकता है। अतः हमें ऐसे खतरनाक ढंग को अपनाने से बचना चाहिये। हमारे यहां नये-नये उद्योग, नई-नई संस्थायें खुल रही हैं। यदि हम इन को सहायता दें या इनको मिलाने में सरकार को सहाता करें तो यह बहुत अच्छी बात है। पर किसी माननीय सदस्य को उस संस्था के बोर्ड से सभापति या उप-सभापति या कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जायेगा, तो वह सदस्य माननीय मंत्री से भी अधिक प्रभावशाली हो जायेगा। क्या आप समझते हैं कि बुद्धिमता तथा इन उद्योगों को परामर्श देने का सारा ज्ञान इसी सभा के सदस्यों को प्राप्त है। बात ऐसी नहीं है। बाहर बहुत से विद्वान, बुद्धिमान तथा अन्य प्रकार के योग्य व्यक्ति हैं। हम उनकी सहायता क्यों न लें। बोर्डों या समितियों में नियुक्त करने के लिए हम उन्हें क्यों न चुनें। दल बन्दी की भावना से दूर होकर हम यह चुनाव करें। मेरा अनुमान है कि ऐसे लोग अधिक अच्छी सेवा कर पायेंगे।

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि जब ये स्थायी समिति बनाई जाये तो वह इन बातों पर अच्छी तरह विचार करे।

†श्री अ० कु० सेन : डा० कृष्णस्वामी तथा प्रोफेसर रंगा के भाषणों को मैं ने बहुत ध्यान से सुना है। मुझे खेद है कि वे समझते हैं कि राष्ट्र की गतिविधियों में संसद् सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना उनकी स्वतंत्रता में बाधक बनेगा। जब संसद् ने सरकारी क्षेत्र को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में, भविष्य में, सरकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान

†मूल अंग्रेजी में

रहेगा तो संसद् ने सरकारी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है। अतः इस बात की क्या अवश्यकता है कि उन धारणाओं तथा विचारधाराओं की बातें हम करें, जिनके अधीन सरकारी क्षेत्र को स्वीकार ही नहीं किया गया है जहां सरकारी क्षेत्र है ही नहीं।

संसदीय लोकतंत्र कोई अपरिवर्तनशील ढांचा नहीं है। उसका संचालन उन विचारधाराओं तथा कर्त्तव्यों पर निर्भर होना चाहिए, जो लोकतंत्र की हों। लोकतंत्र अपनी अर्थ-व्यवस्था तथा समाज के लिए जो स्वरूप अपनाती है उसी के आधार पर लोकतंत्र का संचालन होना चाहिए। अतः ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहां सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है और जहां उसका विकास देश के विकास पर निर्भर होता है और संसद् उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है वहां संसद् को उसकी रक्षा के उत्तरदायित्व का काम अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा।

ऐसे अन्य देशों, जहां संसद पर सरकारी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी नहीं होती, उदाहरण देना भी व्यर्थ है। इंगलैण्ड का उदाहरण लेना बेकार है क्यों कि वहां सरकारी क्षेत्र को स्वीकार ही नहीं किया गया है। वहां के मजदूर दल के कार्यक्रमों का अध्ययन मैं ने बहुत गंभीरता से किया है और कुछ बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के अतिरिक्त वह राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है।

इंगलैण्ड के समाजवाद तथा भारत के समाजवाद में बहुत अन्तर है। हो सकता है कि इंगलैण्ड की अर्थ-व्यवस्था में इस्पात का राष्ट्रीयकरण आवश्यक न हो पर हमारी अर्थ व्यवस्था में आवश्यक था और हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। मैं यह नहीं मान सकता कि समाजवाद के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वह किसी से कम है। मैं बता चुका हूं कि हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को स्वीकार किया है और यदि संसद् सरकारी क्षेत्र के संबंध में अपना उत्तरदायीत्व नहीं निभाती तो इससे न तो हमारी संसद् और न हमारी अर्थ व्यवस्था का भला होगा। यह कहना व्यर्थ है कि सरकारी क्षेत्र का संचालन अन्य लोग करेंगे और संसद् केवल आलोचना करेगी। सरकारी क्षेत्र का विकास किसी जादू से नहीं होगा। उसका विकास इसी बात पर निर्भर है कि वह तभी सफल होगा जब सारा राष्ट्र, सम्पूर्ण संसद् इस क्षेत्र की सफलता में सहयोग करेगा। और यह सफलता तब तक कदापि नहीं मिल सकती जब तक कि हम केवल आलोचना को अपना कर्त्तव्य समझेंगे और उसके विकास के लिए कुछ भी नहीं करेंगे।

पुरानी बातों पर सिर पीटने से कोई लाभ नहीं। हमें अपने संविधान की रूप रेखा के अन्तर्गत लोकतंत्र की नई धारणा का निर्माण करना है और अनुच्छेद २ में यह उपबन्ध किया गया है क्योंकि उसमें अनर्हता को हटाने की व्यवस्था की गयी है। यदि यह भावना न होती तो वह उपबन्ध हमारे संविधान में क्या रखा गया है? यदि हमारे संविधान के बनाने वालों को यह पता होता कि एक दिन ऐसा आयेगा जब लाभप्रद पदों पर काम करने वाले लोगों की सहायता देश के विकास में आवश्यक होगी, तो वे अनर्हता को हटाने वाले उपबन्ध की व्यवस्था क्यों करते।

अतः हमारे संविधान में ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र को स्वीकार करने में भी यह बात छिपी हुई है कि देश के निर्माण तथा विकास में संसद् सदस्यों को महत्वपूर्ण कार्य करना है।

आज प्रातःकाल श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने जो बातें कही हैं मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं पर मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गतिविधियों के क्षेत्र में संसद् सदस्यों द्वारा अधिक भाग लेने की व्यवस्था करते समय हम इस बात का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं कि इससे संसद् सदस्यों की स्वतन्त्रता पर

कोई प्रभाव न पड़े। अतः हम जो कुछ भी प्रणाली या परिपाटी अपनायेंगे उस में इस बात का समन्वय होगा कि संसद् सदस्यों की स्वतन्त्रता पर कोई आंच न आये और साथ ही उन्हें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास संबंधी गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिले।

मैं स्वीकार करता हूं कि यह समन्वय पैदा करना कोई सरल बात नहीं है फिर भी मैं यथाशक्ति समन्वय पैदा करने का प्रयत्न करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक की कितनी आलोचना की गयी है उस को देखत हुए भी मैं जानता हूं कि समन्वय स्थापित करने से इस से काफी सहायता मिलेगी।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस विधेयक के बाद जो स्थायी समिति बनेगी वह विभिन्न संविहित तथा गैर-संविहत संस्थाओं के कार्य संचालन पर विचार करेगी और इस अधिनियम के प्रवर्तन में जो त्रुटियां दिखाई पडेंगी उन्हें समय समय पर दूर करती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :, एक बहुत खतरनाक कानून पास हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, १९५४ के अधीन निर्मित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान-सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

†**श्री वें० प० नायर** : (क्विलोन) श्रीमान, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि यह विधेयक हमको कुछ दिन पहले मिल गया था तथापि उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय के कारण यह विधेयक बनाना पड़ा है उसकी प्रति हमें कल दी गई है। परिणामस्वरुप हम लोग इस सम्बन्ध में उचित तैयारी नहीं कर पाये हैं मैं यह चाहता हूं कि सदस्यों के इस विधेयक में अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों का सम्यक् अध्ययन करने के लिये इस विधेयक पर चर्चा को एक या दो दिन तक स्थगित कर देना चाहिये। अतः मंत्री महोदय के भाषण के बाद इस विधेयक की चर्चा को एक या दो दिन के लिय स्थगित कर दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय का इस संबंध में क्या विचार है ?

†**श्री दातार** : निर्णय की प्रतियां पहले बांटी जा चुकी हैं। विधेयक पहले ही सदस्यों के पास पहुंच चुका था। काफी लोगों ने इस का अध्ययन कर लिया है। इसलिये इस पर चर्चा को स्थगित करने का कोई तात्पर्य नहीं रहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : हमें आज ३ बजे एक अन्य विधेयक पर भी चर्चा करनी है। यह विधेयक आज ही समाप्त नहीं होगा। सदस्यों को संशोधन इत्यादि रखने के लिये व अध्ययन के लिये काफी समय मिल जायेगा। जो सदस्य आज तैयार नहीं हैं वे कल बोल सकते हैं।

†श्री दातार : यह विधेयक तथा इस से पहले जारी किया गया अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण बनाने पड़े हैं। यह निर्णय विनोद कुमार इत्यादि के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य के विरुद्ध दिया गया था। यह निर्णय १० अक्तूबर, १९५८ को सुनाया गया था। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने कोई अधिनियम पास किया था। उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम को इस आधार पर शक्ति परस्तात् घोषित किया था कि जिस विधान सभा ने वह अधिनियम पारित किया था उस का गठन तथा कार्यवाही स्वयं वैध नहीं था।

इस निर्णय के कारण अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो गई थीं इसका तात्पर्य था कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने १-७-१९५४ से १-११-१९५६ के बीच जो भी कार्यवाही की है वह सब विधिमान्य नहीं थी। इस कठिनाई को स्पष्ट करने के लिये मैं आपका ध्यान अपने संविधान की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे सन् १९५० में किये गये संविधान के अनुसार राज्यों को कुछ भागों में बांटा गया था। इस में कुछ भाग 'ग' राज्य भी थे। इस के पश्चात् १९५१ में एक भाग 'ग' राज्य अधिनियम बनाया गया। उस के अनुसार 'ग' राज्यों को अपनी विधान सभा तथा मंत्रालय बनाने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक विधान सभा बनाई गई। बिलासपुर का एक अन्य भाग 'ग' राज्य भी था किन्तु इस राज्य को उक्त भाग 'ग' अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखा गया था। बाद में इस राज्य को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।

१९५२ के सामान्य निर्वाचनों में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के लिये भी सदस्य चुने गए तथा यह सभा १९५४ तक कार्य करती रही। इस सभा ने १९५४ में हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदाओं की समाप्ति तथा भूमि सुधार नामक एक अधिनियम बनाया। यह विधेयक १९५३ में पास किया गया था और अभी यह सभा के विचाराधीन ही था कि सन् १९५४ में संसद् ने "हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम (अधिनियम ३२, १९५४)" पास किया। इस अधिनियम के अनुसार पहले हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर में राज्यों को मिला कर हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन कर दिया गया। यह अधिनियम १-७-५४ से प्रवर्तन में आया।

इस अधिनियम के पास होने के बाद दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। एक यह कि क्या इस अधिनियम के पास होने के बाद मूल विधान सभा विद्यमान रहेगी अथवा नहीं। एक प्रकार के लोगों का कहना था कि संसद् के इस अधिनियम के पास होने के उपरान्त भी पुरानी विधान सभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे लोगों का कहना था कि बिलासपुर राज्य के एकीकरण के कारण हिमाचल प्रदेश क्षेत्र नामक एक नये राज्य की स्थापना हो गई है। इसलिये अब पुरानी विधान सभा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार यद्यपि हिमाचल प्रदेश का नाम वैसा ही बना रहा किन्तु यह नये राज्य क्षेत्र का द्योतक बन गया। उच्चतम न्यायालय ने भी इस का इसी प्रकार से निर्वाचन किया है।

इतना बता देने के बाद अब मैं १९५३ के उस विधेयक को लेता हूं जिस का कि मैंने अभी अभी उल्लेख किया है। यह विधेयक १९५३ में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के प्रथम सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। किन्तु इस पर १९५४ का अधिनियम बनने के बाद विचार किया गया। इस के बा

†मूल अंग्रेजी में

उस विधान सभा ने कुछ और कार्यवाही की जिस को कि उच्चतम न्यायालय ने अमान्य ठहराया है। नये अधिनियम के पश्चात् अर्थात् १-७-५४ के बाद हिमाचल प्रदेश के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने विधान सभा का दूसरा सत्र बुलाया। यह सत्र १६-७-५४ को हुआ। इस सत्र में विधान सभा ने १९५३ वाले विधेयक को, जिस में कुछ जिमींदारियों को समाप्त करने और कुछ भूमि सुधार करने का उपबन्ध था, पारित किया। इस विधेयक को २३-११-५४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इस प्रकार यह अधिनियम २६-१-५५ से प्रवर्तन में आया। इस पर कुछ जमीदारों ने यह महसूस किया कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में सरकार के विरुद्ध वाद दायर कर दिया। इस प्रकार के २८ प्रार्थना पत्र थे। उच्चतम न्यायालय के सामने दो प्रश्न थे। एक उस विधेयक के गुण दोषों के बारे में और एक उस सभा की सामर्थ्य के बारे में। उनका यह कहना था कि यह विधेयक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। जहां तक मूल अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय देना उचित नहीं समझा क्योंकि प्रथम प्रश्न के उत्तर के बारे में ही उच्चतम न्यायालय की यह उपपत्ति थी कि जिस सभा ने १९५३ में इस विधेयक को पास किया है वह सभा सक्षम तथा वैध रूप से गठित सभा नहीं थी। उस की पुष्टि में उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि १९५१ में जिस विधान सभा का गठन हुआ था उस में ३६ सदस्य थे। किन्तु अब संसद् के १९५४ के अधियिम के अनुसार नयी सभा म ३६ पुराने सदस्य तथा बिलासपुर से ५ और नये सदस्य रखे जाने थे।

अब लेफ्टीनेंट गवर्नर ने नये अधिनियम के बाद जब सभा को बुलाया उससे पहले बिलासपुर की पांच सीटों का चुनाव हो चुका था। किन्तु लेफ्टीनेंट गवर्नर ने अपनी अधिसूचना में यह प्रकट नहीं किया कि वह नये अधिनियम के अनुसार नयी विधान सभा का सत्र बुला रहे हैं प्रत्युत् उन्होंने यह सूचित किया कि वह पहली विधान सभा का दूसरा सत्र बुला रहे हैं। अब उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय करना था कि क्या संसद् का अधिनियम पारित होने के पश्चात् बुलाई गई यह सभा नयी विधान सभा थी अथवा यह पुरानी विधान सभा का दूसरा सत्र था। विधान सभा ने इसको दूसरा सत्र मान कर जिमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी विधेयक पास कर दिया।

किन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि १९५४ के अधिनियम के पश्चात् १९५१ के भाग 'ग' राज्य अधिनियम द्वारा बुलाई गई पुरानी विधान सभाएं टूट गईं मानी जानी चाहियें और उस दिन से हिमाचल प्रदेश को एक नया राज्य क्षेत्र माना जाना चाहिये। इसलिये नये राज्य बनने के बाद विधिवत् एक नयी विधान सभा बनानी ज़रूरी थी। इस प्रकार की सभा का गठन जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा ७४ के अनुसार अधिसूचना निकालने के बाद ही किया जा सकता है। किन्तु यह सब कुछ नहीं हुआ। केवल बिलासपुर के पांच स्थानों के लिये ही निर्वाचन किये गये।

†**एक माननीय सदस्य** : क्यों ?

†**श्री दातार** : अतः यह दो बातें हुईं। एक न तो धारा ७४ के अन्तर्गत कोई अधिसूचना ही निकाली गई और दूसरे न ही सारे स्थानों के लिये फिर से निर्वाचन किये गये।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या आप यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि यह क्यों नहीं किये गये ?

†**श्री दातार** : वास्तविकता यह है कि संसद् के अधिनियम का दो प्रकार से निर्वाचन हो सकता था। हमने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का भाग 'ग' राज्य और जोड़ा था। इसलिये हम यह समझते

---

†मूल अंग्रेज़ी में

थे कि हमने बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश के राज्य में मिलाया है कोई नया राज्य क्षेत्र नहीं बनाया। इसी विचारधारा के अनुसार लेफ्टीनेंट गवर्नर ने अधिसूचना में यह लिखा कि वह विधान सभा का दूसरा सत्र बुला रहे हैं। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि क्यों कि जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा ७४ के अन्तर्गत कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई इसलिये बिलासपुर की सीटों के लिये नियमित चुनाव नहीं हुआ और दूसरे चाहे पुरानी विधान सभा के कुछ सदस्यों को नई विधान सभा का सदस्य बनना हो उनको नयी विधान सभा बनने पर कम से कम नये सिरे से शपथ अवश्य लेनी चाहिये। और क्योंकि ये दोनों कार्य नहीं हुए इसलिये उच्चतम न्यायालय के मतानुसार इस सभा को विधिवत गठित हुआ नहीं माना जा सकता। इस संविधानिक अड़चन के कारण ही भूमिपतियों की विजय सम्भव हो सकी है। क्योंकि जब विधान सभा का गठन ही अवैध ठहर गया तब उसके द्वारा पारित कोई भी अधिनियम मान्य नहीं हो सकता था।

इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रश्न भी उठे हैं। १ जुलाई, १९५४ से १ नवम्बर, १९५६ तक इस विधान सभा ने कई विधेयक पास किये हैं। १ नवम्बर, १९५६ को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था और सभी स्थानों पर भाग 'ग' राज्य समाप्त हो गये थे। अतः जहां कहीं भी इन राज्यों की विधान सभाएं थी वे अपने आप समाप्त हो गईं। राज्य पुनगर्ठन अधिनियम के अधीन कुछ भाग 'ग' राज्य पड़ौस के राज्यों में मिला दिये गये थे तथा कुछ सीधे केन्द्र के प्रशासन के अधीन आ गये थे।

इसके फलस्वरूप इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कई अधिनियमों पर भी काफी प्रभाव पड़ा। यह अधिनियम विशेषतः महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्योंकि इसमें ज़मींदारी के उन्मूलन के साथ साथ काश्तकारों को बड़े अधिकार दिये गये थे। इसमें निजी भूस्वामियों से भूमियां अर्जन करने का उपबन्ध भी था, भारत सरकार इस अधिनियम की बहुत अहमीयत समझती है क्योंकि कांग्रेस ने यह प्रतिज्ञा की हुई है कि वह भूमि सुधार.....

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : यह सब ठीक है। किन्तु आपने यह असावधानी क्यों की कि यह अधिनियम लागू हो सकता है अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : इसमें असावधानी का कोई प्रश्न नहीं। हमें यकीन था कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक है। हमें दूसरे प्रकार के निर्वाचन का कभी ध्यान नहीं आया। हम अपनी समझ के अनुसार ठीक काम करते जा रहे थे।

खैर तो मैं यह कह रहा था कि हमें यह भूमि सुधार बहुत प्रिय है। किन्तु अब उच्चतम न्यायालय ने इनको सांविधानिक कारणों से अवैध ठहरा दिया है। इस अवधि में अर्थात् १ जुलाई, १९५४ और १ नवम्बर, १९५६ के बीच इस सभा ने १९५४ में तीन। १९५५ में पन्द्रह और १९५६ में उन्नीस अधिनियम बनाये हैं। हमें यह चिन्ता है इन सब विधियों का क्या होगा ? उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने बड़ी विकट परिस्थिति पैदा कर दी है। इसीलिये राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने १० अक्तूबर, १९५८ को अपना निर्णय दिया था और राष्ट्रपति ने उसके तत्काल पश्चात् २५ अक्तूबर, १९५८ को एक ऐसा ही अध्यादेश जारी किया था जैसा कि इस विधेयक में उपबन्धित है। यह अध्यादेश इसलिये जारी किया गया क्योंकि उस समय संसद् का सत्र नहीं चल रहा था। इस सत्र के प्रारम्भ होने के बाद हमने सभा में यह विधेयक पुरःस्थापित किया और अब हम इस पर विचार करना चाहते हैं। हम सारी कार्यवाही को नियमित बनाना चाहते हैं। इसीलिये हमने इस विधेयक का नाम विधान सभा के गठन तथा कार्यवाही का मान्यीकरण विधेयक रखा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दातार]

उच्चतम न्यायालय ने इस सभा के गठन पर आक्षेप किया है और उसे अवैध ठहराया है। हम उन सब चीजों को मान्यता प्रदान करना चाहते हैं।

एक सदस्य ने यह पूछा है कि यह विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत पुरःस्थापित किया गया है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि संसद् इस देश की सर्वोच्च विधान सभा है। हिमाचल प्रदेश में आज कोई विधान सभा नहीं है। इसलिये संसद् को उन सब प्रदेशों के लिये, जहां पर कोई विधान सभा नहीं है, विधियां बनाने का पूरा अधिकार है। उक्त निर्णय के कारण उत्पन्न वर्तमान अनियमितता को देखते हुए संसद् के लिये मान्यीकरण विधेयक पास करना परम आवश्यक है। इसके बिना उस सभा की सारी कार्यवाही अवैध हो जायेगी और राज्य में कोई विधि मान्य नहीं रहेगी। मुझे पूर्ण आशा है कि यह सभा इस विधेयक के उपबन्धों से पूर्णतया सहमत होगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सावन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : श्रीमान् मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं मेरा निवेदन है कि यह सभा इस प्रकार का विधेयक नहीं पारित कर सकती है। श्री नायर ने पूछा था कि सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह विधेयक पारित कर रही है। इसको मंत्री महोदय ने यह कह कर टाल दिया है हमारी सभा सर्वोच्च विधान सभा है और हम हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये किसी भी प्रकार का विधेयक बना सकते हैं। मेरा निवेदन है कि हम इस विधेयक द्वारा कोई सामान्य विधि नहीं बना रहे हैं। यदि हमारा उद्देश्य केवल उन २५ या ३० विधियों को मान्यता देना ही होता जो कि भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित की गई हैं तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु हम एक ऐसी सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देना चाहते हैं जो कि विधान सभा ही नहीं थी। हमारे संविधान के अन्तर्गत यह सभा भारत के किसी भी भाग के लिये विधान सभा नहीं बना सकती। इससे यह अधिकार लिया जा चुका है और फिर भूतलक्षी प्रभाव से किसी विधान सभा को मान्यता देना तो और भी गल्त है। विधान सभा का गठन मूलभूत विधियों के अन्तर्गत आता है। हम किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिये भी विधान सभा बनाने वाली विधि नहीं बना सकते। इस लिये मैं यह सुझाव रखूंगा कि हमें हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम के लिये पृथक् पृथक् मान्यीकरण विधेयक रखना चाहिये।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने किस प्रक्रिया का अनशरण किया है वह बिल्कुल वैध है। संसद सर्वोच्च विधान निर्मात्री संस्था है इसलिये हम विधेयकों की अनियमिततायें दूर करने में समर्थ हैं। वस्तुत मैंने इस आधार पर रखे उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि हमें प्रस्तुत नहीं की गई है, विधेयक पर विचार विलम्बित करने पर एक प्रस्ताव रखा था। लेकिन अब मैं उसे वापस लेता हूं क्योंकि सरकार इस विधेयक पर विचार करने में पूर्णतः समर्थ है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : वस्तुतः यह प्रश्न बहुत जटिल है क्योंकि यह प्रश्न एक ऐसी संस्था द्वारा बनाये गये अधिनियमों पर विचार करता है जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। अतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : प्रश्न नया विधान बनाने का नहीं है अपितु उन विधानों को मान्यता देने का है, जिन्हें कुछ व्यक्तियों के दल ने, जिसे विधान सभा का नाम दिया गया था पारित किया। और वह विधान भी व्ययगत हो गया। वस्तुतः उस सभा के सदस्य न निर्वाचित थे नहीं उन्होंने कोई शपथ ली थी। अत : ऐसी संस्था द्वारा पारित विधानों को मान्यता देने का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद १८८, १८६, १९३, १९६ व १९८ का उल्लंघन किया है ? सभा संविधान के उच्च अनुच्छेदों की अवहेलना नहीं कर सकती है। अत : यह औचित्य प्रश्न ठीक है ?

†**श्री वं० प० नायर** : मैं भी साधनगुप्त द्वारा उठाये अये औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं। वस्तुत : औचित्य प्रश्न का आशय यह है कि क्या हम व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकते हैं जिसे उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान नहीं की है। इस विधेयक के द्वारा हम एक ऐसी संस्था को जो पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में ही नहीं है नयी विधान सभा मान रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं इस औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं। हम नयी विधियां बना सकते हैं और जो विधियां उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दी गई है उन्हें पुनः लागू कर सकते हैं तथापि हम एक ऐसी संस्था को फिर से अस्तित्व में नहीं ला सकते हैं जो व्ययगत हो चुकी है न हम उस संस्था के द्वारा दो वर्ष पूर्व पारित की गई विधियों को भूतलक्ष्यी अवधि से मान्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी–गढ़वाल): हिमाचल प्रदेश १–११–५६ से पूर्व संघ राज्य क्षेत्र नहीं था। ये विधियां उससे पहिले के समय की हैं। इसलिये जब हम उस समय ये विधियां पारित नहीं कर सकते थे तो अब किस प्रकार कर सकते हैं ? मेरे विचार से विधेयक का उपस्थापन भी गल्त तरीके से हुआ है। अत : सभापति महोदय को इस औचित्य प्रश्न पर विचार करना चाहिये ?

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : १९५१ में हिमाचल प्रदेश में एक विधान सभा बनायी गयी। यह सभा उस प्रदेश के लिये १९५६ तक विधान बनाती रही। इस प्रकार १९५१ से १९५६ तक उस क्षेत्र के लिये संसद न कोई विधान बना सकती थी न उसके किसी विधान को रद्द कर सकती थी। इसलिये जब उस अवधि में सभा को हिमाचल प्रदेश विधान सभा पर कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी तो अब वह किस प्रकार उन विधानों को वैध करार दे सकती है।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मेरे विचार से यह विधान बिल्कुल वैध है। क्योंकि वास्तविक प्रश्न यह है कि संसद उस क्षेत्र के लिये विधान बना सकती है या नहीं। आलोच्य अवधि में वह क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित था इसलिये इस समय भी संसद वहां के विधानों को मान्यता देने में समर्थ है। प्रश्न केवल अधिनियमों को भूतलक्ष्यी अवधि से मान्यता देने का है न कि यह कि जिस संस्था ने यह अधिनियम पारित किये थे वह वैध है या नहीं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं श्री भरूचा तथा श्री साधन गुप्त की बातों से सहमत हूं कि इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों को मान्यकरण प्रदान करने का एक ही मार्ग है कि संसद् स्वयं उस विषय पर विधान बनाये। हमने इस संभावना पर विचार किया था और हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

सोचा कि जिस प्रकार हमने अध्यादेश बनाया था, जिसके लिए यह विधेयक बनाया जा रहा है, उस से यह प्रश्न किया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या वैसा किया जा सकता है। पहली बात यह उठाई गयी कि क्या संसद् को ऐसा अधिनियम बनाने का अधिकार है और यदि ऐसा है तो क्या संविधान संसद् को यह अधिकार देता है। प्रथम अनुच्छेद २४५(१) है जो कहता है :—

"इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के, अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।"

उसके बाद अनुच्छेद २४६(३) है जिसमें कहा गया है कि कुछ राज्य क्षेत्रों को मिला कर राज्य बनाये जाते हैं और कुछ विषय राज्य विधान मंडलों के अधीन हैं, उनके अधीन रहते हुये संसद् को अधिकार रहता है। अत : यदि हम अनुच्छेद २४५, २४६(१), २४६(२) और २४६(३) को देखें तो उस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि भारत के उन राज्य क्षेत्रों पर, जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं होंगे, संसद् का अधिकार होगा और उनके संबंध में संसद् को असीमित अधिकार प्राप्त होंगे अर्थात् उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद में यदि कोई तर्क या संशय रह जाये तो अनुच्छेद २४६(४) द्वारा उन्हें भी दूर कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि :—

"संसद् को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर वह विषय "राज्य–सूची" में प्रगणित विषय क्यों न हो।"

आगे अनुच्छेद २४८(१) में कहा गया है कि :—

"संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य–सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।"

अत: मुझे विश्वास है कि अब किसी को इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जायेगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी विषय में इस संसद् का विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि विधान बनाने के अधिकार का अर्थ होता है भूतलक्ष्यी प्रभाव वाले विधान बनाने का अधिकार प्रीवी कौंसिल के सामने आये अनेक मामलों में ऐसा ही माना जा चुका है। अत : मैं समझता हूं कि श्री मानवेन्द्र शाह की यह आपत्ति व्यर्थ है कि भूतलक्ष्यी प्रभाव वाला विधान नहीं पारित किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि अब किसी भी वकील या कानून जानने वाले के मन में अब कोई संदेह नहीं रह जायेगा।

यह भी आपत्ति की गयी कि हम ऐसे विधान मंडल को जीवन प्रदान कर रहे हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं थी, मुझे निवेदन करना है कि यदि माननीय सदस्य अध्यादेश तथा विधेयक को पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि विधान मंडल को भूतलक्ष्यी प्रभाव से मान्यीकरण या जीवन प्रदान किया जा रहा है।

ऐसा करने से हम दो कल्पनायें करते हैं। पहले तो हम विधि का निर्माण करने जा रहे हैं। हम एक वैधानिक कल्पना पर विधि निर्माण करने जा रहे हैं कि वहां का विधानमंडल विधिवत् बनाया गया था। यह एक विधि का प्रश्न है जिसे प्रत्येक वकील सदस्य जानते होंगे कि जब कोई वैधानिक

कल्पना का निर्माण किया जाता है तो यह कोई तर्क उसके विरुद्ध नहीं किया जाता कि यह तथ्य तो पहले अस्तित्व में ही नहीं था। वास्तव में, कल्पना का निर्माण करने का कारण यही होता है कि वह तथ्य पहले अस्तित्व में था ही नहीं।

अत : यह बात ठीक है कि वैधानिक कल्पना निर्माण की जा सकती है। यह कोई तर्क नहीं है कि वैधानिक कल्पना का पहले अस्तित्व ही नहीं था। श्री नौशीर भरूचा ने जोरदार तर्क दिया कि उस विधान मंडल का निर्माण विधिवत् नहीं हुआ था। ठीक है, उस विधानमंडल का निर्माण विधिवत् नहीं हुआ था ; कानून की दृष्टि से वहां कोई विधान मंडल था ही नहीं। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है कि वहां कोई विधान मंडल नहीं था। पर हम कल्पना करते हैं भूतलक्ष्यी प्रभाव से कि वहां विधान मंडल था। अत : श्री भरूचा का यह कहना व्यर्थ है कि वास्तव में वहां कोई विधान मंडल नहीं था। जहां तक वर्तमान विधि का संबंध है, यह बात सत्य है कि विधिवत् निर्मित कोई विधान मंडल वहां नहीं है। पर हम वहां पर भूतलक्ष्यी प्रभाव से विधान मंडल का निर्माण कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं ?

इस संसद् को पूर्ण अधिकार है। क्या यह सुझाव है कि यह संसद् विधान मंडल का निर्माण नहीं कर सकता ? आप ब्रिटेन की संसद् को लीजिए। क्या हमारी संसद् को ब्रिटेन की संसद् से कुछ कम अधिकार प्राप्त है।

मेरा कहना है कि संविधान में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि सीमित अधिकारों वाला विधान मंडल हमारी संसद् नहीं बना सकती। अत : यदि संसद् का आज किसी विधान मंडल के निर्माण का अधिकार है तो वह भूतलक्ष्यी प्रभाव से भी विधान मंडल बना सकती है। मान लीजिए कि इस बात के संबंध में तर्क उठाने की कुछ गुंजाइश हो पर अध्यादेश तथा विधेयक के प्रवर्तक भाग में क्या कहा गया है ? उसमें कहा गया है कि जो विधियां बनाई गयीं थी उन्हें संसद् द्वारा बनाई गयी विधियों की भांति मान्य समझा जायेगा। उसकी प्रस्तावना तथा उसके प्रथम भाग की ओर ध्यान न दीजिए। उसके प्रवर्त्तक भाग की ओर ही ध्यान दीजिए। हम यह नहीं कहते कि हम विधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। जो विधियों का निर्माण करेगी। हम तो केवल मान्यता देना चाहते हैं उन अधिनियमों को जिनके नष्ट हो जाने का भय है। केवल यही हम करना चाहते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सरकार उन अधिनियमों को मान्य बना सकती है जिनमें कुछ त्रुटि हो या जो कम से कम अस्तित्व में हों, न कि ऐसे अधिनियमों व विधेयकों को जो अस्तित्व में ही नहीं है।

†**श्री हजारनवीस** : इसी कारण हम उन्हें मान्यता देना चाहते हैं। यदि वहां कोई विधान मंडल होता तो इस विधान की कोई आवश्यकता ही न होती।

†**श्री नौशीर भरूचा** : गल्त रीति से अधिनियमित अधिनियम को आप कैसे मान्यता दे सकते हैं ?

†**श्री हजारनवीस** : मैं आप की बात का उत्तर दूंगा। मान लीजिये 'क' अधिनियम का मामला है। अब संसद् चाहे तो स्वयं 'क' अधिनियम को पारित करे या यह घोषणा करे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किया गया (क) अधिनियम मान्य है। दोनों बातों का परिणाम एक ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारीनवास]

हम ने काफी गम्भीरता से विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों पर---क्योंकि इन अधिनियमों का संबंध वहां की जनता से ही है---यदि उनका ही अधिनियम लागू करवा दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हम संसद् द्वारा अधिनियम पारित कर के उन पर लागू करें।

आखिर आपत्ति जो है, वह एक प्रविधिक प्रकार की ही है। जब वहां विधान मंडल था तो इस अधिनियम को पारित करना उस का वैधानिक कर्त्तव्य था। यह बात दूसरी है कि संविधान के विधि के अधीन जिस प्रकार इस कार्य को किया जाना चाहिये था, उस प्रकार उसने नहीं किया। अतः हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने जो अधिनियम पारित किये हैं उन्हें संसद् द्वारा पारित मान लिया जाये। इसमें क्या गल्ती है। यही बात अध्यादेश से कही गयी है और यही बात विधेयक में कही गयी है।

एक बात यह भी कही गयी कि उस समय हिमाचल प्रदेश विधान सभा विद्यमान थी अतः संसद् को विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला, जब भाग 'ग' राज्य अधिनियम पारित किया गया था तो धारा २१(२) के अधीन स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि उप धारा (२) में होने वाली कोई भी बात संसद् को संविधान द्वारा भाग 'ग' राज्यों के संबंध से विधि बनाने से वंचित नहीं करेगी। अतः संसद् ने यह अस्वीकार अधिकार अपने पास रखा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संसद् का उस के लिये विधि निर्माण करने का अधिकार होगा। जब तक कि संसद् भाग 'ग' राज्यों सम्बधी अपने अधिकारों को बिल्कुल त्याग नहीं देती तब तक संसद् को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा। धारा २१(२) द्वारा इस संबंध में सभी गल्तफहमी दूर कर दी गयी है।

संसद् इस समय कोई १९५४ में विधान नहीं बना रही है बल्कि १९५८ में, जब कि उसे अधिकार प्राप्त है, विधान बना रही है।

यह भी तर्क उपस्थित किया गया कि अब राष्ट्रपति को केवल विनियमन बनाने का ही अधिकार प्राप्त है, मेरा निवेदन है कि संविधान का अनुच्छेद २४० के अधीन संसद् पर, अनुच्छेद २४५ और २४६ (४) के अधीन, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। संविधान के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद २४५, २४६(४) और २४८ में किया गया है। ये संसद् के सम्पूर्ण अधिकार हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि इन अनुच्छेदों द्वारा संसद् को जो अधिकार दिये गये हैं वे अनुच्छेद २४० द्वारा किसी भी प्रकार कम होते हैं। पहले तो संसद् को संविधान के अधीन कुछ विशेष प्रकार के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार था पर अब संसद् के अधिकार असीमित हैं। अतः मेरा निवेदन है कि औचित्य प्रश्न को अस्वीकार किया जाये।

†सभापति महोदय : सभा को पता है कि इस सभा की संवैधानिक क्षमता के प्रश्न के संबंध में परम्परा यह है कि अध्यक्ष-पद यह निर्णय नहीं करता कि सभा सक्षम है या नहीं। यदि सभा समझती है कि सभा को संवैधानिक क्षमता प्राप्त नहीं है तो वह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। अतः अध्यक्ष-पद के लिये यह अनावश्यक है कि वह श्री साधन गुप्त के औचित्य प्रश्न पर कोई राय दे।

पर मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि चूंकि यह विधान हम १९४८ में पारित कर रहे हैं अतः हमें यह देखना चाहिये कि क्या अनुच्छेद २४५ के अधीन यह विषय आता है या नहीं। मैं समझता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

कि अनुच्छेद २४८(१) का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस समय हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र है अतः अवशेष शक्तियों का प्रश्न पैदा नहीं होता। अनुच्छेद २४५ और २४६(४) के अधीन इस सभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः संसद् कोई भी विधान पारित कर सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि उस विधान मंडल द्वारा पारित १५ या २० अधिनियमों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इन सभी अधिनियमों को मान्यता दी जाये या नहीं यह तो औचित्य प्रश्न है। पर जहां तक संवैधानिक क्षमता का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि इस सभा को पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

यह प्रश्न उठाना भी बेकार है कि हम १९५४ या ५६ में यह विधान नहीं पारित कर सकते थे क्योंकि अब तो १९५८ में हमें विधान पारित करने का अधिकार प्राप्त है, यदि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि इन अधिनियमों को मान्यता दी जाये तो ठीक है वे इसे अस्वीकार करें पर मैं यह बात स्वीकार नहीं करता कि इस सभा को इस संबंध में क्षमता ही प्राप्त नहीं है। मेरा विचार है कि इस सभा को इस प्रकार के विधान के निर्माण का पूर्ण अधिकार है।

जब कोई उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निर्णय द्वारा यह कहता है कि अमुक अधिनियम असंवैधानिक है तो हम उस के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्हें अधिकार है कि वे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दें। सभा का कर्तव्य है कि निर्णय में कही गयी आपत्तिजनक बात को निकाल दे। पर जहां तक विधान की उपयोगिता का प्रश्न है कि अमुक विधान जनता के लिये कितना उपयोगी है यह काम इस सभा का है न कि न्यायालय का। अतः इन अधिनियमों को मान्यता देने या न देने का अधिकार तो इस सभा को प्राप्त है ही। अतः मेरा विचार है कि औचित्य प्रश्न में जो आपत्ति की गयी है वह स्वीकार नहीं की जा सकती।

जहां तक उन अधिनियमों का प्रश्न है जिन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन्हें उन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उन अधिनियमों की सूची माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायें। इन अधिनियमों की प्रतियां पुस्तकालय में देखी जा सकती हैं।

जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसे मान्यता प्रदान कर के हम उन जमींदारों का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं जिन्हों ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब यह प्रश्न रह जाता है कि क्या विधान संविधान के अनुच्छेद १४, १९ और ३१ के विरुद्ध है? यह काम उच्चतम न्यायालय का है। साथ ही इस सभा का कर्तव्य है कि वह उन जमींदारों के अधिकारों की भी रक्षा करे। हो सकता है कि जमींदारों को अब एक नई अपील करनी पड़े या उस अपील में कुछ संशोधन करना पड़े। पर हम जमींदारों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। उस पर तो उच्चतम न्यायालय ही निर्णय करेगा। यह निर्णय तो उच्चतम न्यायालय ही करेगा कि यह विधान संविधान के उपबन्धों के अनुसरण में है या नहीं। हमारा संबंध तो केवल इस बात से है कि क्या यह संसद् सक्षम है या नहीं और मैं समझता हूं कि यह सभा इस विधान का निर्माण करने के लिये पूर्णतः सक्षम है।

अब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।

श्री पद्म देव (चम्बा): सभापति महोदय, अभी जो विषय विचाराधीन है, वह हिमाचल से सम्बन्ध रखता है जो कि एक छोटा सा इलाका है जिस की आबादी ११ लाख के करीब है और जिस का रकबा ११,००० मुरब्बा मील है। यह प्रदेश इस वक्त सेंटर का टैनेंट एट विल है।

[श्री पद्म देव]

मेरी समझ में नहीं आया कि उन लोगों की भलाई के बिलों को पारित कर के तथा जो और कार्यवाही उस असैम्बली में हुई क्या वह सारी कायदे कानून के खिलाफ थी। इस आधार पर उस को माना नहीं गया है कि जो वैधानिक बातें वहां होनी थीं वे उस असेम्बली में नहीं की गई, जिस के कारण उस की कार्यवाही को अवैध घोषित किया गया और उस के बाद अब यह पार्लियामेंट उन को वैध घोषित कर रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस के अन्दर क्या अड़चनें आती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जब १९५२ में हिमाचल में लोक प्रिय सरकार बनी तो जैसा कि स्वाभाविक था उस के सामने सब से बड़ी बात यह आई कि लोगों का सुधार कैसे हो, लोगों का उद्धार कैसे हो। ट्रांस्पोर्ट नैशनेलाइज हुआ, पंचायत एक्ट बना, कोआपरेटिव एक्ट बना, भाषा के सम्बन्ध में विधेयक पारित हुआ और इसी तरीके से फ्रूट, नर्सरी और कई दूसरी प्रकार के अधिनियम, कई दूसरी प्रकार के विधेयक वहां पारित हुए। लेकिन सब से बड़ा और सब से महत्वपूर्ण अधिनियम जो वहां पारित हुआ वह सम्बन्ध रखता था बड़ी जमींदारियों से और भूमि सम्बन्धी सुधारों से। इस अधियिम में क्या क्या बातें थीं, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ आप से निवेदन करना चाहता हूं।

सब से बड़ी बात तो यह थी और यह लोगों को बड़ा दुःख भी दे रही थी कि लोगों का इजैक्टमेंट हो रहा था और इस को बन्द कर दिया गया। इस से जो धांधली गरीब लोगों के साथ हो रही थी वह बन्द हो गई। लेकिन लोगों के दिलों में इस के प्रति—मेरा मतलब भूमि से सम्बन्ध रखने वाले लोगों से है—बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। दूसरी बात यह है कि वहां पर काश्तकार जो लगान देते थे वह जमीन की उपज का ५० प्रतिशत था। इतना ही काश्तकारों को नहीं देना पड़ता था लेकिन और भी बहुत सी चीजें थीं जो कि काश्तकारों को देनी पड़ती थीं। लेकिन इस अधिनियम ने यह व्यवस्था कर दी कि केवल १/४ उपज का भाग मालगुजार को देना पड़ेगा। मालगुजार खुद अपनी जमीन में आ कर के अपना हिस्सा लेगा, इस किस्म की कोई बात थी, जो स्वभावतः मालगुजारों को बुरी लगनी थी और लगी। और उस के प्रति उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। इस के साथ ही साथ एक चीज यह भी रखी गई कि जो मौरूसी मुजायरे हैं और जो गैर-मौरूसी मुजायरे हैं वे भी मलकियत ले सकते हैं मालिक जमीन से। अगर वे मौरूसी हैं तो २४ गुना मालिये का और गैर-मौरूसी हैं तो ४८ गुना मालिये का अदा कर के वे मालिक बन सकते हैं।

इस पर भी चूंकि वहां पर मालिया बहुत थोड़ा है और ज़मीन की कीमत भी कई जगहों पर बहुत थोड़ी पड़ी, मालगुज़ारों को कष्ट हुआ और यह बहुत स्वाभाविक ही था। इसके साथ साथ एक बात और हुई और वह यह थी कि हिमाचल में ज़मीन के तोल माप के ऊपर उसकी एलाटमट फ़िक्स नहीं हुई बल्कि मालिये के मुताबिक हुई। कहीं पर ज़मीन अच्छी थी और कहीं पर बुरी थी और इसके मुताबिक यदि ज़मीन की फिक्सेशन ज़मीन के तोल माप पर होती तो लोगों को नुकसान था। इसलिये मालिये के आधार पर इसको रखा गया। १२५ रुपया सालाना मालिये की ज़मीन तक वह अपने पास रख सकता है, इससे अधिक ज़मीन नहीं रख सकता। इसके साथ एक बात और हुई कि अगर किसी मालगुज़ार के पास ज़मीन नही है और उसकी जो ज़मीन है वह सारी की सारी टैनेंटस के पास है और अब अगर वह अपने पास कुछ ज़मीन रखना चाहता है तो उसके लिए उसको पांच एकड़ तक की सुविधा दी गई। लेकिन इस में शर्त यह थी कि टैनेंट से १/४ हिस्सा ज़मीन हीं ले सकता है। इस में कोई शक़ नहीं कि इससे वहां पर लोगों को बड़ा कष्ट हुआ और यह स्वाभाविक भी था। संम्भव है इसके सम्बन्ध में फिर कभी इस सम्माननीय सदन में विचार

हो । लेकिन इस से जो कष्ट हुआ मैं उसे आपको बतलाना चाहता हूं । मान लीजिये कि एक मालगुज़ार के पास चार सौ बीघे ज़मीन है और वह बिखरी हुई है । एक जगह पर दस बीघे है, दूसरी जगह पर दस बीघे है और इसी तरह से कई जगहों पर वह बिखरी हुई है । जहां पर दस बीघे है उसका चौथा हिस्सा यानी ढाई बीघे उसको मिल गया, दूसरी जगह से भी इसी तरह से ढाई बीघे उसे मिल गया और इसी तरह से सभी जगहों से चौथा हिस्सा उसको मिल गया । इस तरह से ढाई ढाई बीघे ज़मीन जब उसको कई जगह पर बिखरी हुई मिली तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि अगर उसको दस जगह पर इस तरह से जमीन मिली तो उसको इन ढाई ढाई बीघों की काश्त करने के लिये दस जगहों पर जाना पड़ा । एक और भी मुश्किल पैदा हुई और वह यह थी कि जो कीमत ज़मीन की रखी गई वह स्लाइडिंग स्केल में थी । इसका नतीजा यह हुआ कि जिस के पास बहुत अधिक ज़मीन थी उस ज़मीन की आखिरी जो कीमत हुई वह ५० परसेंट ही रह गई जिसका नतीजा यह हुआ कि जो मालगुज़ार थे उनको बहुत कष्ट हुआ । इस में शक नहीं कि कुछ ऐसे मालगुज़ार भी हैं जो दो बीघे के या चार बीघे के या दस बीघे के ही मालिक हैं । ऐसी सूरत में जिन के पास इतनी ज़मीन थी और वे खुद काश्त नहीं करते थे तो वह सब की सब काश्तकारों को चली गई, उसके बाद मालगुज़ार खुद बिना ज़मीन के रह गये । इस तरह से हिमाचल की उस विधान सभा का जहां तक ताल्लुक था उसने तो इस आधार को सामने रख कर कि लैंड टू दी टिल्लर, ज़मीन उसकी होगी जोकि काश्त करता है, कानून बना दिया । लेकिन मालगुज़ारों की आदत दूसरे ढंग की थी । नौकरियां उनके पास थी, लम्बरदारी उनके पास थी, जैलदारी उनके पास थी, लीडरी उनके पास थी और ज़मीन भी उनके पास ही थी और उपज का कुछ हिस्सा भी उनके घर पहुंच जाता था । अब उनके सामने कठिनाइयां पैदा हुई और बड़ा संकट का समय उनके सामने आया और उस संकट को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे । सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि अभी आपने माननीय मंत्री महोदय के मुख से सुना तकरीबन ३१ अर्ज़ियां गईं जिन में दो बातें उठाई गईं थीं । एक तो यह कि जिस असैम्बली ने इस विधान को, इस विधेयक को, इस अधिनियम को पारित किया, वह इसको पारित करने के योग्य नही थी और दूसरा यह कि भारतीय विधान के अध्याय ३ और ८ के अधिनियम के वह विरुद्ध था, इसलिए इसको अवैध घोषित किया जाये । जैसा कि अभी आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस वक्त यह सारी कार्रवाई गई, तो उसने सारी चीज़ को सामने रख करके एक बात का फैसला दिया और वह इस प्रकार है :—

> "हमारा विचार है कि तथाकथित विधान सभा, जो संयोजित की गयी थी और जिसने उन्मूलन अधिनियम पारित किया है, नये राज्य अधिनियम के अधीन निर्मित नये हिमाचल प्रदेश की विधान सभा नही थी; अतः यह पारित अधिनियम मान्य पारित विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता ।"

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है ।

अब गणपूर्ति हो गई है ।

श्री पद्म देव : इसलिये जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई थी, उस के मुताबिक जो कार्यवाई अप्रैल १९५४ से ले कर अक्तूबर १९५८ तक हुई वह अवैधानिक घोषित की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पद्म देव]

अभी यहां पर कई प्रकार के विचार प्रकट किये गये । मैं माननीय सदन के सामने यह कह देना चाहता हूं कि वहां पर जितने भी अधिनियम पारित हुए १९५४ से १९५६ तक, वह सब नियम-पूर्वक वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली के द्वारा पारित किये गये । कानूनी अड़चन सिर्फ इतनी हुई कि जो पुराना हिमाचल था उस के ३६ मेम्बर थे और जब नया हिमाचल बना तो उस के ४१ मेम्बर हुए, और ४१ मेम्बरों ही ने सारा लेजिस्लेशन १९५४ से ले कर १९५६ तक पास किया । इस के अन्दर यह आपत्ति उठाई गई कि जब नया हिमाचल बना और यहां के मेम्बरों ने नये ऐक्ट को पारित किया और उस के अनुसार जब अप्रैल में हिमाचल असेम्बली का नया अधिवेशन हुआ तो वहां के सदस्यों को नये तरह से ओथ लेना चाहिये था । नये तरह से स्पीकर का और नये ही तरह से डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन होना चाहिये था और उसी तरह की नोटिस भेजनी चाहिये थी । चूंकि इस किस्म की वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिये उस सब कार्रवाई को अवैध करार दे दिया गया । जैसा मैं ने पहले निवेदन किया, जिन मेम्बरों द्वारा हिमाचल असेम्बली बनी उन्होंने, पुराने मेम्बरों की तरह ही सारा काम किया, उस के अन्दर वही स्पीकर, वही डिप्टी स्पीकर, सब के सब उसी तरह से रहे । लेकिन कानूनी नुक्ता यह लाया गया कि कसम इस के लिये नहीं ली गई थी, पुख्ता तौर पर दुबारा उस को घोषत नहीं किया गया कि यह नई असेम्बली का पहला सेशन है । उसके अन्दर यह कहा गया कि यह सेकेन्ड सेशन है, और इस लिये कहा गया कि वहां पर सब कार्रवाई गलत की गई ।

इस समय इस माननीय सदन के सामने प्रश्न यह नहीं है कि उस के अन्दर जो अधिनियम पारित हुए, वे क्या हैं । अभी जैसी कि मांग की गई है, अगर वह सारे के सारे अधिनियम यहां पर हों, तो इस माननीय सदन को पूर्ण अधिकार है कि उन में जिस प्रकार का संशोधन चाहे करे, चाहे वह भूमि सुधार के विषय में हों, कोआपरेटिव के विषय में हों, पंचायत के विषय में हों या नरसरी के विषय में हों । जितने भी अधिनियम वहां पर पारित हुए उन में यह संशोधन कर सकता है या उन को गलत कह सकता है । लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि सन् १९५४ से लेकर १९५६ तक जो भी कार्रवाई वहां हुई है, उस में केवल वही अधिनियम नहीं हैं जिन के जरिये से हिमाचल के अन्दर बड़ी उन्नति हुई, कई प्रगतिशील कार्य हुए, कई ऐसे कार्य हुए जिन के लिये कहा गया कि वे बड़े ड्रास्टिक स्टेप थे, बल्कि इस दर्म्यान में मिनिस्टर थे, असेम्बली के मेम्बर थे, स्पीकर महोदय थे, उन सब के ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया उस को भी नाजायज करार देने का प्रश्न है, जितनी भी उस की कार्रवाइयां थी, उन सब को नाजायज करार देने का प्रश्न है । अगर यह माननीय सदन अपने को इस के लिये काम्पीटेंट नहीं समझता कि उस सब कार्रवाई को वैधानिक रूप दे दे, अगर यह उस के काबिल नहीं है कि जो पिछली असेम्बली थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, तो आखिर इस को ठीक कैसे किया जा सकेगा ? इतना रुपया खर्च हुआ, सारा काम हुआ है । मैं समझता हूं कि यह सदन ही एक ऐसा सदन है जो कि इस को वैध रूप दे सकता है । इस सदन को छोड़ कर कोई भी दूसरा सदन ऐसा नहीं है, जो कि उस को मान्यता दे सके । उसी मान्यता को देने के लिये हमारे गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है और मैं समझता हूं कि वह इसके लिये बधाई का पात्र है । अगर थोड़े दिनों पूर्व राष्ट्रपति की ओर से आर्डिनेन्स जारी न हो जाता तो वहां लड़ाई शुरू हो जानी थी । पता नहीं वहां के लोग क्या क्या करते और कितना झगड़ा होता, कितने जलसे जलूस निकलते, उस वक्त जो भी कदम उठाया गया वह बहुत उचित कदम था । उस के निर्माण के बाद जब यह माननीय सदन बैठा तो गृह मंत्रालय ने उसे "लिडेशन ऐक्ट के नाम से यहां पर रखा है । इस वक्त केवल एक ही काम हमारे सामने है कि जिस लेजिस्लेटिव असेम्बली की रचना ठीक थी, उस में स्पीकर भी थे, डिप्टी स्पीकर भी थे, सारे के सारे लोग वहां थे, सिर्फ इस सदन की मंजूरी नहीं हुई थी, जिस की वजह से उस को इन्वैलिड करार दे दिया गया, उस को वैलिडेट कर दे ।

अगर जिमींदारों की तरफ से ऐतराज न होता जमीन के सम्बन्ध में, तो कोई बात न उठती। वहां कोआपरेटिव का काम चल रहा था, हर किस्म का काम चल रहा था, किसी को उस के ऊपर एतराज नहीं था। वह कानून जैसे बने हुए थे वैसे ही चलने दिये गये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त प्रश्न यह नहीं है कि उन कानूनों के अन्दर क्या है, वह कानून बड़े सख्त हैं या नर्म हैं, वह मालगुजारों के हक में हैं या काश्तका ों के हक में हैं। केवल यही चीज़ इस के सामने है कि इस दर्म्यान जो भी कायदे कानून पास हुए, जो भी खर्च हुआ, उन को अपनी मंजूरी दे दे। हमारे सामने आज जो **दी हिमाचल प्रदेश** लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली (कांस्टिट्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स) वैलिडेशन बिल है, उस का इतना ही उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश असेम्बली में जो भी कानून बने, उन को उसे वैध करना है। यह माना जा सकता है कि शायद कुछ कानूनों को कार्य रूप देने में गवर्नमेंट को अड़चन पड़े। मुमकिन है कि गवर्नमेंट भी यहां पर उन कानूनों के बारे में संशोधन पेश करे। इसी तरह से मालगुजारों के सम्बन्ध में भी कुछ हो सकता है। जैसा मैं ने कहा हिमाचल प्रदेश के अन्दर लोगों को अपनी जमीनों से बहुत प्यार है, अपने बच्चों से भी उनको उतना प्यार नहीं है। हर एक आदमी चाहता है अगर कहीं पर कोई पत्थर भी हो तो उस पर मिट्टी रख कर मैं उस को जमीन बना लूं। वहां का आदमी समझता है कि वह जमीन पर जिंदा है। किसी आदमी का अगर बैंक बैलेंस हो तो वह उस को भी उतना नहीं समझता जितना कि वह जमीन को समझता है। हो सकता है कि इस मे कुछ लोगों को तकलीफ हो और उस के बारे में भी कोई संशोधन आये और इस माननीय सदन को उस पर विचार करना पड़े। यह माननीय सदन उस के ऊपर काफी गौर व खोज कर सकता है, विचार कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है। लेकिन इस सब के होते हुए भी मेरा निवेदन है कि आज इस सदन के सामने जो विधेयक उपस्थित है, अर्थात् सन् १९५४ से लेकर १९५६ तक हिमाचल प्रदेश असेम्बली की जो कार्रवाई हुई है उस को वह ैधानिक रूप दे दे, इस पर इस सदन को विचार करना चाहिये। जैसा मैं ने कहा कि हिमाचल तो आज **टेनेन्ट ऐट विल है,** सेन्टर के मातहत है, इस लिये आप वहां की चीज़ पर जितना भी विचार कर सकते हैं, करें, क्योंकि अगर इस में देर हो जायेगी तो और ज्यादा अड़चनें पड़ जायेंगी। इसलिये इस सदन को चाहिये कि वह इस विधेयक को पारित करने की कृपा करे। इस में और कोई लम्बी बात नहीं है।

†**श्री जोगेन्द्र सेन** (मंडी) : जो विधेयक हमारे सम्मुख है उसमें उन अधिनियमों का उल्लेख तक नही है जिनको मान्यता प्रदान करनी है। अतः मैं इस अवस्था में तब तक कुछ नही कहूंगा जब तक कि अधिनियमों की सूची हमें नही उपलब्ध हो जाती। लेकिन सभापति महोदय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह माननीय सदस्यों को सूची उपलब्ध करायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अतः माननीय सदस्य तभी भाषण दें जब अधिनियमों की सूची उन्हें मिल जाये। अब हम लोग अगला विषय लेंगे।

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति, और कपड़ा उद्योग, जो कि इस व्यापार में मुख्य रूप से योग देता है, की स्थिति पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सभी जानते हैं कि देश के औद्योगीकरण की प्रगति बहुत हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि हम मशीनों, औद्योगिक उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल के आयात का मूल्य कहां तक चुका सकते हैं। हमने देश के औद्योगीकरण की क्षमता बनाने के लिये विदेशी मुद्रा के अपने रक्षित कोष का काफी बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। आज भी देश में औद्योगिक तथा कृषीय उत्पादन में लगातार वृद्धि करते जाने के लिये हमारी आयात की आवश्यकतायें काफी बड़ी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति, इन आयातों के मूल्य की अदायगी तभी की जा सकेगी, जब हम निर्यात से होने वाली अपनी आय में वृद्धि करें। लेकिन चिन्ता इस बात से पैदा होती है कि हाल में हमने निर्यात से होने वाली अपनी आय में वृद्धि करने की जितनी कोशिशें कीं, वे सफल नहीं हो सकीं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने १९५४ में ही देश की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिये विशेष रूप से प्रयास करने आरम्भ किये थे। इसी प्रयोजन से, निर्यात की अधिक सम्भावनायें रखने वाली कुछ वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषदें बनाई गई थीं। अक्टूबर, १९५४ में ही सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना हुई थी और बाद के वर्षों में कुछ विशेष वस्तुओं के लिये दस और परिषदें स्थापित की गई थीं। कॉफी, चाय, नारियल जटा, दस्तकारी और हाथकरघा के बोर्डों से कहा गया था कि वे निर्यात बाज़ारों की ओर विशेष ध्यान दें। १९५६ और १९५७ में निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये क्रमशः राज्य व्यापार निगम और निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

साथ ही प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार के निदेशालयों में और अधिक कर्मचारी रखने की और वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी के महानिदेशक के काम को एक नये सिरे से अधिक जोश के साथ शुरू करने की कोशिशें की गई थीं। विदेशों में अपने व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डलों में भी अधिक कर्मचारी बढ़ाये गये थे। जुलाई १९५७ में विदेशी व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिस से कि देश के वाणिज्यिक प्रयत्नों में सह-कार्य पैदा किया जा सके और उनका ठीक से पथ-प्रदर्शन हो सके। साथ ही, बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये और निर्यातकों को प्रभावशाली ढंग से सहायता देने के लिये निर्यात संवर्धन निदेशालय संगठित किया गया था।

इन संगठनात्मक और इनके साथ ही अन्य उपायों के कारण ही हमारे देश को भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुधरी हुई स्थिति का लाभ मिला था।

आपको याद होगा कि १९५४ में निर्यात से होने वाली हमारी आय ५५८ करोड़ रुपये हो गई थी। १९५५ में वह ६०२ करोड़ रुपयों तक पहुंच गई थी। और १९५६ में तो वह ६१३ करोड़ हो गई थी। १९५७ के पहले तीन महीनों तक सुधार की यही गति बनी रही लेकिन विश्व के कुछ बहुत अधिक औद्योगिक देशों में मन्दी आ जाने के कारण उस वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में हमारे देश के निर्यात व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

अक्टूबर, १९५७ में हमारे देश के निर्यात में ८ करोड़ रुपयों की कमी हो गई, फिर हालांकि नवम्बर में दशा में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन दिसम्बर, में फिर निर्यात घटने लगा। इस वर्ष के पहले पांच महीनों में निर्यात आय घटती ही गई, और जून में तो हम निर्यात से कुल २८ करोड़ रुपये ही पा सके। इसका एक कारण हमारे पत्तनों में चलने वाली हड़ताल भी थी।

अब खुशी की बात यह है कि जुलाई, १९५८ से इस स्थिति में कुछ सुधार होने लगा है। हमारी निर्यात आय जुलाई में ५४ करोड़ और सितम्बर में ५८ करोड़ रुपये हो गई थी।

इसीलिये हम आशा करते हैं कि अब हमारी निर्यात सम्बन्धी स्थिति में सुधार होता ही चलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसे मानकर, आत्मतुष्टि से बैठ रहें। हां, इतना जरूर है कि निराश होने का कारण भी नहीं है। जून १९५८ तक हमारे निर्यात व्यापार में जो गिरावट आई थी उसका मुख्य कारण था वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आना, और दूसरा कारण यह था कि अमरीका और पश्चिमी यूरोप के अधिक औद्योगिक देशों की मन्डी का प्रभाव भी हमारे निर्यात व्यापार पर पड़ा था।

इस काल में औद्योगिक रूप से बहुत उन्नत देशों के आयात में काफी बड़ी गिरावट आ गई थी और उसी के परिणामस्वरूप प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर करने वाले अविकसित देशों का आयात-व्यापार भी घट गया था। कुछ दक्षिण अमरीकी देशों की निर्यात आय तो लगभग २५ प्रतिशत और हमारे कुछ पड़ौसी देशों की निर्यात आय लगभग २० प्रतिशत तक घट गई थी। मेरे सहयोगी ने आज आप को बताया था कि इस काल में प्राथमिक उत्पादों के हमारे निर्यात में १८ से २० प्रतिशत तक कमी आ गई थी।

लेकिन सभी चीजें निराशाजनक नही हैं। हमने गत नौ महीनों में काफी कुछ कर लिया है। कुछ तो आयात किये जाने वाले औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों की गिरावट के कारण, और कुछ हमारी सख्त आयात नीति के कारण, हमने अपने देश के निर्यातों और आयातों के अन्तर को काफी कम कर लिया है उदाहरण के लिये, १९५७ के जनवरी से सितम्बर तक के महीनों में निर्यात और आयात का अन्तर २६५.८ करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जो अब इस वर्ष उन्हीं महीनों में सिर्फ १५७.५ करोड़ रुपयों का ही रह गया है। सितम्बर, १९५८ के आंकड़े ही अभी तक प्राप्य हैं, और उनसे पता चलता है कि आयातों के मुकाबले हमारे निर्यात कुछ अतिरिक्त ही हैं। यह देख कर भी बड़ी आशा बंधती है कि मांग कम होने के काल में भी हम चाय, काजू, तम्बाकू और अलसी के तेल के निर्यात की मात्रा थोड़ी वृद्धि करने में समर्थ हो गये। साथ ही, हम अपनी कुछ निर्मित वस्तुओं के निर्यात से—सिलाई की मशीनों, आग बुझाने के इंजिनों, और कुछ छोटी मशीनों, नकली रेशम, इत्यादि के निर्यात से—अपनी नक़द आय बढ़ाने में भी समर्थ रहे। यह सही है कि हमारे विदेशी व्यापार में अभी निर्मित वस्तुओं का अंश बहुत ही थोड़ा रहता है। लेकिन हमारे सतत प्रयत्नों को जो सफलता मिली है और सदा की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में जो वृद्धि की जा सकी है, उसे देखते हु हमारा यह विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमा ी अर्थ व्यवस्था में प्रगति और सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है।

फिर भी, हमें अभी कई वर्ष तक अपनी निर्यात आय के लिये निर्यात की वर्तमान मुख्य वस्तुओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यही कारण है कि सूती कपड़ों, मैंगनीज़ अयस्क, बोरियों, अंडी का तेल, चमड़ा तथा खालों, कपास और ऊन के निर्यात से होने वाली आय में कमी होने से हमें विशेष चिन्ता है। सूती कपड़ों के निर्यात की समस्या तो वाकई बड़ी टेढ़ी है।

जनवरी से सितम्बर, १९५८ तक के काल में मिल और हाथकरघे दोनों ही प्रकार के सूती कपड़े का निर्यात लगभग ४,६७० लाख गज़ था। इस आधार पर, इस वर्ष हमारा वार्षिक निर्यात ६,२५० लाख गज़ रहेगा। १९५७ में हमारा निर्यात ८७८० लाख गज़ था। यह बहुत बड़ी कमी है। पहले भी सूती कपड़े के निर्यात में ऐसी गिरावटें आती रही हैं। उदाहरण के लिये, १९५० में हमने ११,००० लाख गज़ का निर्यात किया था, जो १९५१ में ७,७८० लाख गज़ ही रह गया था। १९५२ में तो वह ६०२० लाख गज़ ही रह गया था। लेकिन फिर भी, हमें बड़ी सावधानी से इस गिरावट के कारणों पर विचार करना चाहिये।

१९५७ के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में सामान्यतया मन्दी तो आई ही थी, साथ ही सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी हुई थी। कई देश अपने यहां सूती कपड़े के कारखाने स्थापित कर रहे हैं। इसका बाज़ार इसीलिये संकुचित हो रहा है और इसीलिये हमको अधिक कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। साथ ही, अन्य देश भी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कठिनाइयां महसूस करने के कारण अपने आयात कम कर रहे हैं।

इस गिरावट के लक्षण साल के शुरू में ही दिखने लगे थे, और मैंने उसी समय एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त कर दी थी, जिसमें सभी हितों के प्रतिनिधि थे, और जिसका काम था कपड़ा उद्योग की कई समस्याओं पर विचार करना। इस समिति ने इन सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है। समिति ने निर्यात व्यापार में सुधार के लिये कुछ सुझाव भी रखे हैं, और सरकार ने उनमें से कई को कार्यान्वित भी कर दिया है। चालू वर्ष के उत्तरार्ध में आयात नीति कार्यक्रम के अन्तर्गत, निर्यात करने वाली कई मिलों को कपड़ा उद्योग के लिये आवश्यक रासायनिकों और रंगों के आयात की सुविधायें दी गई हैं। सहकारी समितियों को रंगों के अतिरिक्त अच्छी किस्म के सूत के आयात की सुविधाएं भी दी गई हैं। मिलें कुछ विशेष मशीनों का भी आयात कर सकती हैं। सूती कपड़ा मिल फैडरेशन की सिफारिशों पर, विदेश से रूई आयात करने की सुविधायें भी जुटाई गई हैं।

स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्यों के कपड़ा उद्योग की मशीनों की वर्तमान दशा के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता हो। कपड़ा जांच समिति की इस उद्योग की वर्तमान मशीनों में से अधिकांश आज से ४० वर्ष पहले लगाई गई थी और अब उनकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। सच तो यह है कि जो मिलें बंद हो चुकी हैं, उनमें कुछ को तो खोला ही नहीं जा सकेगा। उनकी मशीनें बहुत ही पुराने ढंग की हैं। इसीलिये समिति ने सिफारिश की है हमारी मिलों को अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार करने के लिये स्वयंचालित करघे लगाने चाहियें। आशा है कि यह उद्योग, अपने श्रमिकों के सहयोग से इन सिफारिशों पर उचित ध्यान देगा और इन सुविधाओं से लाभ उठायेगा। इसीलिये, स्वयंचालित करघों से निर्यात संवर्धन में सहायता करने के लिये ही इन करघों के आयात के लिये अधिक सुविधायें जुटाई गई हैं। आशा है उद्योग इनका लाभ उठा कर इस योजना के अन्तगत शीघ्र ही ३,००० स्वयंचालित करघों का संस्थापन कर लेगा। आशा है कि उद्योग राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा जुटाई जाने वाली सुविधाओं का भी पूरा लाभ उठायेगा।

हम लौह अयस्क और अन्य खनिजों के निर्यात का स्तर काफी ऊंचा बनाये रखने में समर्थ रहे हैं। लेकिन अमरीका और यूरोप में इस्पात के कारखानों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, उनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में मैंगनीज़ अयस्क की मांग काफी गिर गई है। भारत में जहां मैंगनीज निकाला जाता है, वहां इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है।

लेकिन कृषि उत्पादों की स्थिति बिलकुल ही दूसरी है। हमारे कृषि उत्पाद संसार प्रसिद्ध हैं। लेकिन देश में ही इनकी मांग बढ़ जाने के कारण, हम उन्हें निर्यात के लिये नहीं जुटा पाते। हाल में, वनस्पति तेल या मूंगफली के तेल के मूल्य चढ़ने का अंदेशा होते हुए भी, हम ने मूंगफली के तेल और अन्य खाने योग्य तेलों के निर्यात के अभ्यंशों की घोषणा कर दी है, और मूंगफली के तेल के अभ्यंश का उपयोग भी किया गया है, निर्यात किया गया है। हमारे लिये खाने योग्य तेलों पर ही सारी कोशिशें लगाना अत्यावश्यक है। विदेशों में इन की बड़ी मांग है। कुछ ही महीनों में हम काफी परिमाण में इनका निर्यात कर सकेंगे। साथ ही, सभी प्रकार के तेलों का उत्पादन बढ़ाना भी अत्यावश्यक है। हम ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है। हम

इनका उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस से इनके निर्यात संवर्धन में भी काफी सहायता मिलेगी।

कुछ अन्य मदों से भी निर्यात-आय में वृद्धि की जा सकती है। ऊन, चमड़ा तथा खालें, कोयला और कॉफी के निर्यात से आय बढ़ाई जा सकती है। इनके बारे में कठिनाई यह नहीं है कि इनका विक्रय ठीक ढंग से नहीं होता, बल्कि यह कि इनका उत्पादन अधिक नहीं होता और मूल्य भी सुविधाजनक नहीं होता। फिर भी, हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास करने पर तुले हुए हैं और यदि इन से सम्बन्धित अन्य लोग भी ऐसे ही दृढ़ निश्चय से कार्य करें तो निर्यात के लायक अतिरिक्त उत्पादन करना कोई अधिक मुश्किल काम नहीं होगा।

सरकार अपनी ओर से निर्यातकों की प्रतियोगिता-क्षमता बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। एक-दो को छोड़ कर बाकी सभी मदों पर से निर्यात शुल्क हटा दिया गया है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिये आवश्यक लगभग ८० ऐसी वस्तुओं का आयात-शुल्क लौटा दिया जाता है जिनका आयात होता है। निर्यातक उत्पादन शुल्क भी वापिस ले सकते हैं। आयात किये जाने वाले या देशीय पुर्जों और कच्चे मालों के सम्भरण की विशेष योजनायें चल रही हैं। वस्तुओं की किस्मों के नियंत्रण के भी उपाय किये जा रहे हैं। निर्यात यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये रेलवेज़ की ओर से विशेष रियायतें दी जा रही हैं। भारत से निर्यात की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से, पोत-स्वामियों की ओर से अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाड़ा-दरों में निर्यात के माल के लिये रियायतें दी जा रही हैं। इस से हमारी निर्यात-आय बढ़ने की पूरी सम्भावना है। लेकिन पिछले नौ महीनों का अनुभव हमें बताता है कि हमारी निर्यात-आय उसी हालत में बढ़ सकती है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का दिन-दिन अधिक विस्तार होता रहे। इसीलिये हमें कुछ अन्य अधिक उन्नत देशों को किये जाने वाले हमारे निर्यात और आयात के भारी अन्तर के कारण बड़ी चिन्ता रही है। मौन्ट्रीयल, नई दिल्ली और जेनेवा के सम्मेलनों में इस समस्या को रखा गया था और सभी ने उसे माना है। आशा है कि कुछ देशों के साथ हम ने हाल में जो व्यापार करार किये हैं, उन से हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और यह अन्तर कम हो जायेगा।

मैं ने आप के सामने पूरी परिस्थिति रख दी है। अभी भी हमें सतर्क रहना चाहिये। हमें अपनी त्रुटियों का पता लगा कर, उन्हें दूर करने के उपाय करने चाहियें। निर्यात संवर्धन के लिये हम ने अधिक से अधिक सुविधायें जुटाने का प्रयास किया है। मैं ने कई बार उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों और विभिन्न वाणिज्य मंडलों से इस विषय में विचार-विमर्श किया है। आशा है कि अब सभी निर्यात संवर्धन के लिये कुछ सूझबूझ से काम करने की जरूरत महसूस करने लगे हैं। हमारी नीति यही होनी चाहिये कि उपभोक्ताओं की रुचि तथा उनकी मांग का ध्यान रख कर ही प्रतियोगिता-पूर्ण मूल्यों पर उत्पादन करें। इस दिशा में प्रत्येक उद्योग को प्रयास करना पड़ेगा और इस में सरकार सदा ही मदद करने को तैयार रहेगी।

एक या दो मदों के निर्यात की कमी, या एक-दो देशों के साथ होने वाले निर्यात-व्यापार की गिरावट को ही देख कर हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिये। हमें समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि गिरावट आई ही नहीं थी। कुछ समय के लिये जरूर आई थी। वह भी कोई एकाएक नहीं आ गई थी। इसलिये सभा को इस समस्या पर संतुलित ढंग से विचार करना चाहिये। माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम ने पिछले कुछ महीनों में गिरावट को रोकने के विशेष प्रयास किये हैं। इस समस्या का सही मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब कि कम से कम छैः महीने या एक वर्ष की प्रवृत्तियों को देखा जाये। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि स्थिति में कुछ थोड़ा सुधार हुआ है, और यह बड़े संतोष की बात है।

लेकिन मैं गिरावट को रोक कर ही अपना काम पूरा हुआ नहीं समझूंगा । हमें उस से भी आगे बढ़ना है । विदेशी मुद्रा की कठिनाई दूर करने का मात्र उपाय यही है कि निर्यातों का संवर्धन किया जाये । यदि यह नहीं होता तो हमें लम्बे अर्से तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा । हमें आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिये । मुझे पूरी आशा है कि हम अपने निर्यात-लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री के भाषण को परिचालित कर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो ऐसा कर दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं केवल यह नहीं बताना चाहता हूं कि हमारा निर्यात व्यापार कम हो रहा है अपितु यह भी बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत ही असफल रही है । समय की कमी के कारण मैं इसके ब्यौरों में नहीं जाऊंगा परन्तु इतना कहूंगा कि यदि एक-दो वर्षों के निर्यात व्यापार पर दृष्टिपात करें, तो पता लग जाता है कि स्थिति बड़ी गंभीर है । मेरे पास अक्तूबर १९५८ का रिजर्व बैंक का एक बुलेटिन है जिसके पृष्ठ ११८२ पर दिया हुआ है कि खाद्यान्नों, पेय-पदार्थों तथा तम्बाकू का जनवरी-जून १९५७ में ९६.४ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । जुलाई-दिसम्बर १९५७ में १०५ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । परन्तु जनवरी-जून १९५८ में यह फिर कम हो कर ९४.८ करोड़ पये हो गया ।

कच्चे माल को लीजिये । जनवरी-जून १९५७ में कच्चे माल का ८८.६ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जो जनवरी-जून १९५८ में घट कर ७२.६ करोड़ पये रह गया । निर्मित वस्तुओं का जनवरी-जून १९५७ का निर्यात १४१.२ करोड़ पये से कम हो कर जनवरी-जून १९५८ में ११८.९ करोड़ रुपये हो गया । पटसन की वस्तुओं में भी ६२.२ करोड़ रुपये से ५२.७ करोड़ रुपये निर्यात रह गया । सूती वस्त्रों का निर्यात ४३.३ करोड़ पये से ३१.५ करोड़ रुपये हो गया । इस से हमें अपनी स्थिति का ज्ञान हो सकता है ।

सूती कपड़े का निर्यात, चीन, जापान, रूस, तथा हांगकांग की प्रतिद्वन्द्विता के कारण कम हुआ । चाय का निर्यात ब्रिटेन में भारतीय चाय के स्थान पर पूर्वी अफ्रीका, कीनिया तथा यूगांडा से अधिक होने लगा । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संतुष्ट है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है । हम जानते हैं कि हमारे यहां तीन निर्यात संवर्द्धन सलाहकार परिषद् हैं, ११ निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं । इनके कार्य यही हैं जो माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताये थे कि निर्यात की विभिन्न वस्तुओं की अपने क्षेत्र में खोज करें । परन्तु वास्तव में हो यह रहा है कि यह परिषद् केवल बन्दरगाहों में निर्यातकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने का काम करती हैं तथा जहां तक निर्यात की जाने योग्य वस्तुओं की खोज का प्रश्न है उस सम्बन्ध में यह कुछ नहीं कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

११ निर्यात संवर्द्धन परिषदों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव है कि सूती कपड़े के निर्यात के अतिरिक्त और किसी वस्तु के लिये कोई परिषद् नहीं बनाई गई है मेरा यह सुझाव है कि उद्योगपतियों, सरकार तथा मजदूरों को एक साथ बैठ कर इसका निर्णय करना चाहिये कि किस प्रकार निर्यात बढ़ाया जा सकता है। जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, हमें इस उद्योग में आधुनिक मशीनें आदि लगानी चाहियें वरना हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकेंगे।

मैं वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में यह बताता हूं कि भारत-जर्मन करार के अनुसार १९५६ में हम ने ६९८ लाख जर्मन मार्क के हिसाब से मूंगफली का तेल जर्मनी को भेजा। परन्तु १९५७ में यह को तेल भी जर्मनी नहीं गया। इसीलिये मेरा सुझाव है कि कार्यपालिका अधिकारों वाली एक समिति बनाई जाये जो इस सम्बन्ध में निर्णय करे तथा उन निर्णयों को लागू कराये।

†श्री मुरारका (झुंझनू) : श्री त्यागी ने हाल में ही एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि संभवतया इस वर्ष हमारे निर्यात १०० करोड़ रुपये कम हो जायेंगे। इन के बारे में माननीय मंत्री ने बहुत से कारण बताये थे। परन्तु मेरे विचार से इसके तीन मुख्य कारण हैं।

पहला यह है कि हमारे उत्पादन करने के तरीके बहुत पुराने हो गये हैं। कपड़ा उद्योग को लीजिये। अन्य देश आधुनिक तरीकों से उत्तम तथा सस्ता कपड़ा बाजार में भेज देते हैं जिसके कारण भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाता। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे हमारी वस्तुयें सस्ती तथा उत्तम प्रकार की हों। यदि सम्भव हो तो हम ऐसा करने के लिये रुई का आयात कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां की वस्तुओं की लागत का ढांचा बड़ा कठोर है। आप को जान कर आश्चर्य होगा कि हम अपनी चीनी का निर्यात ३२ रुपये प्रति बोरे के हिसाब से करते हैं। जब कि देश में उपभोक्ताओं को १०७ से ११० पये प्रति बोरा देना पड़ता है। श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था है और वहां निर्यात-मूल्य का लागत से कोई संबंध नहीं है यानी लागत कुछ भी हो निर्यात मूल्य कम ही रखते हैं।

जब अन्य देशों में चीनी का उत्पादन ३० रुपये से ३२ रुपये प्रति बोरे की लागत पर हो सकता है तो क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इस का पता लगाना चाहिये जिस से उद्योग का विकास किया जा सके।

तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि देश के अधिकांश उद्योगों को बाजार ढूंढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि निर्यात कर के जो लाभ उसे मिलता उतना वस्तु अपने देश में ही बेच कर उस को मिल जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार जो भी कार्यवाही करेगी वह अस्थायी होगी। मेरा सुझाव है कि सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिस से हमारे उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़े और उत्पादकों को अपना माल विदेशों में भेजने का प्रोत्साहन मिल सके।

१९४८ में जब मैं इंगलैंड गया था उस समय वहां विदेशी निर्यात की लगभग यही स्थिति थी परन्तु वहां पर क्या किया गया। वहां पर शरद ऋतु में कोयले और बढ़िया ऊनी कपड़ों का और बेबी फूड, चौकलेट, चीनी आदि का निर्यात बढ़ा दिया गया तथा इन वस्तुओं की देश की खपत कम कर दी गई। परन्तु हमारे देश में देश का विचार पहिले किया जाता है। इसलिये मुझे आश्चर्य है कि यह समस्या किस प्रकार सुलझाई जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज ही वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने हमें बताया है कि कृत्रिम रेशम के धागे का निर्यात बढ़ रहा है। परन्तु मैं समझता हूं कि निर्यात वृद्धि भी कृत्रिम ही है क्योंकि विदेशों में इस की मांग नहीं है। निर्यातकर्ता इस में नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन वे अपना नुकसान आयात-कोटा बहुत अच्छा होने के कारण पूरा कर लेते हैं। हमारे आयातों का ढांचा इस प्रकार का है कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से हम अपने आयात कम नहीं कर सकते। हमें अपनी योजनाओं के लिये कुछ आवश्यक माल का आयात करना ही होगा। इसलिये कुछ वस्तुओं के आयात की रियायत दे कर सामान्य रूप से मुद्रा का अवमूल्यन न करना उचित नीति ही है। मेरा सुझाव है कि सरकार को निर्यातकर्ताओं के लिये आयात, कोटा का कुछ प्रतिशित निश्चित कर देना चाहिये और कह देना चाहिये कि निर्यातकर्ता को निर्यात की मात्रा का एक निश्चित प्रतिशत आयात करने दिया जायेगा।

१९५७ के आरम्भ में सरकार ने निर्यात संवर्द्धन समिति तथा कपड़ा जांच समिति नियुक्त की थी। इन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये परन्तु सरकार ने बहुत दिनों बाद, हाल में ही इस प्रतिवेदन पर निर्णय किया है मेरा सुझाव है कि सरकार को शीघ्रता से इन सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय करने चाहियें।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि स्वचालित करघों को लगाने के पश्चात् हमारा निर्यात बढ़ सकता है। जैसा माननीय मंत्री ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी आ गई है। पहले जब यह प्रश्न पूछा गया था कि इस मन्दी का हम पर क्या असर होगा तो उन्होंने बताया था कि हमारी अर्थ-व्यवस्था विकासोन्मुख है। इसलिये उसका हम पर कुछ असर नहीं पड़ता है। परन्तु अब हमें पता लगा कि उसका असर हम पर भी हो सकता है।

हमारे कपड़े का निर्यात १९५० से अब कम हो गया है, ऐसा कपड़ा जांच समिति ने माना है और तभी उस ने स्वचालित हथकरघों की सिफारिश की है। १९५० के आंकड़ों से हमें पता लग जाता है कि हमारा कपड़ा बढ़िया किस्म का था तभी उस का उस वर्ष में निर्यात बढ़ा।

मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या इस समय हमारी स्थिति इस प्रकार की है जिस में हम स्वचालित करघे लगा पायेंगे। मजदूरों का क्या होगा। आप जानते हैं कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में मालिकों तथा सरकार के बीच कुछ समझौते हुए थे। उस समझौते पर बिना कोई ध्यान दिये बहुत सी मिलों में नवीकरण कर दिया गया। जिस के सम्बन्ध में समिति ने बताया है कि मजदूरों ने बड़ा उत्साह दिखाया। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि नवीकरण को मजदूरों ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे समिति के द्वारा उत्साह के बारे में बताई गई बात से बड़ा आश्चर्य हुआ है। मेरा सुझाव है कि मिलों में आधुनिक यंत्र लगाने से पूर्व हमें श्रम संगठनों का परामर्श लेना चाहिये। हमें स्वचालित करघे लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उन को लगाने से पहले हमें आपस में बैठ कर बात चीत करनी चाहिये।

यह समिति कानपुर गई। वहां पर उन्होंने केवल कपड़ा समिति का परामर्श लिया। आई० एन० टी० यू० सी० तथा सूती मिल मजदूर सभा का कोई परामर्श नहीं लिया। मजदूरों का परामर्श नहीं लिया गया जब कि मजदूरों के कहने पर ही इस समिति का गठन किया गया था। हमें स्वचालित करघों को लगाने आदि के बारे में मजदूरों के प्रतिनिधियों से पूरी तरह बात चीत करनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्मिक संगठन इस मामले में एकमत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये तथा उन का परामर्श एक आवश्यक, महत्वपूर्ण तथ्य समझ कर लेना चाहिये ।

मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री कानूनगो और श्री मनुभाई शाह का आभारी हूं कि वे कानपुर की समस्या पर बराबर ध्यान दे रहे हैं । लेकिन कानपुर की समस्या बहुत जटिल हो गई है और सरकार के कृपा पात्रों ने अनेक कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं । जे० के०, बिड़ला तथा मूंदड़ा किसी को भी लीजिये, वह मजदूरों तथा सरकार का धन हड़प रहे हैं । मेरे एक अतारांकित प्रश्न, जिस में मैं ने इन उद्योग-पतियों से लिये गये आय-कर के आंकड़े पूछे थे, के उत्तर में बताया गया था कि ३१-१०-५८ तक इन से ५५,२०,४८६ रुपये उगाहे गये तथा २४,२५,४३८ रुपये उन से उगाहने बाकी हैं । बिक्री कर भी जो लाखों में है, उगाहना अभी बाकी है । उन्होंने भविष्य निधि भी १५,७५,००० रुपये अभी नहीं दी है । बिजली तथा पानी के भी ५ लाख पये के करीब उगाहने हैं । मेरा सुझाव है कि कानपुर में इन के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि स्वचालित करघे के प्रश्न पर उच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिये । मजदूरों के संगठनों का परामर्श लिया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री कानपुर के मजदूरों की कठिनाइयां दूर करेंगे ।

†**श्री दामानी** (जालोर) : प्रारम्भ में, मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । इस वर्ष हमारा निर्यात बहुत कम हुआ है । पिछले वर्ष ६०५ करोड़ रुपये तथा १९५६ में यह ६१३ करोड़ रुपये था, जो अब १९५८ में लगभग ५५० करोड़ रुपये का होगा । परन्तु जब कि हमारे देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है उस समय इस का कम हो जाना ठीक नहीं । अतः आवश्यक है कि हम अपने निर्यात बढ़ाने का शीघ्र प्रयत्न करें ।

इस वर्ष सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये कई उपाय किये, जिन में कई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करना भी है । निर्यात बढ़ाने के लिये कई सलाहकार समितियां भी बनाई गई हैं । सरकार ने सभी प्रकार के प्रयत्न किये हैं जिन से निर्यात बढ़े । परन्तु चीन, जापान तथा अन्य देशों की प्रतिद्वन्दिता के कारण हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है ।

पटसन तथा कपड़े का निर्यात मुख्यतया हमारे देश से होता है । अब लौह-अयस्क तथा मैंगनीज का भी निर्यात होने लगा है । १९५६ में लगभग ६७ करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात होता था जो अब घट कर ४० करोड़ रुपये का रह गया है । हमारा प्रतिद्वन्दी अब जापान के अलावा चीन भी है । चीन के कपड़े का मूल्य बहुत कम है इसलिये यह आवश्यक है कि विशेष ध्यान इस ओर दिया जाये । प्रतिद्वन्दिता के अतिरिक्त निर्यात कम होने के और भी कारण हो सकते हैं । इसलिये हमें ऐसी कोई योजना बनानी चाहिये जिस से कपड़े का निर्यात बढ़ जाये । मेरा यह भी सुझाव है निर्यात के स्थान पर अच्छे किस्म की रुई का आयात किया जाये । प्रतिद्वन्दी देशों के पास आधुनिकतम मशीनें हैं । इसलिये आवश्यक है कि माननीय मंत्री इस ओर भी गंभीरता से विचार करें ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : हमारे निर्यात की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई है । वस्तुतः स्थिति यह है कि या हम निर्यात करें या भूखों मर जायें । स्थिति की गम्भीरता को बताने के लिये मैं तत्सम्बन्धी कुछ आंकड़े सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । हमारे देश का कुल निर्यात १९५२-५३ में ६०२ करोड़ था आज १९५७–५८ में भी हमारा निर्यात केवल ६३७ करोड़ रुपये है । जब कि हमारे

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

आयात में दुगनी वृद्धि हो गई है। १९५२–५३ में हमारा कुल आयात ६३२ करोड़ था जो १९५७–५८ में बढ़ कर ११७५ करोड़ हो गया है। केवल विकास कार्यों सम्बन्धी आयात १९५३–५४ में १३० करोड़ था। १९५७–५८ में बढ़ कर ४९३ करोड़ हो गया है।

आयात की वृद्धि और निर्यात के स्थिर रहने के कारण हमारा व्यापार सन्तुलन की स्थिति भी खराब होती जा रही है। १९५२–५३ में व्यापार सन्तुलन में घाटा ३१ करोड़ था जो १९५७–५८ में बढ़ कर ५८० करोड़ हो गया। इस बीच हमारे पौंड पावने में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से २० करोड़ डालर मिलने के उपरान्त भी १९५५-५६ की अपेक्षा बहुत कमी हो गई है। यह पौंड पावना १९५५–५६ में ७४६ करोड़ था जो अब केवल १८० करोड़ रह गया है।

वस्तुतः स्थिति भयावह हो गई है, क्योंकि हमारा निर्यात घटता जा रहा है। आयात की मात्रा में देश में चलने वाली योजनाओं के कारण वृद्धि होती जा रही है। यद्यपि हम ने आयात की मात्रा को सीमित करने का भरसक प्रयत्न किया है और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बहुत ही सीमित कर दिया है। आवश्यक कच्चे माल के आयात में भी अधिकतम मात्रा में कटौती कर दी गई है।

इसलिये समस्या यह है कि यदि हम अधिक मात्रा में निर्यात नहीं करेंगे तो हमारे सारे विकास कार्य स्थगित हो जायेंगे क्योंकि हमें उन के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। वस्तुतः विदेशों से मिलने वाला ऋण भी बहुत अंशों तक हमारे निर्यात साधनों पर निर्भर है। जिस मात्रा में हम विदेशी ऋण लेते जा रहे हैं यह भी देश के लिये घातक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें विदेशों को १००० करोड़ रुपये देने हो जायेंगे। जिस से हम पर प्रतिवर्ष ५० से ६० करोड़ रुपये देने का दायित्व आ जायेगा।

यदि हम निर्यात का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि हमारे निर्यात की आय का पांचवा भाग चाय से, चौथा भाग कच्चे माल इत्यादि से और ४० प्रतिशत सूती तथा जूट के वस्त्रों से प्राप्त होता है। निर्यात की कमी के लिये वस्तुतः हमारी सरकार ही उत्तरदायी है। हम ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जिन से हमारे पुराने बाजार भी हम से छिनते जा रहे हैं। वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियों का यह परिणाम हुआ कि हमारा पुराना बाजार हम से छिन गया। बार-बार आग्रह किये जाने के बावजूद भी हम ने चाय के निर्यात शल्क में छूट नहीं दी या उन्हें कम नहीं किया। इस का परिणाम यह हो रहा है कि चाय का निर्यात भी हमारे हाथों से छिन रहा है और पूर्व अफ्रीका में चाय का उद्योग पनप रहा है कुछ भी समय के अनन्तर यह देश भारत का प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध होगा।

हमें चाहिये कि हम सम्बद्ध राज्यों को इस गम्भीर स्थिति से अवगत करवायें और उन्हें यह बताय कि यदि वे शीघ्र ही अपनी नीतियों में तत्काल परिवर्तन नहीं करेंगे तो इस का परिणाम राष्ट्र के हित में घातक हो सकता है। अतः हमें चाहिये कि हम पूंजी व श्रम के सहयोग पर ही बल न दें अपितु केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों पर भी उचित बल देवें। हाल ही में जो थोड़ी सी छूट दी गई है उस से चाय के निर्यात को कोई प्रबल प्रोत्साहन नहीं मिलेगा इसलिये हमें चाहिये कि हम अपनी निर्यात सम्बन्धी नीतियों में आमूल परिवर्तन करें।

सर्व प्रथम हमें यह चाहिये कि जो लोग निर्यात कार्य में लगे हैं, उन्हें विशेष रियायतें दी जायें और ठोस प्रोत्साहन दिये जायें। भारत रक्षित बैंक ने अभी हाल हुंडियों के लेन देन सम्बन्धी कुछ सुविधायें प्रदान की हैं। तथापि ये बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होंगी। कारखानों को सरल किश्तों में चुकाये जाने वाले ऋण भी दिये गये हैं तथापि इन से मूल समस्या हल नहीं होती है क्योंकि कठिनाई

यह है कि हम इस समस्या को विभागीय दृष्टिकोण मे देखते हैं और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजन नहीं है । इस मे समस्या को सम्पूर्ण रूप मे हल नहीं किया जा सकता है । हम ने यद्यपि अपने वस्त्र उद्योग को कुछ रियायतें दी हैं तथापि हम ने उस का वैज्ञानिकन नहीं किया है । इस के कुछ सामाजिक कारण हैं । हम बेरोजगारी मे डरते हैं । वस्तुतः जब तक मशीनों का वैज्ञानिकन नहीं किया जायेगा और मशीनें आधुनिकतम रूप की नहीं लगाई जायेंगी तब तक हमारे उत्पादन में कुशलता नहीं आ सकती है और न हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में समर्थ हो सकते हैं ।

अतः सरकार को चाहिये कि वह निर्यात के प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख उपस्थित करे और उस को यथाशक्ति प्रोत्साहन देवे क्योंकि यदि हमारी योजनाओं की सफलता का कोई प्रबल शत्रु है तो वह निर्यात की गति में वृद्धि न होना है अतः हमें इस पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये ।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड़) : मैं अपने विचार रखने के पूर्व यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस के लिये समय बहुत थोड़ा रक्खा गया है और मुझे इस विषय में बहुत अधिक कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना तो शुरू करें ।

श्री रा० क० वर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने जो अपने स्टेटमेंट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री (वस्त्र उद्योग) का जिक्र किया है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेरा १६ वर्ष की उम्र से सम्बन्ध रहा है और आज भी उसी तरह से है । जहां तक टेक्स्टाइल इंडस्ट्री और कपड़े के एक्स्पोर्ट का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में इस इंडस्ट्री के लिये सभी प्रकार की सुविधायें हैं कि हम जिस से अपने देश की जरूरतों को तो पूरा कर ही सकते हैं किन्तु एक्स्पोर्ट करके उस से काफी फारेन एक्सचेंज भी प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन इस उद्योग के सम्बन्ध में मुख्य बात दृष्टिकोण की है वह होना चाहिये । दृष्टिकोण में तीन बातें मुख्य हैं । पहले उत्पादन, दूसरे क्वालिटी और तीसरे उद्योग का सुसंचालन । इस के सम्बन्ध में बोलते हुए मैं पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक टेक्स्टाइल इंडस्ट्री का सवाल है, हमारे देश की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री अनप्लैन्ड, अनकंट्रोल्ड और मिसमेनेज्ड है । अगर यह तीनों बातें हमारे शासन के ध्यान में आ जाती हैं और शासन उन पर विचार करने के लिये तैयार हो जाता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में हम काफी तरक्की कर सकते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि टैक्स्टाइल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में एक कमेटी, दो कमेटियां, तीन कमेटियां, टैरिफ बोर्ड सब की रिपोर्ट शासन के सामने आती हैं लेकिन क्यों शासन उन के ऊपर गम्भीरता से विचार नहीं करता । मुझे ऐसा लगता है कि शासन को जितनी दिलचस्पी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के बारे में लेनी चाहिये वह उतनी नहीं लेता है, उस की ओर उस की उदासीनता है । दूसरे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता का भी टैक्स्टाइल इंडस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी नहीं है । इस लिये जितनी भी एन्क्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट होती हैं उन से मालूम होता है, और अनुभव भी होता है कि हमेशा टैक्स्टाइल इंडस्ट्री में गड़बड़ी रहा करती है । कपड़े का उत्पादन भी बढ़ता है लेकिन लोगों को कार्य और आवश्यकतानुसार कपड़ा नहीं मिलता । इस का मुख्य कारण क्या है, यह सारी बातें देखने के लिये मैं सदन में अपने विचार कुछ विस्तृत रूप में रखना चाहता था ।

श्रीमान्, सवाल यह हो रहा है कि हमारी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के जो संचालक लोग हैं वे उत्पादन करने में जनता की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा अपने प्राफिट के आधार पर यह सारा उत्पादन करते हैं और बड़े मजे की बात तो यह है कि टेक्स्टलाइल इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

[श्री रा० क० वर्मा]

में प्रोडेक्शन फीज करने का एक सुझाव भी आया है और वह एक यह भी सुझाव यह आया है कि थर्ड शिफ्ट बन्द की जायें और लूम्स और स्पिंडिल्स और लूम्स पार्टली बन्द किये जायें. . . .

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : कौन सी रिपोर्ट में यह कहा गया है ?

श्री रा० क० वर्मा : इसी रिपोर्ट में कहा गया है । मैं आप को बताऊंगा । उस ने एक सुझाव यह भी दिया है कि मजदूरों को पन्द्रह दिन की सवेतन छुट्टी जो क़ानून के अनुसार होती है, वह कपड़ा फ्रीज़ करने की गरज़ से श्रमिकों को साल में पन्द्रह दिन के लिये घर भेजा जाय ।

मुझ समझ में नहीं आता कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम ने साढ़े १८ गज़ प्रति व्यक्ति टार्गेट ठहराया है, और आज जो हमारे पावर लूम्स, हैंडलूम्स और मिलों का उत्पादन होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है उन तमाम का आउटपुट प्रति व्यक्ति १६.८ गज़ आता है और अब हमें १६.८ गज़ से १८.५ गज़ तक ले जाना है और जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बात आ रही थी कि प्रति व्यक्ति साढ़े १८ गज़ कपड़ा रक्खा जाय तब पूंजीपति और मिल उद्योग के मिल मालिक यह ज़ोर दे रहे थे कि प्रति व्यक्ति साढ़े १८ गज़ कपड़ा बहुत कम होता है और वह २१ गज़ और २५ गज़ क्यों नहीं रखा जाता ? और यह साढ़े १८ गज़ क्यों रक्खा जा रहा है जबकि इनक्वायरी कमेटी का सुझाव कहता है कि साढ़े १७ गज़ रक्खा जाय हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने साढ़े १८ गज़ के लिये कहा है तो उस समय यह मिलमालिक २१ गज़ और २५ गज़ की बात करते थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े १८ गज़ के ऊपर भी हम नहीं पहुंचे हैं और आज १६.८ गज़ कपड़ा प्रति व्यक्ति हमारे यहां आ रहा है और मिलमालिक अब साढ़े १७ गज़ पर उतर कर आ गये हैं । श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के अन्दर काफ़ी कनफ्यूज़न है और जनता को इस की जानकारी नहीं है कि यह जो कपड़ा उद्योग के मालिक हैं ये हमें किधर लिये जा रहे हैं । आज काफी माल भरा हुआ है । श्रीमान् यह देख ने की ज़रूरत है कि आज जनता का ट्रेंड क्या है और जनता की पसन्दगी क्या है ? आज जनता फ़ाइन और सुपरफ़ाइन के ऊपर जा रही है । जनता प्रिंटेड और फ़िनिश्ड गुड्स के ऊपर जा रही है हम देखते हैं कि फाइन और सुपरफाइन घटा कर मीडियम और कोर्स मिडिल और कोर्स कपड़े का ढेर लगा दिया गया है । इस के अलावा अब आप देखिये कि पेंट कपड़े का (कटपीस) का परसेंटेज भी कितना बढ़ गया है ? क्योंकि मिलमालिक एक्साइज़ ड्यूटी बचाने के लिये कपड़े के अच्छे थानों के पौने तीन गज़ के टुकड़े कर के बाज़ार में बेचते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस की जानकारी है कि नहीं और यदि है तो वह इस को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ? मैं गवर्नमेंट के ध्यान में यह चीज़ भी लाना चाहता हूं कि आर्डर के मुताबिक़ उद्योगपति कपड़े की जात का रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें तो यही लिखते हैं कि कपड़े की किस्म ४० रीड और ४० पीक है लेकिन एक्चुएली डाली जाती है ३६ रीड और ३६ पीक । इस तरह से कमी कर यह लोग १० परसेंट सूत की चोरी करते हैं और कंज्यूमर्स को धोखा देते हैं । जब मैं यह चीजें टेक्सटाइल कमिश्नर साहब और गवर्नमेंट के सामने रखता हूं और इसकी बाबत उन को लिखता हूं तो मुझे कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता है और ऐसे मामलों में उनकी ओर से कह दिया जाता है कि कोई खास बात नहीं है इस प्रकार की जो गड़बड़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में चल रही है इस को मैं एक नहीं, बल्कि दो, तीन दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब और उद्योग मंत्री महोदय के ध्यान में लाया और टेक्सटाइल कमिश्नर महोदय का भी इधर ध्यान दिलाया । लेकिन उस का कोई खास नतीजा नहीं निकला ।

दरअसल में हमें अपने देश की जनता की रुचि अनुसार ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ७ अरब और ४० करोड़ गज़ कपड़े की ज़रूरत है जबकि आज हमारे पास ६ अरब ४८ करोड़ गज़

कपड़ा है जो ७ अरब ४० करोड़ से बहुत कम कपड़ा है । यह जो कपड़े का अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है उस का कारण क्या है ? श्रीमान्, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने अपना उत्पादन जिस तरह से बढ़ाया है वह हमारे देश के लिये और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिये एक बड़े गर्व की बात है और हमारे शासन के लिये भी गर्व की बात है लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ यह चीज कहनी पड़ती है कि हमारे वे पूंजीपति जो कि २०० पौंड से ज्यादा वजन वाले होते हैं और कड़क टोपी, लम्बा झब्बा और ढीली धोती पहिनते हैं उन को उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता नहीं रहती और वे तो केवल अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं और न उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पड़ी है और न वर्क्स की पड़ी है और न ही उन्हें अपनी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने की कोई परवाह है । उत्पादन की हानि पहुंचा टैक्स माफ करा मुनाफा कमाना ही उनका धंधा है । श्रीमान्, टैक्सटाइल इंडस्ट्री की जो वर्तमान स्थिति है उसकी ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाये । और इस सारे ट्रेड के ऊपर गौर से ध्यान दिया जाये । अगर आप आज जो इस इंडस्ट्री में मिसमैनेजमेंट चल रहा है उस मैनेजमेंट को आप निकाल कर दूर नहीं करेंगे और ठीक से आप इसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री को जैसा कि आप उसे देखना चाहते हैं, नहीं देख पायेंगे ।

अभी श्री बनर्जी ने आटोमेटिक लूम्स का जिक्र किया और यह बतलाया कि मध्य प्रदेश में आटोमेटिक लूम्स डाले गये हैं जिस में ५००० मजदूरों को कम किया गया है । मैं इस के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी । टैक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी के सामने मैं ने अपना मैमोरेन्डम दिया है और दो दफा मेरी एविडेंस हुई है और मुझे एक मर्तबा बम्बई बुलाया गया और दूसरी बार इंदौर बुलाया गया । जहां तक मेरे प्रदेश का ताल्लुक है मेरे प्रदेश में एक भी आटोमेटिक लूम नहीं डाला गया है और न ही कोई श्रमिक फारलूम चलता है ।

इंडियन लेबर कान्फ्रेन्स के अन्दर जो निर्णय हुआ है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो श्रम नीति ठहराई गई है उसका पालन करना हमारे लिये उतना ही आवश्यक है और पवित्र है जितना कि भारतीय संविधान का पालन करना आवश्यक है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर अमल करना और उस को कामयाब करना हम अपना धर्म समझते हैं । हमारे प्रदेश में ५००० मजदूर कम किये लेकिन बेकार किसी को नहीं होने दिया और आज भी हम इस बात को मानते हैं कि देश के विकास के लिये, प्लान को कामयाब बनाने के लिये और अपने देश को मजबूती से अपने पांवों पर खड़े होने के लिये, हम और आप आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं । हमारे सामने एक ही सवाल है कि कोई श्रमिक बेकार न हो । आदमियों को कोई काम दिया जाय । अब जहां तक आटोमेटिक मशीन्स के इस देश में लगाने का सवाल है, उनका लगाना तो दुनिया की गति और आज की स्थिति में रुक नहीं सकता है । आज जब हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर प्लेन से उड़ना चाहते हैं और उसके लिये फ्री पास चाहते हैं और उसकी लोक-सभा में चर्चा करते हैं तब एक देहाती आदमी यह कहे कि भाई हमारी बैलगाड़ी ही हमेशा चलाई जाय रेलगाड़ी नहीं हवाई जहाज नहीं तो उस के वास्ते कौन तैयार होगा ? अगर हम वाकई प्रोग्रेसिव हैं और हम विकास पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम दुनिया के साथ-साथ विकास के पथ पर बढ़ते चलें । हमारे लिये एक तो एम्प्लायमेंट का सवाल होना चाहिये और दूसरा कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करने का सवाल होना चाहिये । इस के अतिरिक्त गवर्नमेंट जो एक बात ठहराती है और एक टैक्सटाइल पालिसी रखती है, उस पर हमें कायम रहना चाहिये और उसे कामयाब बनाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह टैक्सटाइल के उत्पादन और उसके क्वालिटी कंट्रोल की तरफ खास तौर पर ध्यान रक्खे और जब तक कि उस के उत्पादन और क्वालिटी पर ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे तब यह इंडस्ट्री इसी तरह झोले खाती रहेगी । सरकार को आज जो इस इंडस्ट्री में अनुचित मुनाफाखोरी चल रही है उस पर बंदिश

[श्री रा० क० वर्मा]

लगामी चाहिये। मुझे यह देख कर खेद होता है कि आज जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसे रोकने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है।

यह जो नई मशीनरी और ओटोमैटिक लूम्स का जिक्र किया गया तो उस के बारे में मुझे यह कहना है कि आज होता यह है कि एक मिल जिस की कि मशीनरी ५० साल पुरानी है और उस को आप ने १०,०००स्पिंडिल्स और ४०० नये लूम्स डालने की इजाजत दे दी तो वह आपको पता है कि कैसे डालता है? वह उसी ५० साल की पुरानी मशीनरी में नई मशीनरी ठूंस देता है। जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब वह नई मशीनरी को उसी पुरानी मशीनरी के बीच में डाल देता है तो आप को उसका वांछित रैजल्ट कैसे मिल सकता है? पुराने लूम में नई स्पिंडिल कैसे ठीक बैठ सकती है और फल दे सकती है। इसलिये मेरा कहना है कि नई और पुरानी मशीनरी को एक में मिलाना नहीं चाहिये और जो नई मशीनरी हो उस को उत्पादन एक्सपोर्ट ही करना चाहिये। ऐसा करने से आप अपनी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को ठीक से चला सकेंगे और उत्पादन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। कितने ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये। सिर्फ इतना ही नहीं है। कम्पनी ऐक्ट है। मैंने टैक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी के सामने भी निवेदन किया था और मिनिस्टर साहब को भी लिखकर भेजा है। उदाहरण के तौर पर एक मिल मालिक है जो साल में ५ लाख रुपये ब्याज के देता है लेकिन एक दफा मिल में साल में २५ लाख मुनाफा कमाता है। अब वह सट्टे के आधार पर उस रुपये से एक खराब मिल के शेयर खरीद लेता है। तो आप देखें कि उस मिल और मजदूरों की इस दूसरी मिल से जिस के शेयर खरीदे हैं क्या लेना देना है। और क्या लाभ होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य बहुत कुछ और कहना चाहेंगे?

श्री रा० क० वर्मा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : : अच्छा तो फिर आप आगे जारी रखेंगे।

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी*

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं ने माननीय मंत्री महोदय से एक तारांकित प्रश्न पूछा था जिस का आशय यह था कि भारत में कुल कितने स्नातक विद्यार्थी इस समय चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। वस्तुतः यह आश्चर्य का विषय था कि इतने सुयोग्य मंत्री यह भी नहीं जानते हैं कि भारत में कुल कितने चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं। अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह भी बताया कि वस्तुतः उन्हों ने द्वितीय योजना की अवधि में राजस्थान में एक अन्य मैडिकल कालेज खोलने का बचन दिया था। लेकिन राजस्थान सरकार की ढिलाई से तथा इस विवाद के कारण कि यह कालेज कहां पर खुलना चाहिये यह राशि किसी अन्य कालेज को दे दी गई है। वस्तुतः यह बहुत दुःख की बात है।

यह आश्वासन कि राजस्थान में एक अन्य मैडिकल कालेज खुलेगा, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने ही नहीं, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भी दिया था। तत्पश्चात् कालेज के स्थान के सम्बन्ध में पटेल समिति ने भी यह सिफारिश की कि यह कालेज बीकानेर में स्थित होना चाहिये। राजस्थान

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

सरकार ने बिना किसी विवाद के यह सिफारिश मान ली और तदनुसार कार्य करना प्रारम्भ किया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान की विधान सभा में यह आश्वासन दिया कि बहुत शीघ्र राजस्थान में दूसरा मेडिकल कालेज खुलेगा और इस प्रयोजन के लिये उन्होंने अपनी ओर से चन्दा जमा करने के लिये एक समिति भी नियुक्त कर दी। इस के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान सरकार के लिये कर की राशि वसूल करने का जो लक्ष्य रखा गया था वह भी राज्य सरकार ने पूरा कर लिया। इतना होने के बावजूद भी यह कहना कि स्थान के सम्बन्ध में कोई निश्चय न कर पाने और राजस्थान सरकार की ढिलाई के कारण यह राशि दूसरे राज्य को दे दी गई अनुचित है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि नये कालेज खोलते समय वह पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में उदारता से विचार करें। अब यह कहा गया है कि यदि राजस्थान सरकार अपनी ओर से चन्दा जमा करेगी तो नया कालेज खोलने पर विचार किया जायेगा। यह बिल्कुल अनुचित है।

एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि एक स्थान में जहां नया मैडिकल कालेज खुलने वाला है वहां १९६३ तक के लिये स्थान सुरक्षित हो चुके हैं। इस का कारण यह है कि इनके माता पिताओं ने ५००० रु० या १०,००० रुपये चन्दा दिया है। इसलिये उनके पुत्रों को बिना योग्यता के आधार पर मैडिकल कालेज में भरती कर दिया जायेगा। यह कितनी अनुचित बात है विशेषतः इस लिये जब कि हम समाजवादी ढांचे के समाज का दम भरते हैं। क्या इससे इस सिद्धान्त पर आघात नहीं होता है कि सब के लिये समान अवसर होने चाहियें। इस प्रकार के विद्यार्थी जिनका प्रवेश ही पैसे के आधार पर हुआ है किस प्रकार के डाक्टर बनेंगे। क्या इससे इस महान कार्य का स्तर नहीं गिरेगा। क्या हम अपनी शिक्षा को बेच नहीं रहे हैं। वस्तुतः यह एक घातक सिद्धान्त है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वे इस प्रकार की बात नहीं होने देंगे। मैडिकल कालेजों में स्थान विद्यार्थी की योग्यता और उसके द्वारा पिछली कक्षाओं की परीक्षाओं में प्राप्त माकों के आधार पर मिलने चाहियें न कि उनके माता पिताओं द्वारा दिये गये चन्दे के आधार पर। आशा है माननीय मंत्री इस विषय पर ध्यान देंगे।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : मेरा पहिला प्रश्न यह है कि जब माननीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान में एक मैडिकल कालेज खुलेगा, उसके लिये स्थान निश्चित करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिस की सिफारिश थी कि कालेज बीकानेर में स्थापित किया जाये, जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया था और तदनुसार आदेश जारी कर दिया था तब ऐसे कौन से कारण हुए इस कालेज के लिये दिया जाने वाला रुपया अन्य कार्यों के लिये लगा दिया गया।

(२) क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसे प्रयत्न करेंगे जिन से राजस्थान सरकार यथाशीघ्र बीकानेर में दूसरा मैडिकल कालेज खोलने में समर्थ हो सकें और उसे आवश्यक धनराशि मिल सके।

(३) क्या मैडिकल कालेजो में चन्दे के आधार पर भरती करने का सिद्धान्त समाजवादी ढांचे के समाज के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है ?

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर, रक्षित, अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के जिला बीकानेर के अन्दर मैडिकल कालिज खोलने का जो सरकार का निर्णय था, क्या भारत सरकार ने उसको बदल दिया है। यदि हां, तो माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न के उस उत्तर के बारे में, जो उन्होंने गत अधिवेशन में दिया था क्या कहते हैं कि यह निश्चय हो गया है कि बीकानेर डिवीजन में ही मैडीकल कालेज की स्थापना होगी। इसी आधार पर हमने एक कमेटी का निर्माण किया और लाखों रुपया मैडिकल कालिज बनाने के लिये चन्दे के रूप में दिया है। क्या हम उस रुपये को वापस लौटा दें।

†मूल अंग्रेजी में

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन रुपयों से आप कालिज खोलें, वह खुद नहीं देंगे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं श्री माथुर का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करके मुझे इस विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है । पहली बात यह है कि जानकारी प्राप्त करने के लिये यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिये हमें ठीक और उत्तरदायित्व पूर्ण उत्तर देने होते हैं । हमें राज्य सरकारों से सारी सूचना मालूम करनी पड़ती है । देशभर में लगभग ५० कालिज हैं, और प्रवेश अधिक होने के कारण जानकारी में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होते रहते हैं । मैं कह सकता था कि प्रत्येक वर्ष लगभग ४००० विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं, परन्तु इससे मुझे सन्तोष नहीं हो सकता था । मैं ने आंकड़े प्राप्त किये, और नवीनतम सूचना के अनुसार इस वर्ष प्रविष्ट होने वालों की संख्या ४,०५३ है । प्रति विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर औसतन १००, १२० अथवा १५० रुपये का खर्च आता है । फीस के मामले में मेरे पास उन्हीं कालिजों के बारे में सूचना है जिनका भारत सरकार द्वारा सीधे ही संचालन होता है । पांडीचरी के मैडिकल कालिज में ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) २०० रुपया है । अन्य फीसें भी लगभग ५० रुपये तक है । लेडी हार्डिंग मैडिकल कॉलिज की फीस २०० रुपया वार्षिक आती है और ५० रुपये के लगभग और खर्च होता है । मौलाना आजाद मैडिकल कालिज में फीस २४० रुपये है । अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था वैसे तो उत्तर स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट संस्था है लेकिन वहां एक अवर-स्नातक या अन्डर-ग्रेजुएट कालिज भी है । जहां यह फीस ३०० रुपये है । इसके अतिरिक्त खेलों और प्रयोगशाला इत्यादि का कुछ खर्चा और होता है । आज मेरे पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है, जो मुझे चर्चा से थोड़े पहले ही उपलब्ध हुई है ।

दूसरी बात बीकानेर के कालिज के सम्बन्ध में है, यहां कुछ ऐसा बताया गया है कि बीकानेर के कॉलिज को आरम्भ करने का उत्तरदायित्व हमारा था । लेकिन इस मामले में, धन देने के अतिरिक्त और हमारा कोई काम नहीं है । कालिज को चलाना राज्य सरकार का काम है । वही इस सम्बन्ध में में सारे काम को जिम्मेदार है । उन्हें ही हमें भारतीय-चिकित्सा परिषद् से जो कि एक संविहित निकाय है, स्वीकृत कराना होगा । हमारी अनुमति और हमारी जानकारी के वगैर भी जो चाहे कालिज चालू कर सकता है परन्तु जब कालिज को धन की आवश्यकता होगी तो हमारे पास आना ही होगा और तब सब बातें हमारी जानकारी में आयेंगी ही । श्री माथुर के प्रश्न पूछने के अवसर पर मैं ने जो उत्तर दिया था, मैं उस पर पूरी तरह कायम हूं । मैंने कहा था, "मैं नहीं समझता कि दिल्ली के बारे में कोई विशेष वादा किया गया है । राजस्थान के संबन्ध में मेरा विचार है कि राज्य सरकार उपयुक्त स्थान के सम्बन्ध में कुछ निर्णय नहीं कर सकी थी दो स्थानों के बारे में मुकाबला चल रहा था; यदि वे समय पर आ जाते तो उन्हें यह प्राप्त हो जाती ।" "उन्हें यह प्राप्त हो जाती" का अर्थ यह है कि सहायता प्राप्त हो जाती । मैं प्रत्येक शब्द का औचित्य सिद्ध करने को तैयार हूं ।

सबसे पहले यह प्रार्थना राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के गत जून के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी । राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दबी ज़बान से राजस्थान के दूसरे कालिज की बात का उल्लेख किया था । मैंने पूछा, "इसमें कठिनाई क्या है, और इस बारे में प्रस्थापना क्यों प्रस्तुत नहीं की जा रही ?" तब मुझे यह पता चला कि इस मामले में जोधपुर और बीकानेर में काफी विवाद चल रहा है । प्रश्न यह था कि इन दोनों स्थानों में से कहां कालिज हो । जोधपुर में अस्पताल है, और बीकानेर का अस्पताल शायद उससे भी बड़ा है । सम्बद्ध पक्षों की इस प्रकार की वकालत चलती रही और खींचातानी जारी रही । सम्बद्ध पक्षों ने अपने सभी क्षेत्रीय प्रभाव का प्रयोग किया । मैंने उस समय इसका उल्लेख किया और मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

था । जब मुझे इसका पता चला तो दोनों पक्षों ने मुझसे कहा कि क्या आप इसका कोई हल निकाल सकते हैं । उन्होंने दोनों में से एक स्थान के लिये मेरी सद्भावना प्राप्त करनी चाही, क्योंकि दोनों स्थानों का एक साथ तो मैं समर्थन कर नहीं सकता था । मैंने उन्हें बता दिया कि भारत सरकार का इस मामले में कोई मत नहीं, राज्य सरकार जिस स्थान को चुनना चाहे, चुन सकती है । कोई तीसरे पक्ष के उपलब्ध होने के अभाव में, राज्य सरकार ने हमसे प्रार्थना की कि हम इसका फ़ैसला कराने के लिये किसी व्यक्ति या समिति का सुझाव दें । स्पष्ट था कि हमारी दृष्टि तो भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रधान पर ही जानी थी और हम ने उसके नाम का सुझाव दे दिया । उस समिति को हमने नियुक्त नहीं किया; उसकी नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी; हमने तो एक ऐसे व्यक्ति को खोज करने में उन्हें मदद दी, जिसके बारे में दोनों पक्षों को विश्वास हो । इस समिति ने इस मामले पर विचार किया; यह सितम्बर, १९५७ की बात है । वह समिति विभिन्न स्थानों को देखने गई । समिति ने यह नहीं कहा कि दोनों में से कौन सा स्थान ठीक है और कौन सा नहीं । उसने दोनों पक्षों की बात रखते हुए ही सिफ़ारिश की और कहा कि बीकानेर के कालेज का काम सीधे ही शुरू कर दिया जाये और जोधपुर के मामले पर अगले वर्ष अथवा एक वर्ष पश्चात् विचार कर लिया जाये । अतः अन्त में यह निश्चय ही हुआ कि कालिज के लिये बीकानेर ही ठीक स्थान है । फरवरी और मार्च के लगभग राजस्थान सरकार ने इस मामले पर विचार किया और हम से सहायता के लिये १९५८ में प्रार्थना की। इधर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने हमें ६$^{1}/_{2}$ करोड़ रुपया इस उद्देश्य के लिये दिया । इस राशि में से पहले दो वर्षों के लिये ७ कालिजों को सहायता दिये जाने का वचन दिया जा चुका है । समय की समाप्ति की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । हमें कानपुर, रांची, जामनगर, भोपाल, जबलपुर, हुबली, और कुरनूल के कालिजों को सहायता देनी थी । यह सब उस समय के पूर्व ही हो चुका था जब तक कि राजस्थान सरकार ने स्थान के बारे में निर्णय किया । हमने भी इस दिशा में सहायता देने के सम्बन्ध में राशि निर्धारित करने के लिए एक समिति का निर्माण किया । समिति ने कालिज की इमारत इत्यादि सभी के लिये ८० लाख रुपये का अनुदान दिया । हम अस्पताल के लिये कोई सहायता नहीं देते, यह काम राज्य सरकार का है । कुल राशि में से तीन-चौथाई हमें सात कालिजों को देना था जो कि अभी हाल ही आरम्भ किये गये हैं, और इन्हें राजस्थान सरकार के निश्चय करने के पूर्व ही सहायता देने का वचन दिया जा चुका था ।

हमने प्रत्येक कालिज को ६० लाख रुपये तक की सहायता का आश्वासन दिया था । कुछ धन हमने कालिजों का स्तर ऊंचा करने और विद्यार्थियों की संख्या ५० से १०० करने के लिये रखा था क्योंकि हमें बताया गया था कि १०० विद्यार्थी रखना ठीक होगा और खर्च भी कम होगा । फिर हमने मदुरई, मैसूर, आगरा, कानपुर, डिब्रूगढ़, ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर, त्रिवेन्द्रम, लहरीयासरी और कटक इत्यादि स्थानों पर कालिजों को सहायता देने के सम्बन्ध में निर्णय किया; और वह भी राजस्थान सरकार के निश्चय से बहुत पहले किया था । इस पर भी हमारा विचार यह था कि राजस्थान में कालिज की आवश्यकता है । हमने सांकेतिक सहायता के रूप में सामान्य नीति से कुछ हटते हुए राजस्थान सरकार को तीन वर्ष के लिये आवर्तक व्यय देना स्वीकार कर लिया । हमने राजस्थान सरकार को इस बारे में अप्रैल १९५८ में लिखा, कि विशेष मामले के रूप में हम तीन वर्ष का आवर्तक व्यय उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि हम समझते थे कि राजस्थान को वास्तव में कालिज की आवश्यकता है । ऐसा लगता है कि पटेल समिति के समक्ष ऐसा कहा गया था कि कालिज को ५० लाख रुपये एकत्रित करके मिल जायेंगे । हम ने सोचा सरकारी सहायता के कारण दानियों से भी दान अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जायेगा, क्योंकि वे कह सकते हैं कि अब तो भारत सरकार भी इसके खर्चे को कुछ वर्ष तक उठा रही है । यह बात अप्रैल १९५८ की है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या राजस्थान सरकार ने ५० लाख रुपये देने को कहा था ?

†**श्री करमरकर** : यह पटेल समिति की रिपोर्ट में था और मैं यहां बता सकता हूं कि संसद्-सदस्यों और मंत्रियों जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों ने बातचीत के दौरान मुझे बताया था कि दान में काफी धन प्राप्त हो जायेगा । पटेल समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि जब वे इस प्रश्न का परीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें आश्वासन प्राप्त हुए थे कि ५० लाख रुपये की राशि दान में उपलब्ध हो जायेगी । राजस्थान सरकार की ओर से भी बताया गया था कि उसे इस रुपये के मिलने की आशा है, स्वयं मंत्री महोदय ने मुझे बताया था कि ऐसा हो जायेगा, परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि इसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । खैर अब भी कोई हानि नहीं हुई है और राजस्थान सरकार को कालिज से वंचित रख कर हमें कोई लाभ नहीं होगा । उन्हें अब भी कालिज के लिए चन्दा एकत्रित करना चाहिये । वास्तव में इन सब बातों को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे माननीय मित्र धन एकत्रित करने के सभी सम्भव उपायों का प्रयोग कर, इस कार्य को आगे बढ़ायें ।

एक और पेशकश पंजाब की है, परन्तु वह मामला दूसरा है और उसे बाद में लिया जायेगा । आवर्त्तक व्यय के सम्बन्ध में, हम ने कहा था कि प्रतिवर्ष ४० विद्यार्थियों के प्रविष्ट होने के आधार पर, भारत सरकार तीन वर्षों के लिये, प्रति विद्यार्थी ८००० रुपये वार्षिक खर्च के ५० प्रतिशत के हिसाब से सहायता अनुदान के रूप में ४,८०,००० रुपये देने को तैयार है। भारत सरकार यह रकम राजस्थान सरकार को बीकानेर में मैडीकल कालिज चालू करने के लिये देने को तैयार होगी। इस आश्वासन पर, देर होने के बावजूद भी हम कायम हैं। यह आवर्त्तक व्यय के सम्बन्ध में है। अब यदि यह सभा या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय इन साधनों का विस्तार कर ६½ करोड़ रुपये की धन राशि में वृद्धि कर दे, तो भी हम अपनी बात पर कायम रहते हुए पहले प्रथम आश्वासन को पूरा करेंगे और राजस्थान की सहायता करेंगे। राजस्थान सरकार तथा इससे सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये । हम उनकी पूरी सहायता करेंगे ।

हम चाहते हैं कि देश में कालिजों की वृद्धि हो, परन्तु मेरे मंत्रालय की कठिनाई यह है कि हमारे पास धन की व्यवस्था बहुत कम है। हमारे देश में ८, १० और मैडीकल कॉलिज होने चाहियें, क्योंकि अब डाक्टरों की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं प्रत्येक प्रकार से इसका समर्थन करूंगा कि राजस्थान में कालिज चालू करने के मामले को आगे बढ़ाया जाय। इधर उधर के विवादों से कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और इससे काफी समय भी नष्ट हुआ है। यदि यह विवाद मार्च, १९५८ के स्थान पर मार्च १९५७ में समाप्त हो जाता, तो राजस्थान के इस कॉलिज को अब तक सहायता प्राप्त हो भी जाती । अब भी इस दिशा में पूरे उत्साह से कार्य करना चाहिये और जो कुछ हमने देने को कहा है, उस पर हम दृढ़ता से कायम हैं ।

एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि इन कालिजों को स्थापित करने के लिये भारत सरकार को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं । हम बीच में नहीं आते जब तक हमसे सहायता नहीं मांगी जाती । यदि ठीक ढंग और समुचित दिशा में कार्य हो तो हम प्रायः सहायता करते ही हैं । यदि कोई समृद्ध संस्था कालिज खोलने का निश्चय करती है और हम से किसी सहायता की आशा नहीं करती तो हम उस का स्वागत करेंगे । दो कालिज खोले गये हैं, एक मंगलौर के मनीपाल में और दूसरा आंध्र प्रदेश में । इन कालिजों के लिये दानियों से धन एकत्रित किया गया था । और उन्हें एक एक सीट देने का आश्वासन दिया गया था । इस मामले पर मैंने और मेरे मंत्रालय ने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और हम इस परिणाम पर पहुंचे कि अन्य सब बातें ठीक होते हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें आज की देश की आवश्यकता को देखते हुए, जो कालिज सरकारी सहायता के बिना चालू किये जा रहे ह, उनको ऐसा करने देना चाहिये । मंगलौर के कालिज के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष ने लिखा है कि इस कालिज के अध्यापक तथा इसकी अन्य व्यवस्था बहुत ही ऊंचे स्तर की है । विद्यार्थी भी ऊंचे स्तर के हैं, क्योंकि जब तक किसी विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में काफी अच्छे नम्बर प्राप्त नहीं किये होते, उसे कालिज में प्रविष्ट नहीं किया जाता है । इस के विरुद्ध आपत्ति तब समझ में आ सकती है यदि इस में दान देने वालों के लड़कों आदि को बहुत कम नम्बर प्राप्त करने पर भी कालिज में प्रविष्ट कर लिया जाता ; उनको कुछ कम नम्बर प्राप्त करने पर इसलिये ले लिया जाता है क्योंकि उन्होंने इसी शर्त पर दान दिया था कि उन्हें अपने लड़कों को स्थान दिलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इसी कारण हमने यह निर्णय किया था कि हम तो इन कालिजों को कोई सीधी सहायता नहीं दे सकते फिर भी हम इन के विकास में कोई बाधा नहीं डालेंगे । स्वयं तो सरकार और अधिक कालिज चालू कर नहीं सकती तो ऐसे कालिजों की प्रगति में भी बाधा डालना अच्छा नहीं । क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप का अवसर उस समय आता है जबकि सहायता देने का प्रश्न आता है । अन्यथा भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा सम्बद्ध राज्य सरकार जैसे चाहे कर सकते हैं । मेरे मित्र ने जो इंजीनियरिंग कालिज की बात की है, इसके लिये निवेदन है कि मेरा सम्बन्ध केवल मैडिकल कालिजों से है और उस सम्बन्ध में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । नये कालिजों को चालू करने के लिये सहायता देने की प्रार्थना पर भी हम मामलों को देखकर विचार करेंगे ।

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		१३१३—३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४९५	अभ्रक के निर्यातकर्ता	१३१३—१६
४९६	दावों की मौके पर जांच	१३१६–१७
४९७	इण्डिया काफी हाउसेज़	१३१७–१९
४९८	कोयला खानों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	१३१९–२०
४९९	वर्षा से क्षति	१३२०—२२
५००	सामाजार्थिक आयोजन	१३२२—२५
५०२	कपड़ा मिलें	१३२५—२७
५०३	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	१३२७—३०
५०४	पश्चिमी जर्मनी को निर्यात	१३३०—३२
५०६	चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये इमारतें	१३३२–३३
५०७	कपड़ा मिलों के मजदूर	१३३३—३५
५०९	गोरखा रंगरूटों के लिये मार्गस्थ ब्रिटेन के शिविर	१३३५–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		१३३६—९३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५०५	कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति	१३३६
५०८	आर्ट सिल्क का सूत	१३३७
५१०	ब्रिटिश वस्त्र शिष्ट मण्डल	१३३७
५११	उड़ीसा में नमक उद्योग	१३३८
५१२	चमड़ा के कारखाने	१३३८
५१३	लोकमान्य तिलक का स्मारक	१३३८–३९
५१५	औद्योगिक विकास	१३३९
५१६	अमरीकी व्यापार दल का भारत में आगमन	१३३९–४०
५१७	प्रसाधन सामग्री, कपड़ा तथा कृत्रिम हीरों का आयात	१३४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
५१८	आसाम में उर्वरक कारखाना	१३४०
५१९	इंजीनियरिंग उद्योग	१३४१
५२०	फिल्म उद्योग	१३४१
५२१	भारतीय अधिकारियों का अध्ययन अवकाश पर ब्रिटेन जाना	१३४१–४२
५२२	अमरीकी मसाला व्यापार संघ	१३४२
५२३	कालीमिर्च और नारियल की जटा का निर्यात	१३४२–४३
५२४	बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा	१३४३
५२५	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी	१३४३
५२६	अमरीका को निर्यात	१३४३–४४
५२७	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में आग	१३४४–४५
५२८	न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में छंटनी	१३४५
५२९	वृत्तियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण	१३४५
५३०	बर्मा में भारतीय	१३४६
५३१	राज्य उपक्रमों के नाम	१३४६
५३२	अणु शक्ति सम्मेलन	१३४६–४७
५३३	बेतार के तार के सामान का संभरण	१३४७
५३४	हैवी इलैक्ट्रिकल (प्राइवेट) लिमिटेड	१३४७
५३५	बैंक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	१३४७–४८
५३६	मजदूर संघ	१३४८
५३७	जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्यात	१३४८–४९
५३८	कोयला खान बोनस योजना	१३४९
५३९	रोजगार नमूना सर्वेक्षण	१३४९
५४०	दण्डकारण्य योजना के अधीन व्यावसायिक और टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र	१३५०
५४१	प्रतिव्यक्ति आय	१३५०
५४२	गोदी मजदूर बोर्ड	१३५०–५१
५४३	इमारतें बनवाने के खर्च म मितव्ययिता	१३५१
५४४	प्रजेंण्टाइना में भारतीय	१३५१–५२
५४५	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां	१३५२
५४६	डार्लिंगकोट खान, दार्जिलिंग	१३५२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४७	ऊन उद्योग	१३५३
५४८	सीमावर्ती विवाद	१३५३–५४
५४९	पाकिस्तान, अमरीका और ब्रिटेन के बीच नया करार	१३५४
५५१	विदेशों में भारतीय प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण	१३५४
५५२	श्रमिकों के लिये बोनस	१३५४–५५
५५३	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	१३५५
५५४	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	१३५५
५५५	औद्योगिक कच्चे माल का आयात	१३५५–५६
५५६	आसाम की कोयला खानों के मजदूर	१३५६
५५७	नेपा का अखबारी कागज	१३५७
५५८	प्रचार संगठनों की कार्य पद्धति का अध्ययन करन वाली टीम	१३५७
५५९	काश्मीरी कम्बल और नम्दे	१३५७–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८०४	अखिल भारतीय मध्य वर्ग पारिवारिक आय-व्ययक सवक्षण	१३५८
८०५	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	१३५८–५९
८०६	फरीदाबाद बस्ती	१३५९
८०७	उत्तर प्रदेश में वस्त्र मिलें	१३५९
८०८	कुशल श्रमिक	१३५९–६०
८०९	काम दिलाऊ दफतर	१३६०
८१०	साइकिलें	१३६०–६१
८११	निर्यात संवर्धन परिषद्	१३६१
८१२	औद्योगिक तालिकायें	१३६१
८१३	विकास परिषद्ें	१३६२
८१४	मुद्रण मशीन उद्योग	१३६२
८१५	उड़ीसा में उद्योग	१३६२
८१६	प्रेस इन्फार्मेशन ब्यू ो	१३६२–६३
८१७	भक्ति नगर औद्योगिक बस्ती	१३६३
८१८	धार्मिक संघ	१३६३–६४

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या		
८१९	कच्ची फिल्मों का वितरण	१३६४
८२०	गैर-सरकारी प्रेसों में छपे सरकारी प्रकाशन	१३६४–६५
८२२	पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन	१३६५
८२३	अणु शक्ति के शान्ति पूर्ण उपयोग में प्रशिक्षण	१३६५–६६
८२४	ब्रिटेन को निर्यात	१३६६
८२५	साइकिलों का निर्यात	१३६६
८२६	सूर्य रश्मि गवेषणा केन्द्र	१३६७
८२७	दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र न्यास समिति का बहिष्कार	१३६७–६८
८२८	चल सम्पत्ति पर भारत-पाकिस्तान करार	१३६८
८२९	भारत और पाकिस्तान में धार्मिक स्थान	१३६८
८३०	भाखड़ा बांध में फालतू मजदूर	१३६९
८३१	अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी अन्त र्राष्ट्रीय सम्मेलन	१३६९
८३२	कारखाने की इमारतें	१३६९–७०
८३३	अन्दमान में रबड़ क्षेत्र	१३७०
८३४	खेती के औजारों का निर्यात और आयात	१३७०
८३५	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	१३७१
८३६	काम बन्दी की मजूरी	१३७१
८३७	राज्य सनद प्राप्त लेखापाल संस्था	१३७२
८३८	मंत्रालयों को प्रधान मन्त्री का परिपत्र	१३७२–७३
८३९	विनयनगर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का गोदाम	१३७३
८४०	आन्ध्र कागज मिल, राजमुन्द्री	१३७३–७४
८४१	हस्तशिल्प में गवेष ।	१३७४
८४२	उच्चतम और उच्च न्यायालयों में श्रम विवाद	१३७५
८४३	मूल परियोजना	१३७५
८४४	राज्य व्यापार निगम	१३७५–७६
८४५	उड़ीसा में औद्योगिक बस्ती	१३७६
८४६	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	१३७६
८४८	फोर्ड प्रतिष्ठान परियोजना	१३७७
८४९	वैदेशिक कार्य मंत्रालय की विज्ञप्तियां	१३७७–७८
८५०	नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का निर्माण	१३७८

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर--[क्रमशः] पृष्ठ

अतरांकित प्रश्न संख्या

८५१ द्वितीय पंचवर्षीय योजना १३७८–७९
८५२ विदेशी कपास का आयात १३७९
८५३ ईस्टर्न प्लाइवुड कम्पनी को सहायता १३७९–८०
८५४ कृषि उपकरण १३८०
८५५ नमक १३८०–८१
८५६ नमक उत्पाद १३८१
८५७ पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण १३८१–८२
८५८ आसाम में साइकिलों का कारखाना १३८२
८५९ राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना १३८२
८६० केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों के लिये आवास १३८३
८६१ सेंधा नमक की खानों का विकास १३८३
८६२ भारत में तिब्बत के शरणार्थी १३८४
८६३ छोटे पैमाने के उद्योगों में रोज़गार १३८४
८६४ त्रिपुरा में तपेदिक के रोगी १३८४
८६५ आयात लाइसेंस १३८४–८५
८६६ पश्चिमी बंगाल सरकार को ऋण की मंजूरी १३८५
८६७ बरशोरा कोयला खान, आसाम १३८५
८६८ तकयाल (मनीपुर) में प्रविधिक स्कूल १३८५–८६
८६९ पंजाब में रेशम तैयार करने की फैक्टरी १३८६
८७० लघु उद्योग सेवा संस्था, बम्बई १३८६
८७१ दस्तकारियां १३८६–८७
८७२ समाचार पत्रों को विज्ञापन १३८७
८७३ पंजाब में कारखाने १३८८
८७४ काजू के कारखाने १३८८–८९
८७५ पाकिस्तान से आये भूतपूर्व अपराधी जातियों के परिवारों का पुनर्वास १३८९
८७६ उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जीवन सम्बन्धी प्रलेखीय चित्र १३९०
८७७ विद्रोही नागा १३९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८७८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना . . . १३९१

८७९ काम दिलाऊ दफ्तर . . १३९१

८८० नारियल जटा उत्पादों का निर्यात . . . १३९१

८८१ भूमि का अर्जन . . . १३९१–९२

८८२ प्रचार की मोटर गाड़ियां . . १३९२

८८३ फिल्म प्रदर्शन . . . १३९२–९३

८८४ अशोक होटल्स लिमिटेड १३९३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये : १३९३–९४

(१) १ अक्तूबर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ और १ अप्रैल, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक की अवधि के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के दो छमाही प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

१. कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

२. दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ का सरकारी संकल्प संख्या ३२(२)-टी० आर०/५८ ।

३. विद्युत् मोटर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

४. दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ का सरकारी संकल्प संख्या ११(१)-टी० आर०/५८ ।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा फार्म, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० २२६ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० ११०८ दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—
उपस्थापित . . १३९४

इक्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

विषय	पृष्ठ
समिति के लिये निर्वाचन	१३९४–९५
निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्र क० च० रेड्डी) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजघाट समाधि समिति में सदस्य के रूप में काम करने के लिये सभा के सदस्यों में से दो सदस्य चुने जायें ।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक—पारित	१३९५—१४०२
संसद्-(अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार समाप्त हुआ । विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।	
विधेयक—विचाराधीन	१४०२—१५
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव .	१४१५—२८
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घण्टे की चर्चा	१४२८—३३
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के १८ नवम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई । स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	
शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—	
भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।	